खण्ड-461, अंक-1
बुधवार, 01 अग्रहायण, शक संवत् 1928
(22 नवम्बर, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 461 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25, महसूल सहित रु0 724.25।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	छ-ध
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1-2
प्रश्नोत्तर	2-65
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	65-66
मेरठ में बस्तियों के बीच से गुजरती उच्च शक्ति/एल0 टी0 लाइनों को हटाने का कार्य सूडा या अन्य माध्यमों से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
एल0 डी0 ए0 कालोनी सेक्टर-ए, फेज-2, सीतापुर रोड लखनऊ में निर्मित आवासीय भवन से अवैध दुकान को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
वाराणसी नगर की व्यस्ततम सड़क गोदौलिया तथा रवीन्द्रपुरी बाईपास की दशा अत्यंत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
रैसिंगपुर माइनर (शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ अन्तर्गत) के एक्सटेंशन हेतु ग्राम सराय सागर के काश्तकारों से अधिग्रहीत भूखण्डों का मुआवजा भुगतान कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	67-68
राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर संविदा के स्थान पर स्थायी नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	68
बीदूपार (खलवाटोला) जनपद कुशीनगर के अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	68-69
गाजियाबाद के गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों से बहने वाले गन्दे जहरीले पानी से बचाव करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
मुजफ्फरनगर जनपद की पूर्व यमुना नदी से संबंधित रजबाहों में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खूंटखेड़ा से ग्राम मल्हीवाला तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	69-70
जनपद बरेली के कतिपय ग्राम पंचायतों के प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में नियम 301 के	

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोरखपुर में बन्द पड़े तारामण्डल को पुनः चलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70-71
लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत देवपुर से जलालपुर रेलवे फाटक तक क्षतिग्रस्त मार्ग को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
ग्राम पंचायत अधिकारी, लखनऊ के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालयों में बी0 एड0 डिग्रीधारी शिक्षकों को नौकरी में पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
प्रदेश में गन्ना कृषकों के संरक्षण हेतु चालू पेराई सत्र के लिये रु0 150/- प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें ... (जारी)...	73
लोकायुक्त/उप लोकायुक्त की रिपोर्टों पर शासन द्वारा उचित कार्यवाही करने में विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	73-78
वाराणसी में श्री कपिलदेव मौर्य की पुलिस द्वारा की गई हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को सदन में उठाये गये प्रकरण पर श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	79
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	79
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	79-80
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	80
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	80
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	80
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का सप्तम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)... (प्रस्तुत किया गया)	80-81
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का अष्टम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)... (प्रस्तुत किया गया)	81
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का नवम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)... (प्रस्तुत किया गया)	81

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	81
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का उनतीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	81
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का तीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	82
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का इकतीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	82
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का बत्तीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	82
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 107वां (एक सौ सातवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	82-83
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	83-84
आज मुख्य मंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर उनको सभी सदस्यों द्वारा दी गई बधाई	84-85
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	85-109
प्रदेश में बिक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जनस्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	109
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 के क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने तथा ईसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण की सुविधा दिये जाने विषयक उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार द्वारा सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग के सम्बन्ध में संकल्प का स्थगन ...	109-110
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	110-111
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव का स्थगन	111
"यह सदन उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करता है", के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन	111

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचनाओं पर विचार के प्रस्ताव का स्थगन ...	112
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया जाय, के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन ...	112
प्रदेश में रबी की फसल की बुआई हेतु किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद आदि की सूचनाओं पर एक घण्टे की चर्चा	112-133
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	134-135
जनपद भदोही स्थिति औराई तहसील का भवन निर्माण कराये जाने एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	135-137
प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	137
डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के सत्र 2004-2005 के हजारों बी0 एड0 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	137-138
जनपद बागपत के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	138-139
प्रदेश में बी0 पी0 एल0 श्रेणी के उपभोक्ताओं को सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं, चावल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	139-140
जनपद बलिया स्थित नरहेजी महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया के प्रबंधतंत्र एवं प्रधानाचार्य द्वारा गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	140-141

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महराजगंज के अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	142-143
निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी के पद पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चयन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश त्रिवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेद एवं यूनानी मंत्री का केवल वक्तव्य ...	144

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 22 नवम्बर, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-298

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्याण सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर

काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
दयाशंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला), श्रीमती	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फागू, श्री — मऊ
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री — जालौन
बाबू लाल, श्री — गोण्डा
बाबूलाल चौधरी, श्री — आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री — बांदा
बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर एडवोकेट — जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
भगेलूराम, श्री — सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री — बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट — उन्नाव
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री — एटा
माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
मोख्तार अन्सारी, श्री — मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री — फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी — मेरठ
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया — गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री — मेरठ
रतनलाल अहिरवार, श्री — झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
राजपाल सिंह बलियान, श्री — मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी

राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम पाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह श्री	वाराणसी
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़

शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज	सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
समरपाल सिंह, श्री	बागपत	हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
सियाराम सागर, डा0	बरेली	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम) एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

59-उज्ज्वल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
60-उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
61-उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
62-उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
63-उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
64-ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
65-ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
66-ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
67-ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
68-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
69-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
70-ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
71-ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
72-कपिल देव यादव, श्री — मऊ
73-कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
74-कमलेश कुमार पाठक, श्री — कानपुर देहात
75-कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
76-कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
77-काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
78-कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
79-कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
80-काशीराम, श्री — रामपुर
81-किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
82-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
83-किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
84-कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री — बिजनौर
85-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
86-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
87-कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
88-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
89-कैलाश, श्री — गाजीपुर
90-कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
91-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
92-कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
93-कौशल किशोर, श्री — खीरी
94-कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
95-खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ, श्री — इलाहाबाद
96-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
97-गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
98-गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
99-गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
100-गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
101-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
102-घूरा राम, श्री — बलिया
103-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
104-चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
105-चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
106-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
107-चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
108-छेदी राम, श्री — गाजीपुर
109-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
110-छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
111-जंग बहादुर सिंह, श्री — सुल्तानपुर
112-जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
113-जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
114-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
115-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
116-जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
117-जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
118-जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
119-जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
120-जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
121-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
122-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
123-जयराम विमल, श्री — अम्बेडकरनगर
124-जयवीर सिंह — मैनपुरी
125-जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
126-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4-अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5-अजय कुमार, डा0 — बागपत
6-अजय राय, श्री — वाराणसी
7-अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
8-अताउल रहमान, श्री — बरेली
9-अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
10-अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
11-अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
13-अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14-अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
15-अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
16-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
17-अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
18-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
19-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
20-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
21-अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
22-अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीरनगर
23-अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
24-अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
25-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
26-अमरमणि, श्री — महराजगंज
27-अमर सिंह परमार, श्री — आगरा
28-अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
29-अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
30-अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
31-अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
32-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
33-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
34-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
35-अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
36-अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
37-अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
38-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
39-अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
40-अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीरनगर
41-अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
42-अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
43-अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
44-अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
45-अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
46-आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
47-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
48-आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
49-आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
50-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
51-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
52-आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
53-आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
54-आशीष यादव, श्री — बदायूं
55-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
56-इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
57-इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
58-इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर

127-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
128-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
129-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
130-दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
131-दयाराम, श्री — कौशाम्बी
132-दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
133-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
134-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
135-दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
136-दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
137-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
138-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
139-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
140-देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
141-देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
142-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
143-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
144-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
145-धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
146-धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
147-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
148-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
149-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
150-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
151-धू राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
152-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
153-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
154-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
155-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
156-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
157-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
158-नरेन्द्र शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
159-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
160-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
161-नारद राय, श्री — बलिया
162-परमजीत, श्री — मुजफ्फरनगर
163-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
164-पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
165-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
166-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
167-पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
168-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
169-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
170-प्रदीप जैन ''आदित्य'', श्री — झांसी
171-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
172-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
173-प्रभु नारायण, श्री — चन्दौली
174-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
175-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
176-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
177-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
178-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
179-प्रेमलता देवी, श्रीमती — अलीगढ़
180-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
181-फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
182-फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला), श्रीमती — देवरिया
183-फागू, श्री — मऊ
184-बंशीधर राज, श्री — खीरी
185-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
186-बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
187-बाबूराम, एम0काम, श्री — जालौन
188-बाबू लाल, श्री — गोण्डा
189-बाबू लाल, चौधरी — आगरा
190-बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा

191-बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
192-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
193-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
194-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
195-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
196-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
197-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
198-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
199-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
200-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
201-भरत सिंह, श्री — बलिया
202-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
203-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
204-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
205-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
206-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
207-मदन भैया, श्री — बागपत
208-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
209-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
210-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
211-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
212-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
213-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
214-महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
215-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
216-महेन्द्र सिंह, चौधरी — अलीगढ़
217-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
218-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
219-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
220-महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
221-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
222-मान पाल सिंह, श्री — एटा
223-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
224-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
225-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
226-मुकुल उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
227-मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
228-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
229-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
230-मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
231-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
232-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
233-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
234-मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
235-मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
236-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
237-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
238-मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
239-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
240-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
241-याकूब, हाजी — मेरठ
242-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
243-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
244-रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
245-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
246-रणवीर राणा, श्री — मेरठ
247-रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — कुशीनगर
248-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
249-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
250-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
251-रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
252-राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी

253-राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
254-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
255-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
256-राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
257-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
258-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
259-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
260-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
261-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
262-राजवीर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
263-राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
264-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
265-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
266-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
267-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
268-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
269-राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
270-राजेश कुमार, श्री — खीरी
271-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
272-राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
273-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
274-राबिया कलाम, श्रीमती — वाराणसी
275-राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
276-राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
277-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
278-राम किशुन, श्री — चन्दौली
279-राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
280-राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
281-राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
282-राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
283-राम जी शुक्ला, श्री — औरैया
284-राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
285-रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
286-रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
287-राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
288-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
289-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
290-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
291-रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
292-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
293-राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
294-राम मगन, श्री — बाराबंकी
295-राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
296-रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
297-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
298-राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
299-राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
300-राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
301-रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
302-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
303-रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
304-रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
305-लक्ष्मीकान्त [illegible]योयी, डा0 — मेरठ
306-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
307-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
308-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
309-लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
310-लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
311-वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
312-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
313-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
314-विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
315-विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
316-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
317-विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
318-विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
319-विनय शाक्य, श्री — औरैया

320-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
321-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
322-विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
323-विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
324-विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
325-विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
326-विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
327-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
328-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
329-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
330-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
331-वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
332-वीरेन्द्र सिंह,श्री वाराणसी
333-वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा", श्री ललितपुर
334-वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
335-वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
336-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदासनगर, भदोही
337-शब्बीर, श्री बहराइच
338-शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
339-शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
340-शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
341-शाकिर अली, श्री देवरिया
342-शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
343-शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
344-शारदा प्रसाद,श्री चन्दौली
345-शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
346-शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
347-शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
348-शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
349-शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
350-शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
351-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
352-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
353-शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
354-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
355-श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
356-श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
357-श्याम नारायन, श्री महराजगंज
358-श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
359-श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
360-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
361-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
362-श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
363-श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
364-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
365-संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
366-संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
367-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
368-सत्तो देवी, श्रीमती सहारनपुर
369-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
370-सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
371-सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
372-समरपाल सिंह, श्री बागपत
373-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 मुरादाबाद
374-सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
375-सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
376-सियाराम सागर, डा0 बरेली
377-सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
378-सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
379-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
380-सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
381-सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
382-सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री गाजियाबाद
383-सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बांदा

384-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	395-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
385-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	396-हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
386-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	397-हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
387-सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	398-हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
388-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	399-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
389-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
390-सुल्तान बेग, श्री	बरेली	400-हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
391-सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर	401-हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
392-सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	402-होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
393-सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	*403-रिक्त	कानपुर
394-सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	**404-रिक्त	बिजनौर

* दिनांक 2 जून, 2006 को श्री हाजी मुस्ताक सोलंकी (कानपुर नगर) की मृत्यु के फलस्वरूप।

** दिनांक 15 अगस्त, 2006 को श्री राम स्वरूप सिंह (बिजनौर) की मृत्यु के फलस्वरूप।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने नियम 311 की सूचना दी है। खाद और बीज को लेकर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह-

बलिया में खाद नहीं पहुंच रही है। किसान रात-रात बैठे रहते हैं पुलिस उनको दौड़ा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अभी प्रश्न प्रहर होने दें।

श्री भरत सिंह-

बलिया में डी0ए0पी0 के लिए हाहाकार मचा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्न प्रहर तो खत्म होने दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

सीतापुर की जो घटना हुई है उससे पूरा प्रदेश मर्माहत है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे जानकारी है। पहले प्रश्नों को लेने दें।

नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1

(श्री प्रदीप जैन आदित्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, बलिया में खाद को लेकर त्राहि-त्राहि मची है।

श्री अध्यक्ष-

आप जीरो आवर में यह बातें कहें। आज खाद, बीज पर चर्चा लगी हुई है। उस पर मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर में कोई व्यवस्था नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल-

सीतापुर में 15 लोगों की सामूहिक हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब आप बैठें। इस पर नेता विरोधी दल ने सूचना दी है, प्रमोद कुमार ने सूचना दी है। जब वह मद आएगी तब अपनी बात कहें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री जगदम्बिका पाल-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। नियम-56 में इस प्रकार कोई सूचनाएं आई हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने कहा है कि नेता विरोधी दल ने दिया है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल ने दिया है और प्रमोद कुमार ने भी दी है।

भरत सिंह जी खाद, बीज पर जब मंत्री जी ब्योरा प्रस्तुत करेंगे, उस समय अपनी बात रखिएगा। इस सदन में खाद, बीज पर चर्चा भी हो चुकी है आज भी आपको अवसर मिलेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चिकुन गुनियां संक्रामक बीमारी से रोकथाम के उपाय

**1-श्री प्रदीप जैन आदित्य (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जानलेवा चिकुन गुनियां संक्रामक बीमारी का प्रकोप निरन्तर बढ़ रहा है, जिससे उक्त क्षेत्र में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं तथा लाखों लोग बीमार हो रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चिकुन गुनियां से किसी भी रोगी के ग्रसित होने की पुष्टि नहीं हुई है तथा इस बीमारी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।

यद्यपि उक्त बीमारी से किसी के ग्रसित होने की पुष्टि नहीं हुई है तथापि जांच तथा उपचार की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मेडिकल शिक्षा परीक्षाओं के आयोजन में फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लेने पर विचार

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में मेडिकल शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में विश्वसनीयता को बनाये रखने हेतु परीक्षाओं के आयोजन में फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लेने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी नहीं।

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश में मेडिकल शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं जिसमें आवेदन-पत्र पर अभ्यर्थियों की रंगीन फोटो जिसकी नाप 50 मिमी तथा चेहरे की नाप 28 मिमी रखी गयी है तथा फोटो खिंचवाते समय अपने नाम की पट्टिका लगाकर खिंचवाना अनिवार्य है। अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में हस्ताक्षर तथा बायें हाथ के अंगूठे का निशान भी लिया जा रहा है जिससे कोई विसंगति जानकारी में आने अथवा फर्जी प्रवेश-पत्र तथा पेपर साल्वर के पकड़े जाने पर मूल आवेदन-पत्र में दिये गये निशानी अंगूठे से उसका मिलान किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर आगामी सी0पी0एम0टी0 प्रवेश परीक्षाओं में फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लिये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस संबंध में जो उपाय बताए गए हैं उन सारे उपायों को अपनाए जाने के बावजूद भी प्रत्येक वर्ष इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं और भारी संख्या में घटनाएं प्रकाश में आती हैं। सब पकड़े नहीं जाते। पकड़े जाते हैं वो जो प्रकाश में आते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इसकी विश्वसनीयता पर अगर कोई कठोर कदम नहीं उठाये गये, प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो यह प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सारे उपायों के बाद भी लोग पकड़े जा रहे हैं, यह विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। मान्यवर, जैसा कि उत्तर के अंतिम पैरा में बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आगामी सी0पी0एम0टी0 प्रवेश परीक्षाओं में फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लिये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष इन उपायों को अपनाये जाने के बाद भी भारी संख्या में लोग प्रवेश परीक्षा के समय हेरा-फेरी करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों में इस तरह से कितने लोग पकड़े गये, कितनी घटनायें प्रकाश में आईं और इन घटनाओं को रोकने के लिये क्यों नहीं सरकार फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लेने पर विचार कर रही है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, परीक्षार्थी के हाथ के अंगूठे का निशान ओरिजनल फार्म पर भी लगाया जा रहा है और गलत पाये जाने पर जांच हो जायेगी। प्रवेश के समय इसकी जांच करवा पाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि लाखों की संख्या में प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थी बैठते हैं। इसीलिये यह व्यवस्था कर दी है कि ओरिजनल फार्म पर उसके अंगूठे का निशान मौजूद है। यह हमने नया सिस्टम किया है। अभ्यर्थी की रंगीन फोटो जिसकी माप 50 मिमी है चेहरे की नाप 28 मिमी रखी गई है ताकि चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। इससे जाहिर है की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। इसके बावजूद भी कोई घटना संज्ञान में आती है तो उसके लिये फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट हैं, जांच कराने की आवश्यकता होगी तो उनसे जांच करवाई जायेगी। इसके लिये नियमित फोरेंसिक विशेषज्ञ को लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने इसी के साथ एक सवाल यह भी पूछा था कि विगत 3 वर्षों में सरकार के संज्ञान में इस प्रकार की कितनी घटनाएं आई हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि विगत 3 वर्षों में इस प्रकार की कितनी घटनाएं संज्ञान में आई हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

कितनी घटनाएं संज्ञान में आई हैं उसका फोरेंसिक विशेषज्ञ की जांच से क्या रिश्ता ? मैंने बता दिया कि इस तरह की घटनाएं न हों इसके लिये कुछ और उपाय किये गये हैं। बांये हाथ के अगूंठे का निशान अनिवार्य कर दिया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह के उपाय किये गये हैं जिनसे गड़बड़ी होने कीं सम्भावनाएं नहीं हैं। अगर इसके बाद भी कहीं कोई घटना होती है, पकड़ में आती है तो फिर फोरेंसिक जांच करवाई जायेगी।

(माननीय डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के व श्री श्यामदेव राय चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

हां, गौर साहब आप पूछिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने जो सवाल किया था उसका उत्तर दिलवा दें। मेरा उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि विगत 3 वर्षों में इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं ? सरकार ने भी अपने उत्तर में यह माना है कि इस प्रकार की घटनायें होती हैं और उसके लिये यह उपाय किये गये हैं कि फोटो इस साइज का होगा, अंगूठे का निशान लिया जायेगा। मेरा कहना है कि इतने उपाय करने के बाद भी विसंगतियां हो रही हैं, घपले हो रहे हैं। इसीलिये मैं यह जानना चाह रहा था कि विगत 3 वर्ष में कितनी घटनाएं हुईं ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, इसमें गलत क्या है ? जो प्रश्न किया है उसके अनुपूरक में मैं यह पूछ रहा हूं। प्रश्न करने का हमारा अधिकार है। आप ही रूल्ड आउट कर रहे हैं। सरकार को कहने दीजिये। सरकार कहे कि हमारे पास उत्तर नहीं है या इसके लिये जानकारी की आवश्यकता होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो अन्याय है।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब आप पूछिये।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, सी0पी0एम0टी0 की प्रवेश परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस परीक्षा को पास करके ही डाक्टर और अच्छे सर्जन बनते हैं।

मान्यवर, हमारे चौधरी साहब के सवाल का उत्तर तो आया नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रदेश में चल रहे हैं वह बहुत बड़ा कारण है सी0पी0एम0टी0 में अनियमितताओं का, इनके रैकेट काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में

जो इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको चिन्हित करके, क्योंकि कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो लोग पकड़े गए हैं इनके खिलाफ कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कार्यवाही करने के लिए फोरेंसिक राय की क्या आवश्यकता है। माननीय गौर साहब स्वयं इस विभाग के मंत्री रहे हैं इन्होंने इसको क्यों नहीं रोका ? मैं बताना चाहता हूं चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए, चाहे कोई एडमीशन का कोई ठेकेदार हो, कभी कोई पुराना रैकेटियर हो पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था रही हो, पुराने जमाने में उसको डील मिलती रही होगी उसने अगर दुकान खोली है तो उसको कोई दुकान नहीं खोलने दी जाएगी, कोई दुकान नहीं चलने दी जाएगी, एडमिशन में कोई धांधली नहीं होने देंगे और जो भी अपराधी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमारा प्रश्न था विश्वसनीयता ? हमने इसीलिये प्रश्न पूछा था। हम लोगों की सरकार के समय में कुछ नहीं था। तीन सालों के अन्दर जो रैकेट पकड़े गए उसमें सरकार ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें आपका प्रश्न आ चुका है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चिन्ता केवल इस बात की है कि परीक्षायें ठीक हो जाएं इन परीक्षाओं में जो किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार व्याप्त है वह भ्रष्टाचार समाप्त हो । यह परीक्षायें जन-जीवन से जुड़ी हुई हैं कैसे डाक्टर बनेंगे आगे हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे जुड़ी हैं ? इसी कारण से माननीय चौधरी साहब ने प्रश्न किया है उसकी ग्रेविटी क्या है ? आकार कितनी बड़ी समस्या का है ? निश्चित रूप से कई बार ऐसा हुआ है, सारी की सारी परीक्षायें निरस्त करनी पड़ीं। कभी पेपर लीक हो गया ? या नकल की बात आ गई उस पर मान्यवर, पिक्चर भी बन गई इस कारण से इसकी ग्रेविटी को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने जो अन्तिम पैरा में उत्तर दिया है आवश्यकता पड़े तो आपकी आवश्यकता की कसौटी क्या है ? अभी तक इन परीक्षाओं में इतना कुछ हो चुका क्या उसको आप आवश्यक नहीं समझते हैं और कितनी नकल करायेंगे कितने गलत आदमियों का चयन आप करायेंगे उसके बाद में आवयश्कता को समझेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

यह बिल्कुल इन्होंने ठीक प्रश्न पूछा है और गलत आक्षेप लगाया है इसलिये मैं उत्तर देता हूं और आक्षेप को जो इन्होंने लगाया है उसको सीधा-सीधा वापस करता हूं। इनका आक्षेप इनको वापस करता हूं। अब वह जमाना नहीं है वह सरकार नहीं है जो इन चीजों में लिप्त होकर स्वयं इसको कराने का काम करती थी। यह आक्षेप हुकुम सिंह जी को वापस, और प्रश्न का उत्तर यह है आवश्यकता, का तात्पर्य यह है कि अगर एक भी केस ऐसा पकड़ा जाये जिसमें लगे कोई व्यक्ति दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा जाए तो उसके विरुद्ध आरोप प्रमाणित हो सके इसके लिये उसके फिंगर प्रिन्ट्स की मिलान जो ओरिजनल फार्म पर अंगूठे का निशान हमने लिया है उस निशान से जांच कराने का काम हम फिंगर प्रिन्ट्स एक्सपर्ट से करायेंगे और उसको सजा दिलायेंगे। ऐसे मामले एक या

उससे अधिक आयेंगे तो करेंगे। इसलिये मान्यवर, इसमें जो जानकारी चाही गई थी वह जानकारी हमने पूरी दे दी है। दुबारा रिपीट करता हूं जितने केसेज आयेंगे उसको करेंगे। फार्म भरते समय ही यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह फार्म गड़बड़ है। किसी ने फर्जी अंगूठे का निशान लगा लिया तो यह काल्पनिक प्रश्न है वास्तविक प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं प्रतिबद्धता इनकी वचनबद्धता है कि सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा में पवित्रता बनी रहे। हम इनकी सदाशयता और नीयत पर कोई शक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों कई घटनायें ऐसी हुई हैं जिन्होंने प्रदेश की सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया और बड़े पैमाने पर सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षाओं की शिक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा और पूरे देश में यह गया कि जो विश्वविद्यालय यह कन्डक्ट कर रहे थे उनकी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमिततायें हुईं उसको ठीक करने के लिये इन्होंने कुछ उपाय किये कि बायें हाथ के, हर परीक्षार्थी के अंगूठे लगायेंगे मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज भी हमारे देश और प्रदेश में ऐसी परीक्षा प्रणाली हैं मान्यवर, ऐसी संस्थायें हैं जिनकी पवित्रता बनी हुई है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो हमारे स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो जो हर साल अलग-अलग विश्वविद्यालयों को सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा आयोजित करने के लिये स्थानान्तरित करते हैं, क्या सरकार इसके लिये कोई अलग आटोनामस बाडी नहीं बना सकती जो सी0 पी0 एम0 टी0 की प्रवेश परीक्षा कराये ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सम्प्रति जो परीक्षा की व्यवस्था है, उसमें यदि विभिन्न यूनीवर्सिटी के माध्यम से रोटेट करते हैं तो उसकी निष्पक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन जो पाल साहब ने कहा है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर भी विचार करेंगे।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सी0 पी0 एम0 टी0 के माध्यम से जो परीक्षा होती है और जितने विद्यालयों को सी0 पी0 एम0 टी0 के अन्तर्गत लिया जाता है, उसमें सरकारी विद्यालय भी होते हैं और निजी क्षेत्र के विद्यालय भी होते हैं। मान्यवर, इस बार जो सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा हुई, उसके बाद काउन्सिलिंग की गयी, काउन्सिलिंग के बाद जिन छात्रों को निजी क्षेत्र के विद्यालय एलाट किये गये थे, उन विद्यालयों ने प्रवेश देने से मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

आपका यह प्रश्न, मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है, यदि मंत्री जी के पास जानकारी हो तो दे दें। जो निजी क्षेत्र के विद्यालय थे, उन्होंने सी0 पी0 एम0 टी0 के माध्यम से आये और काउन्सिलिंग के बाद चयनित हुये छात्रों को प्रवेश देने से मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सरकार के पास पूरी जानकारी है और आवश्यकता पड़ने पर जानकारी दी जा सकती है लेकिन मूल प्रश्न से इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, सदन की उच्च मान्यताओं को बनाये रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिये माननीय सदस्य जब चाहेंगे, हम इसका उत्तर दे देंगे।

राजकीय चिकित्सालयों में औषधियों की कमी को दूर करने का उपाय

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में औषधियों की कमी है ? यदि हां, तो इस कमी को कब तक दूर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का निरर्थक उत्तर दिया है। प्रदेश के अस्पतालों में दवाओं की कमी है, यह तथ्य जगजाहिर है लेकिन सरकार ने अपने उत्तर में कहा 'जी नहीं'। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में प्रति बेड कितनी दवाई का न्यूनतम मानक सरकार द्वारा निर्धारित है, प्रदेश में कुल कितनी शैय्याएं हैं और इनके लिये कितना बजट है ?

श्री अध्यक्ष-

कितनी शैय्याएं हैं, कितने मरीज हैं, बड़ा विस्तृत सवाल है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं उत्तर देता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, पीठ पर बैठ कर आपका दायित्व है कि हमें संरक्षण दें, सरकार उत्तर देना चाहती है लेकिन आप कह रहे हैं, यह बड़ा विस्तृत है।

श्री अध्यक्ष-

यह विस्तृत है, यदि आप भी यहां होते तो एलाउ नहीं करते।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब स्वयं आदरणीय प्रश्नकर्ता सरकार में मंत्री थे, तब प्रदेश में दवाइयों के लिये जो बजट था, आज उससे 5 गुना दवाइयों के लिये बजट है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछा है, मंत्री जी पिछली सरकार के बजट को बतायें, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ..

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री जी की बात सुन लीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उन दवाइयों का बजट हमने कर दिया और जब यहां से उत्तर दिया था तो सरकार ने कई बार यहां से बताया कि प्रदेश में दवाओं की कमी नहीं है। इस सरकार में शत प्रतिशत दवाओं की व्यवस्था की गयी है। मैं सदन में जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वर्ष 2002-03 में दवाओं के लिय बजट 56 करोड़ था और आज हमारी सरकार में दवाओं का बजट 146.87 करोड़ है और 12वें वित्त आयोग ने 42 करोड़ और दिया इस प्रकार से दवाओं के लिये 188.87 करोड़ है। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि दवाओं की कमी नहीं है। सरकार की दृष्टि है और हमने जिस नीति, वाक्य को सम्मुख रखकर इस सरकार तक पहुंचने का काम किया है वह है, दवा, पढ़ाई मुफ्त हो, कपड़ा, रोटी सस्ती हो। इस संकल्प पर पूरी तरह से सही उतरने का काम इस सरकार के मुखिया माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। अस्पताल का पर्चा 8 रुपये से 1 रुपये कर दिया और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की। आज प्रदेश के किसी भी चिकित्सालय में दवाओं का अभाव नहीं है। जितनी दवाओं की आवश्यकता है वह उपलब्ध है। अब तक आंकड़े बनाये जाते थे कि कितनी शैय्याएं हैं उसके हिसाब से आपने दवाओं का मानक निश्चित कर दिया। मान्यवर, कई अस्पताल ऐसे हैं जो केवल 4 बेड के हैं लेकिन ओ0 पी0 डी0 में मरीजों की संख्या ज्यादा है। डाक्टर स्पेलिस्ट और अच्छा होने से ओ0 पी0 डी0 में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि शैय्याओं के आधार पर दवाओं का मानक तय किया और ओ0 पी0 डी0 में ज्यादा उपस्थिति है तो उनको जो दवाओं की आवश्यकता है उन दोनों को मिलाकर एक मानक तय किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि वह मानक अभी परिवर्तित नहीं हुआ है लेकिन हम उसे परिवर्तित करना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों बातों को सम्मुख रखकर मानक तय किये जायें मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मांग के हिसाब से किसी भी अस्पताल में दवाओं का अभाव नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगर 4 बेड का अस्पताल है या ओ0 पी0 डी0 है तो अच्छा डाक्टर होने से मरीज ज्यादा आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि कहीं भी दवा और डाक्टर की कमी नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

डाक्टर कहीं नहीं कहा है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जब आप सिद्धार्थ नगर या मंत्री जी बलिया में चिकित्सालय में जाते हैं या हम लोग अपने यहां के चिकित्सालयों में मरीजों को दिखाने जाते हैं या जब हम इमरजेंसी में

जाते हैं तो देखते हैं कि डाक्टर जिस पेशेंट को देखते हैं तो उसके केयरटेकर को डाक्टर पर्चा देता है और वह बाहर से दवा खरीदकर लाते हैं। हो सकता है कि बलिया में दवा उपलब्ध हो, माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले में दवा उपलब्ध हो लेकिन जो अन्य माननीय सदस्य बैठे हैं उनके यहां अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। मान्यवर, वहां पर कौन सी दवाइयां उपलब्ध कराकर रखी गयी हैं यह मैं जानना चाहता हूं। तो क्या जिले स्तर के चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध हैं कि नहीं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध हैं और जीवन को खुशहाल रखने की दवायें भी उपलब्ध हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

जीवन को खुशहाल रखने वाली टानिक मंत्री जी ले रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किये हैं लेकिन जनता तक दवायें पहुंच नहीं पा रही हैं। मान्यवर, शायद एक दो जिलों में पी0 एच0 सीज में एन्टी रेबीज उपलब्ध हों। बयान यह आता है कि सभी जिलों में यह उपलब्ध है, तो यह बात सत्य से परे है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब जिलों पर जांच मशीनें ही उपलब्ध नहीं हैं तो गम्भीर रोगों की दवायें कहां उपलब्ध होंगी ? बलिया में सिटी स्कैन की मशीन ही उपलब्ध नहीं है। जो ब्रेन हैमरेज ओर एक्सीडेंट वगैरह के केसेज आते हैं, जब तक मशीन उपलब्ध नहीं होगी तो कैसे जांच होगी ? हमारे बलिया जिले में सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध नहीं है तो वह कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने कई प्रश्न एक साथ कर दिये हैं। मैं एक-एक करके उत्तर दूंगा। जो एन्टी रेबीज वैक्सीन की बात कही गयी वह जितनी मात्रा में हमारी सरकार ने उपलब्ध करायी है वह अपने आप में कीर्तिमान है। शत-प्रतिशत लोगों को यह इन्जेक्शन मिल रहे हैं। ए0 आर0 वी0 के लिये 30 करोड़ की अलग से व्यवस्था हुई है। सी0 एम0 ओ0 को यह निर्देश दिये हैं कि अगर सप्लाई देर से पहुंचती है तो वह सीधे लोकल परचेज करके उपलब्ध करायें। किसी को लौटाये नहीं। दूसरी बात इन्होंने बलिया के बारे में कही कि वहां पर सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध नहीं है। इस सरकार ने इसे मूर्त रूप देने का काम किया है, आगे प्रश्न में आ रहा है। हमने जितने भी रीजनल डायग्नोस्टिक सेन्टर्स हैं उसमें सिटी स्कैन दिया गया है। जनपदों में अभी नहीं दिया गया है। इसमें अगर बलिया शामिल हो तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है ? जब मण्डलों से हमारा मानक जिले स्तर पर आयेगा तो बलिया को प्राथमिकता पर लिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने जो पहले सवाल किया था, उसका उत्तर नहीं आया है, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैंने सरकार से यह पूछा था कि कितने बेड्स हैं और आक्यूपेन्सी कितनी है, कितनी दवा की आवश्यकता है मानक के अनुसार ? आज पांच गुना मरीज ज्यादा हो गये हैं। तो जो आक्यूपेन्सी है उसको बताने में क्या आपत्ति है ? इसके अतिरिक्त जीवन रक्षक दवायें और सामान्य

ए0 पी0 सी0 की गोली में अन्तर है कि नहीं। वैक्सीन चाहे वह जापानी एन्सीफ्लाइटिस की हो या जैसा राम इकबाल सिंह जी ने एन्टी रेबीज की हो, यह औषधि की श्रेणी में आती है कि नहीं और उनकी उपलब्धता है कि नहीं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

अंतिम प्रश्न से चलें एन्टी रेबीज को हम जीवन रक्षक दवाओं में मानते हैं और उसकी उपलब्धता भी है यह मैंने बता दिया है। दूसरी बात ए0 पी0 सी0 की टेबलेट जीवन रक्षक दवाओं, जब मैंने दवाओं की उपलब्धता की बात कही है उतनी राशि हमारे खजाने में ट्रांसफर्ड है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम पूरी गम्भीरता से इस मसले को देख रहे हैं जहां भी कमी होगी उसे हम पूरा करेंगे। जीवन रक्षक दवाओं से जुड़ी हुई प्लास्टर, पट्टी इत्यादि जितनी भी आवश्यक सामग्रियां हैं वह उपलब्ध हैं। जापानी एन्सीफ्लाइटिस की चीन से वैक्सीन आती है उसमें उपलब्धता है मैंने जानकारी दी है। इसीलिये श्रीमन् यह जितने प्रश्न हैं उसका उत्तर मैंने दिया, बार-बार वह शैय्याएं जानना चाहते हैं और मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अगर आपका आंकड़ों में बड़ा शौक है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं मान्यवर, 10 हजार रुपये मानक है एक शैय्या पर और कुल 44 हजार शैय्याएं हैं, लेकिन 10 हजार नहीं श्रीमन् हमने 37 हजार रुपये प्रति शैय्याओं के हिसाब से जो बजट का प्राविजन दवाइयों का है वह दिया है, तीन गुना नहीं, चार गुना और साढ़े तीन गुना से अधिक हमने दिया है मानक से अतिरिक्त और हमने इसलिये कहा कि अकेले शैय्याओं से मानक नहीं बनेगा मानक इसलिये बनेगा कि बहुत सारे मरीज हैं जो बाह्य रोगी के रूप में ओ0 पी0 डी0 में आते हैं और पर्चा दिखाते हैं, दवाई लेते हैं और घर चले जाते हैं, एडमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिये अकेले आंकड़ों में फंसे रहने के कारण इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का नाश हुआ, यह सरकार ठीक कर रही है और हम उसमें दवाइयों की किसी प्रकार की कोई कमी किसी स्तर पर है और न होने देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार का उत्तर असत्य है मैं झूठा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन असत्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यह अपने गिरेबान में झांक कर देख लें यह उत्तर कुछ भी दे दें लेकिन जिले में कहीं भी किसी भी अस्पताल में दवायें उपलब्ध नहीं हैं यह बात मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता पर सरकार खुद भी सुनना चाहती है, सरकार को सुनाना चाहता हूं, यह बिल्कुल झूठा उत्तर दे रही है सदन में।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, इसमें आरोप-प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वाराणसी में शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय चिकित्सालय में अध्यक्ष महोदय पिछले करीब एक वर्ष से ए0 आर0 बी0 इन्जेक्शन की घोर कमी है, लिमिटेड मात्रा में सप्लाई है उसको देखते हुये सैकड़ों लोगों की कतारें लगती हैं और वहां यह व्यवस्था दिया जाता है कि सिर्फ 20 लोगों को इन्जेक्शन उपलब्ध है, तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ सरकार से यह मांग करता हूं आपने जो कुछ भी कहा उसको मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं यह शपथपूर्वक कह सकता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह

सत्य कह रहा हूं आप इसकी जानकारी ले करके आवश्यकतानुसार वहां ए0 आर0 बी0 इन्जेक्शन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक बात, आपने जैसा माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने कहा है हम उसकी जानकारी करा लेंगे और मैंने पूरे प्रदेश के लिये यह बात कही है, एक दूसरी बात मैं स्वीकार करता हूं माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने भी कही और आपने भी कही कि सचमुच में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, जब मान्यवर अस्पताल में मरीज आठ रुपये का पर्चा बनवाता था, दो आने की टिकिया नहीं मिलती थी, तो वह अस्पताल से भाग रहा था आज जब उसका पर्चा एक रुपया हुआ मान्यवर, तो अस्पतालों में अटेंडेंस बढ़ी है यह बात बिल्कुल सत्य है मैं स्वीकार करता हूं और उस मरीज की बढ़ती संख्या के बावजूद हमने बजट भी बढ़ाया है। एक और अच्छी बात अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से दवाओं के मूल्य में कमी आयी है इसलिये इस बजट में हम पहले से ही ज्यादा औषधियां उपलब्ध करा पा रहे हैं श्रीमन् और इसलिये यह जितनी आशंकायें हैं, मान्यवर, यह मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, भारत सरकार की नयी दवा मूल्य नीति के कारण अभी एक भी दवा ऐसी नहीं है जिससे इनके बजट पर प्रभाव भी पड़ जाये उसका। आप भी मान्यवर, बैठकर इनकी असत्य बात को सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सत्य क्या है और असत्य क्या यह उनकी और आपकी बातों से तय नहीं होगा, सत्य क्या है सब जानते हैं ? आप बैठें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इनकी बेचैनी जायज है लेकिन मैंने इनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें। मैं तीसरा प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी को दूर करने के उपाय

*3-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी के कारण मिट्टी के तेल की कालाबाजारी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करके कालाबाजारी को रोकने हेतु कोई उपाय कर रही है , यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)-

जी नहीं। मिट्टी तेल की कालाबाजारी व व्यवर्तन रोके जाने हेतु **थ्री स्टेज चेकिंग** की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 निर्गत किया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है कि आज उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की शार्टेज है चाहे वह विद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई के लिये हो या घरों में आवश्यकता के लिये हो और आज मिट्टी के तेल की खुले बाजारों में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिये और उसके व्यवर्तन यानी डायवर्जन को रोकने के लिये थ्री स्टेज चेकिंग कर रहे हैं मान्यवर। मान्यवर, एक तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा हूं कि यह थ्री स्टेज चेकिंग है क्या और जो 18 दिसम्बर, 1997 को इन्होंने शासनादेश निर्गत किया है उस शासनादेश में प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? हम पूरे शासनादेश की बात नहीं कर रहे हैं हम उस शासनादेश के प्रमुख बिन्दुओं की बात कर रहे हैं, उस शासनादेश में प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? और उन प्रमुख बिन्दुओं पर मान्यवर, प्रदेश में उसका क्रियान्वयन किस दिशा तक हुआ और उसके क्रियान्वयन के लिए कौन सा उपाय शासन ने अपने स्तर से किया है ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न किये हैं। मान्यवर, जो थ्री स्टेज चेकिंग है। इसमें थोक विक्रेता के यहां मिट्टी तेल पहुंचाने का शत-प्रतिशत सत्यापन राजपत्रित अधिकारी से कराया जाता है। दूसरी स्टेज में थोक विक्रेता के यहां से राशन के दुकानदार द्वारा मिट्टी तेल का उठान खाद्य विभाग के आपूर्ति निरीक्षक/पूर्ति लिपिक की उपस्थिति में कराया जाता है तथा तीसरी स्टेज में सामग्री शासन की दुकान पर पहुंचने का शत्-प्रतिशत सत्यापन कराया जाता है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त जहां से शिकायतें मिलती हैं उसमें आकस्मिक चेकिंग के माध्यम से छापे मारे जाते हैं और उसमें जितने लोग पकड़े गये हैं उनकी भी सूची है। उसे पढ़कर सुना सकता हूं।

मान्यवर, मिट्टी के तेल की कमी है प्रदेश में यह मैं मानता हूं। यह बात पहले भी सदन में उठ चुकी है जब बी0पी0एल0 और अन्त्योदय के सम्बन्ध में प्रश्न उठा था। मान्यवर, यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में कई बार केन्द्र से अनुरोध किया गया है कि जो राष्ट्रीय औसत 8.79 का है उससे भी कम मिट्टी का तेल हमें मिल रहा है। इस विषय में वहां से पत्राचार भी किया गया कि कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर तो तेल हमें मिलना चाहिए लेकिन कोई भी सकारात्मक कार्यवाही केन्द्र सरकार की ओर से नहीं हुई है। मैं केन्द्रीय मंत्री जी से मिला हूं हमारे प्रमुख सचिव भी गये थे।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने अपने उत्तर में 1997 के जी0ओ0 का उल्लेख किया है उसके मुख्य बिन्दु कृपया बता दें।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मान्यवर, उसमें यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाय और इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक जनपद एवं तहसील में ऐसे राशन माफियाओं की पहचान की जाये तथा उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाये जो कमजोर/बेरोजगार व्यक्तियों को सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित करा कर स्वयं अपरोक्ष रूप से कारोबार करते हैं। ऐसे कुछ राशन माफिया अनेक जनपदों व तहसीलों में सक्रिय हैं। क्योंकि करोबार में ये लोग प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हैं अतः इन्हें कानून का कोई भय भी नहीं

रहता है। अनियमितता पकड़े जाने पर सम्बन्धित राशन विक्रेता ही दंडित होता है। यह मनोवृत्ति कुछ राशन माफियों को अनुसूचित वस्तुओं की कालाबाजारी करने के लिए बल प्रदान करती है। ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय राशन माफिया आपूर्ति व्यवस्था में कुछ स्तरों पर अपनी घुसपैठ बनाये हुए हैं। अतः इन्हें चिन्हित कर इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले तथा इन्हें सहयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर दण्डित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय। दूसरा बिन्दु यह है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि मिट्टी के तेल को ब्लैक में खरीदने वालों में पेट्रोल पम्प, डीजल के पेटी डीलर, कारखानेदार तथा मिट्टी तेल के थोक विक्रेता हो सकते हैं। शासन को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं कि कतिपय थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को मिट्टी तेल की कागजी आपूर्ति करते हैं तथा कुछ फुटकर विक्रेताओं से उनके आवंटित तेल को अपने ही गोदाम पर छोड़ देने के लिए मजबूर करते हैं या पर्याप्त प्रलोभन देकर इनसे मिट्टी का तेल ले लेते हैं। ऐसे थोक विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाये तथा पकड़े जाने पर इनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। तीसरा बिन्दु है कि अपूर्ति व्यवस्था से जुड़े भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ अभियान चला कर उनके विरुद्ध कड़ी भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। मान्यवर, यह थ्री स्टेज चेकिंग की व्यवस्था के कुछ बिन्दु हमने बताये हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि जो मिट्टी का तेल आज जो ब्लैक हो रहा है खुले बाजार में 30-35 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था की है। मान्यवर, आपने कहा है कि मिट्टी के तेल की कमी है और जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम मिल रहा है। मान्यवर, जो उपलब्धता है आज प्रदेश में पी0डी0एस0 व्यवस्था के माध्यम से उसमें लोगों को न मिलकर खुले बाजार में ब्लैक में मिल रहा है। उसकी पेट्रोल पम्पों में मिलावट हो रही है वहां भी वह जा रहा है। आपने थ्री स्टेज चेकिंग की व्यवस्था की बात जो बतायी है अगर वास्तविक रूप में वह चेकिंग हो जाये तो उसके अच्छे परिणाम आयेंगे। अब जैसे थोक विक्रेता के यहां से जब उठाना होगा तो उसकी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसी तरीके से पी0डी0एस0 में जो व्यवस्था है उसमें सप्लाई इन्सपेक्टर व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। मान्यवर, इस थ्री स्टेज चेकिंग सिस्टम की व्यवस्था के बावजूद जैसा कि आपने शासनादेश में भी स्वीकार किया है कि मिट्टी के तेल की मिलावट डीजल और पेट्रोल में हो रही है और वह ब्लैक में बिक रहा है। तो जो आपकी थ्री स्टेज चेकिंग की व्यवस्था है वह फूल प्रूफ नहीं हो रही है। बड़े पैमाने पर इसमें जो शिकायतें हैं उनको ठीक करने के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, क्योंकि आज आम आदमी को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है जो उसकी बुनियादी आवश्यकता है। मान्यवर, आपकी जो पी0 डी0 एस0 के माध्यम से व्यवस्था है या जो आपकी वितरण प्रणाली है उसमें मिट्टी के तेल की उपलब्धता की व्यवस्था को सुनिश्चित करायेंगे। मान्यवर, यह शासन का दायित्व भी है। आज प्रदेश के सुदूर अंचलों में और ग्रामीण अंचलों में मिट्टी का तेल लोगों को नहीं मिल रहा है क्या इस कठिनाई के निवारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है। कृपया उसे बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

कोई कार्य योजना बनायेंगे जिससे कि सुनिश्चित हो जाय।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि थ्री स्टेज चेकिंग चल रही है और इसके अतिरिक्त जहां भी शिकायतें मिलती हैं उदाहरण के लिये 01 अप्रैल, 2006 से 30 सितम्बर, 2006 के बीच में कुल 14,458 छापे मारे गये, 605 एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी, 244 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 24007672 की प्रतिभूमि/मूल्य की वस्तुयें जब्त की जा चुकी हैं। 01 जून से 30 सितम्बर, 2006 तक की अवधि में 41,965 लीटर मिट्टी का तेल, 8,955 लीटर डीजल तथा 3500 लीटर पेट्रोल पकड़ा गया तथा उसे जब्त किया गया है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है।

97 के जिस शासनादेश की हम बात कर रहे हैं उसमें थ्री स्टेज को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात करी गयी थी और उसके बाद इसको लागू किया गया है प्रभावी ढंग से। जो मैंने यह निवदेन किया है यह थ्री स्टेज चेकिंग के अलावा की बात है जो छापे पड़े हैं और लोग पकड़े गये हैं और दण्डित किये गये हैं। मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिये सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और समय-समय पर यह कार्रवाई होती रहती है। लेकिन, जितनी मांग है उतना तेल हमारे पास नहीं है और तेल की हम मांग कर रहे हैं और न्याय भी यही कहता है केन्द्र हमको अधिक नहीं तो राष्ट्रीय औसत के बराबर तेल उपलब्ध कराये ताकि आम आदमी को जो तेल नहीं मिल पा रहा है वह वंचित न रहने पाये। जितने भी लाभार्थी हैं सबके घर में तेल पहुंचे।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यहां उन लोगों के बारे में चर्चा हो रही है इस प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो निहायत गरीब हैं, मेरी भी जिज्ञासा है। माननीय पाल साहब की इतनी समसामयिक बात है कि 40 रुपये लीटर और 35 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। हर बार एक सा उत्तर आता है कि हम थ्री स्टेज सिस्टम बनाये हुये हैं। सबसे बड़ी प्राब्लम यही है कि दुकानें वही पकड़ी जाती हैं जो समय से हिसाब नहीं पहुंचाते हैं अधिकारियों को। मान्यवर, यह पूरा विभाग मेलजोल में फंसा हुआ है। वास्तव में यदि मंत्री जी इस विभाग को ठीक करना चाहते हैं तो असल में कोई कोटेदार दोषी नहीं है पूरे विभाग के आफिसर्स नीचे तक इंस्पेक्टर तक इसमें शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सी0 बी0 आई0 की जांच कराने पर विचार करेंगे ऐसे घपलों के खिलाफ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

उसमें जांच हुई और जांच के बाद जेल हुई फिर सी0बी0आई0 का क्या मतलब है ? कोई आप घपला बताइये फिर जांच की बात कीजिये। जो जांच हो गयी उसकी सी0 बी0 आई0 जांच का क्या मतलब ?

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, अनेकों बार इस हाउस में यह बात कही गयी। अभी माननीय मंत्री जी ने अंत्योदय और अन्नपूर्णा का जिक्र किया था। यह बात सही है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न तो करिये, यह प्रश्न प्रहर है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आप ही तो पूछे थे घुमाकर। मान्यवर, गांव के गांव का लाल कार्ड बदल दिया गया ईर्ष्या से रंजिश से, 88 लोगों का बदल दिया गया कारण क्या है आप समझ सकते हैं। हमारे क्षेत्र में नगर में, रसड़ा में 40 रुपये लीटर मिट्टी का तेल धड़ल्ले से बिक रहा है, कोई भी खरीद सकता है माननीय मंत्री जी खुद लाल बत्ती हटाकर जाकर खरीद सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसकी जांच करा लें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, अनेकों बार जांच होती है और जांच में एक शिकारी को और गोश्त खाने का अवसर मिल जाता है। मैं कह रहा हूं कि सी0 बी0 आई से जांच करा दें, माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लें। माननीय मंत्री जी, राशन तेल की ब्लैक मेलिंग रोकने की सी0 बी0 आई0 से जांच करायेंगे ?

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, जहां भी ऐसी घटनायें हुई हैं, कार्यवाही हुई है राशन के दुकानदारों के खिलाफ मुकदमें चलाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो मंत्री जी बतायेंगे यह आप क्यों बता रहे हैं, आप बैठिये ?

माननीय राम इकबाल सिंह जी के यहां जांच करा लीजिये जहां यह हो रहा है।

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मान्यवर, राम इकबाल सिंह जी, खाद्य विभाग की स्थाई समिति के सदस्य हैं उनका मार्ग-दर्शन हमें मिलता रहता है हर मीटिंग में। उनके बताये हुये रास्ते पर ही हम लोग चलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इनके कोटेदारों की जांच करा दीजिये, सब ठीक हो जायेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इलाहाबाद में कई ऐसे स्थान है, जहां छात्र काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और वह स्टोव जलाकर खाना बनाते हैं। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे छात्रों के लिये मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिये कोई विशेष व्यवस्था या अलग दुकान खोलेंगे। हमें कई राशन की दुकानों की जानकारी है। इनका जो इंस्पेक्टर होता है, उसका हर दुकान से पैसा बंधा होता है, इसलिये तेल ब्लैक में बेचा जाता है तो जो लोग पैसा ले रहे हैं और तेल की कालाबाजारी हो रही है तो क्या पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

छात्रों के लिये अलग से कोई व्यवस्था करा सकेंगे ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

पहले माननीय राम इकबाल जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछा है।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मान्यवर, बलिया में जो उन्होंने कालाबाजारी का जिक्र किया, वह वहां के जागरूक विधायक हैं और हमारी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उनका मार्गदर्शन हमें बराबर मिलता रहता है लेकिन फिर भी माननीय विधायक जी के यहां के जो कोटेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ाई से जांच कराने का मैं आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इससे तो इनकी परेशानी बढ़ जायेगी।

श्री राम इकबाल सिंह-

जो जांच अधिकारी होते हैं, वह पैसा लेने में लिप्त हैं, कोई कोटेदार ब्लैक नहीं करता है, अधिकारी ही महीना लेते हैं। रही बात सलाहकार समिति की, तो साढ़े 3 वर्ष में सिवाय एक बार के यह बैठक बुलाये ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो कड़ाई से जांच का आदेश दे दिया है, अब आप बैठिये।

श्री राम इकबाल सिंह-

इस लूट में सरकार भी शामिल है, इसलिये अधिकारियों की जांच होनी चाहिये। एस0 डी0 एम0 तक महीना लेता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, भाषण क्यों दे रहे हैं, अब आपका नहीं लिखा जायेगा।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मान्यवर, बैठक न बुलाने की बात मिथ्या है, गलत है। बराबर बैठक होती रही है, आपको सूचना भी जाती रही है, अब आप नहीं पहुंचे तो यह आपकी कमी है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है।

आदरणीय गौर साहब ने जो कहा है, एक प्रतिशत छात्रों के लिये परमिटेड है और वह पहुंचेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, राम इकाबल जी ने जो बात कही है, वह शत-प्रतिशत सही है, भ्रष्टाचार पूरी तरह चरम सीमा पर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भदोही जनपद में सड़क के किनारे खुलेआम मिट्टी का तेल पेट्रोल पम्प पर बेचा जा रहा है। खाद्य सचिव का यहां से आदेश भी गया, लेकिन इसके बावजूद जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इंडियन आयल का पम्प है और वह लिखकर दिया है कि मैं डीजल का सप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसके

बावजूद वह मार्केट से मिट्टी का तेल लाकर बेच रहा है फिर भी आज तक कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं हुयी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खाद्य सचिव को जो आदेश गया कि इसको तुरन्त सीज किया जाय तो क्या माननीय मंत्री जी उस पर कार्यवाही करायेंगे ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

मान्यवर, निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। माननीय विधायक जी ने यदि पहले अवगत कराया होता तो अब तक कार्यवाही हो चुकी होती, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 के प्रश्नकर्ता डा0 सुशील चौधरी तथा तारांकित प्रश्न संख्या-5 के प्रश्नकर्ता श्री रवीन्द्र पुण्डीर का नाम पुकारे जाने पर वे उपस्थित नहीं थे)

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों को हायर डाइग्नोस्टिक सेन्टर के रूप में विकसित करने की योजना

*4-डा0 सुशील चौधरी (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों को हायर डाइग्नोस्टिक सेन्टर के रूप में विकसित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में तथा उसके अन्तर्गत क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद ललितपुर तथा मण्डलीय जनपदों पर विशिष्ट चिकित्सा उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय निदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जो पर्याप्त है। अतः इसके दृष्टिगत अन्य कोई योजना विचारणीय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के नियन्त्रण की जानकारी

*5-श्री रविन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हां।

एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति जुलाई, 2000 में प्रख्यापित की गई है जिसमें चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि से जुड़े अन्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, निजी तथा औद्योगिक इकाईयों के प्रयास से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

*6-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा (ब्लड टेस्ट, एक्सरे आदि) उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0 डी0 एस0) के अन्तर्गत सफेद कार्ड धारकों की पहचान गरीबी रेखा से नीचे जीवंन यापन कर रहें व्यक्तियों के रूप में की गयी है और उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्राविधान शासनादेश संख्या-984/5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28 जून, 2000 के प्रस्तर-4 में की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुंशी लाल गौतम-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा प्रश्न था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा (ब्लड टेस्ट, एक्स-रे आदि) सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि एक गरीब महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल गयी थी, डॉक्टर ने कहा कि आप अपने बच्चे का ब्लड टेस्ट करा करके लाइये। मान्यवर, मैं एक सुनार की दुकान पर ही बैठा था और उस महिला ने अपने नाक की लौंग और कान की बाली उतारकर सुनार को दी ताकि वह अपने बच्चे का इलाज करा सके। लेकिन मान्यवर, ब्लड टेस्ट कराने में 120 रुपए का बिल बना और उस महिला की लौंग और कान की बाली केवल 50 रुपए की ही बिकी थी। मान्यवर, हास्पिटल के डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए लिख दिया और उस महिला के पास जब ब्लड टेस्ट का ही पैसा पूरा नहीं हुआ तो आगे की दवाएं वह कहां से लायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछें कि क्या सुविधा है ?

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निःशुल्क चिकित्सा की अस्पताल में क्या सुविधा है ? और उत्तर प्रदेश में कितने सफेद कार्ड-धारक हैं, अस्पताल में ब्लड-टेस्टिंग की क्या सुविधा है और हर जगह यह सुविधा है या नहीं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह खेद का विषय है कि माननीय सदस्य मुंशी लाल गौतम जी नाक की कील और बाली उतरवाने से लेकर उसकी जांच करवाते रहे। मान्यवर, बाली और कील उस महिला ने बेच दी और इनकी उपस्थिति में भी सुनार ने उस महिला को लूट लिया, अगर एक ग्राम का भी सामान था तो

भी उस सुनार ने उस महिला को 50 रुपए ही दिये। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि यह उनकी आंखों की देखी बात है। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आप जैसे जागरूक विधायक की मौजूदगी में उस महिला की कील उतारी गई और बाली उतारी गई और बेचने पर भी उसको केवल 50 रुपए ही मिले जबकि ब्लड टेस्ट कराने के 120 रुपए हुए। यह दुःखद स्थिति है, मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई दुर्घटना अगली बार इनकी आंखों के सामने न घटित हो, जिसमें किसी महिला को अपनी बाली और कील बेचनी पड़े और वह किसी सुनार के द्वारा लूट ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

कृपया उत्तर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह महाभारत में दुर्योधन की तरह चीर-हरण कर रहे हैं, कोई संवेदनशीलता है ही नहीं, एक माननीय सदस्य ने एक गम्भीर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और सरकार द्वारा उसका उपहास उड़ाया जा रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

एक विधायक अपनी आंखों के सामने कील उतरवा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती, गन्दी बात है यह।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपको उत्तर देना चाहिए, यह कोई तरीका नहीं है। आप बाली उतरवा रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

ऐसा आप ही कर सकते हैं, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ही कर सकते हैं, आपने कील उतरवाया, मैंने नहीं, यह शर्मनाक बात है। एक विधायक कहे कि मेरी मौजूदगी में किसी महिला की कील उतारी गयी, शर्म आनी चाहिए। इनकी मौजूदगी में कील उतारी गई, शर्म से डूब मरना चाहिए।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपकी व्यवस्था के कारण कील उतर गई।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो सवाल किया है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए क्या-क्या सुविधायें हैं ?

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह जी माननीय मंत्री जी को उत्तर दे देने दीजिए, फिर आगे बढ़े।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अनावश्यक रूप से उत्तेजना बढ़ रही है। एक बहुत संवेदनशील मामला उठाया, यह इनकी उपस्थिति में हुआ या अनुपस्थिति में हुआ, क्या परिस्थिति बनी, किन कारणों से हुआ, क्या मजबूरी थी यह विचारणीय प्रश्न है। अगर माननीय मंत्री जी इसको गम्भीरता के साथ लेते तो यह कहते कि यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक विधायक का भी मजाक बना रहे हैं कि इनकी मौजूदगी में यह होता रहा। आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको स्थिति सम्भालनी चाहिए थी बजाए इसके कि आप विधायक का मजाक बनाते। मान्यवर, मैं आपसे हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इस बात से अत्यन्त दुःखी हुआ और इससे अधिक पीड़ा की बात और नहीं हो सकती थी। यह संवेदनशील मामला है। मुझे भी आघात लगा, मैं भी विधायक हूं। यह पीड़ादायक बात हो सकती है, किसी विधायक की मौजूदगी में यह घटना नहीं होनी चाहिए, कोई विधायक इतना गन्दा नहीं हो जायेगा। यह मैं नहीं मान सकता।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, विषय को विषयान्तर नहीं करना चाहिए। एक माननीय विधायक ने यह बताया कि ऐसी घटना हुई। एक महिला को दवा न मिले, ब्लड टेस्ट न हो और उसे अपने नाक की कील बेचनी पड़े, यह घटना का असली स्वरूप यह है कि कितनी दर्दनाक बात है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। नाक में कील पहने है तो वह भी बिक गयी। केवल इसी बात को लेकर सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। मान्यवर, आप सदस्यों को शांत करिये।

(कई सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें।

श्री लालजी टण्डन-

सही परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर दिया जाना चाहिए। यह कहते कि नहीं सभी जगह सुविधा है, वह कह रहे हैं कि नहीं है। इसके बारे में कोई संतोषजनक बात निकलनी चाहिए बजाए इसके कि आप घुमाकर कह रहे हैं कि विधायक ने बिकवा दी। आपके यहां तो विधायकों के सामने जाने क्या-क्या हो रहा है ? अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत अप्रिय हो जायेगा। ....(शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चूंकि आक्षेप लगाया गया, गम्भीर आक्षेप की बातें कही गयीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसमें ऐसी परिस्थिति एक विधायक के सामने नहीं होनी चाहिए, चूंकि आक्षेप लगाया गया इसलिए कह दिया।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अगर विधायक के सामने यह परिस्थिति आयी तो माननीय सदस्य ने सदन में अवगत कराया। मंत्री जी कहते कि दोषी डाक्टर जिसने ऐसी परिस्थिति पैदा की जिसमें महिला को नाक की कील बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर देने देंगे तब तो देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर तो सुन लीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उन्होंने एक आक्षेप लगाया, एक घटना का जिक्र किया। मान्यवर, जो हुआ उसको ड्राप करता हूं। माननीय श्याम देव राय चौधरी ने जो कहा उसको ड्राप करते हुये, आप प्रश्न पूछ लें मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

उनका प्रश्न यह है कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को क्या-क्या चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जिनकी पहचान भी है, उनका कार्ड है और वह परिभाषित हैं। गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन का एक रुपया देना पड़ता है और अगर उनको भर्ती करना होता है तो उसका 5 रुपया देना पड़ता है। इस एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के अलावा उसकी पूरी जांच चाहे वह पैथालोजी की जांच हो या एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड की जांच कराना हो या रिफरल डायग्नोस्टिक सेंटर पर जायं तो उसकी बड़ी जांच कराना हों या आपरेशन कराना हो तो उसकी पूरी चिकित्सा मुफ्त है। अगर कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर गम्भीर और कठोर कार्यवाही सरकार करायेगी। दूसरी बात अगर कार्ड नहीं भी हो तो हमने चिकित्सक को अधिकृत किया है कि यदि वह फटे कपड़ों में हो या बिल्कुल निराश्रित लग रहा हो या ऐसी स्थिति हो कि उसका कोई वारिस न हो, एक्सीडेंट हो जाय, चोट लग जाय, लावारिस हो तो उसके लिये भी पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। इसमें सभी तरह की दवाइयां, आपरेशन उसकी जांच, सभी चीजें शामिल हैं।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, एक महिला को विवश होकर, अपने बच्चे के इलाज के लिये यदि वह अपनी नाक की कील बेचकर इलाज कराने जाती है...

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

जब बेचा था और बेचती थीं, तो वह 29 अगस्त, 2003 के पहले बेचती थी, इसकी जांच करवा लीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं, कि राजस्व मंत्री जी को घुमा फिराकर जवाब देने में आनन्द आता है जिससे कि वास्तविक उत्तर न आ पाये। मैं जानना चाहता हूं कि निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था में विशेषकर ब्लड टेस्ट और एक्सरे की सुविधायें किन-किन स्थानों पर उपलब्ध हैं। किस तरह के अस्पतालों में यह सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जितने शासकीय चिकित्सालय हैं, उनकी चाहे जो श्रेणी हो, एडीशनल पी0एच0सी0, पी0एच0सी0, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल रिफरल सेंटर्स, रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर्स, प्रत्येक स्तर पर यह सुविधायें हैं। जिन अस्पतालों में जो सुविधायें उपलब्ध हैं, जहां जो सुविधायें उपलब्ध हैं वह सुविधायें उन्हें दी जाती हैं। जो सुविधायें सशुल्क हैं और दूसरे मरीजों को दी जाती हैं तो मान्यवर, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको वही सुविधायें निःशुल्क दी जाती हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग जाते हैं उनसे प्रमाण के रूप में राशन कार्ड मांगा जाता है लेकिन यह तथ्य सारा सदन जानता है कि बहुत भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन का कार्ड नहीं होता है और वह इलाज में सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सांसद या विधायक द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र कि अमुक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है उसको उस प्रमाण-पत्र पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी व इसकी व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

इसमें सांसद या विधायक के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है नहीं कि अमुक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है हमने तो पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति शक्ल, कपड़ों आदि से भी लगता है कि वह गरीब व्यक्ति है तो डाक्टर्स को यह अधिकार है कि वह उसकी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कर सके। अगर कोई सांसद या विधायक लिख देता है तब तो उसका वेटेज है ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो डाक्टर को भी अधिकार दे दिया है कि वह ऐसे लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कर सके। इसमें विधायकों और सांसदों पर प्रमाण-पत्र देने का भार न डाला जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई विधायक या सांसद मदद करना चाहे तो उसको अस्पताल में मदद मिलेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो भी सुविधाएं अनुमन्य हैं चाहे एक्स-रे की सुविधा हो या पैथालॉजी की वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को निःशुल्क दी जायेंगी।

जब मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि चाहे एक्स-रे की सुविधा हो या पैथालॉजी की सुविधा हो या सी0टी0 स्कैन की सुविधा हो वह देंगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है जैसे हमारे यहां बस्ती जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन की मशीन लगी है लेकिन उसके डाक्टर नहीं हैं, एक्स-रे मशीन लगी है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, लैब है लेकिन पैथालॉजिस्ट नहीं हैं, सर्जन नहीं है। आज बस्ती जिला अस्पताल में आपरेशन नहीं हो रहे हैं एनेस्थीसियन नहीं हैं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं वहां पर 67 पद स्वीकृत हैं लेकिन 17 डाक्टर्स कार्यरत हैं इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करेगी, डाक्टरों को तैनात करेगी जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को चिकित्सा सुविधा मिल सके ? इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

यद्यपि पाल साहब का प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल अलग हटकर है। डाक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भिन्न है। प्रश्न है कि क्या सरकार गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी ? तो समाजवादी की सरकार ने डा0 राम मनोहर लोहिया के सिद्धान्त दवा पढ़ाई मुफ्त होगी को अपना मार्ग दर्शन बनाया है। पूर्व में इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। हमने आगे बढ़कर काम किये। आज भी काफी कठिनाइयां हैं। कितनी जगह चिकित्सकों की आवश्यकता है लेकिन उनकी उपलब्धता न होने के कारण हमने संविदा पर भी रखा ताकि चिकित्सा स्वास्थ्य का लाभ आम नागरिक को मिल सके। अभी उच्च न्यायालय ने चिकित्सकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश पारित कर दिया जिसके अनुपालन में भी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं जिस कारण से भी चिकित्सकों की भर्ती नहीं हो पाई। जहां पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे वहां पर उनकी भर्ती तत्काल नहीं हो सकती थी क्योंकि हम पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिट भेजते हैं और वहां फिर वह एक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करके उपलब्ध कराते हैं। इसलिये मैं यहां पर यही अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिये संविदा पर भी चिकित्सकों को रखकर प्रयास किया है कि स्वास्थ्य सुविधायें आम गरीब व्यक्ति को जो नर्सिंग होम नहीं जा सकते हैं, सरकारी अस्पताल पर ही निर्भर हैं उनको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके। मेडिकल कालेज की बात नहीं करना चाहता उसका अलग प्रश्न है लेकिन प्रसंगवश कह दिया। सभी जगहों पर चिकित्सक मिल सकें इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है और बराबर प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी चिकित्सकों की जितनी संख्या अपेक्षित है वह हमको मिल सकें। इस तरह के प्रयास पूर्ववर्ती सरकारें भी करती रही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस बारे में प्रयास नहीं किया। वे भी करती रही हैं और यह सरकार भी कर रही है और इस तरह के कदम उठाये हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रयत्नशील हैं। चिकित्सकों की कमी नहीं रहने दी जायेगी उनकी उपलब्धता हेतु हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगले प्रश्न पर डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इस प्रश्न को ले लेने दीजिये। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आ गये हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, डा0 विनोद तिवारी को प्रश्न कर लेने दीजिये।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुंशी लाल गौतम जी ने अति संवेदनशील प्रश्न इस सदन में उपस्थित किया और उस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करिये। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं ?

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस डाक्टर की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

उन्होंने किसी चिकित्सक का नाम नहीं लिया लेकिन मैं सदन में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कहीं से भी यदि कोई शिकायत मिलती है तो उस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की जायेगी और उसको दण्डित किया जायेगा जो दोषी होगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, ब्लड टेस्ट होता है। जहां तक शुगर के लिये टेस्ट की बात है वह तो लोग घरों में ग्लूकोमीटर से कर लेते हैं। लेकिन कुछ जांच ऐसी होती है जिनके लिये बड़ी लैब चाहिये। आपके अस्पतालों में यह लैब है ही नहीं तो यह ब्लड टेस्ट कैसे होगा ? ब्लड प्रोफाइल टेस्ट की जरूरत होती है जिससे चिकित्सक जांच करते हैं कि कौन सा रोग है। उस रोग को डाइग्नोज करने के लिये जो टेस्ट होता है उसके लिये बड़ी लैब की आवश्यकता होती है ताकि ब्लड की एनालिसिस हो सके। आपके अस्पतालों में इस तरह की लैब नहीं हैं। यह जो प्राइवेट डाइग्नोस्टिक सेन्टर हैं इनके पास बड़ी लैब हैं, इनके अपने दवाखाने हैं। आपके अस्पतालों के डाक्टर अपना कमीशन बनाने के लिये पर्ची लिख देते हैं कि फलां जगह जाकर आप टेस्ट करवाकर आयें। इसमें गरीब और अमीर सारे विवेक धरे रह जाते हैं क्योंकि इसमें उनका अपना स्वार्थ होता है। इस पर आपको प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि गरीब का शोषण न हो। दूसरी बात यह कहनी है कि कम से कम जिले में एक जगह यह व्यवस्था हो जहां पर खून की जांच जिस प्रकार की अपेक्षित है वह हो सके।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अनेक जांच ऐसी हैं। मुझे स्वयं एक बार जांच के लिये आवश्यकता हुई तो मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया। तो मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि मुझे जिसकी जांच करानी थी, जिसका टेस्ट कराना था सारकाडोसिस का, उसकी जांच पूरे देश में दो जगह हो सकती थी, एक रैनबैक्सी बाम्बे में और डा0 लाल पैथालॉजी दिल्ली में, पूरे देश में दो जगह सुविधा थी। एम्स में भी उसकी सुविधा नहीं थी, एम्स से बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। बाकी पूरे देश में कोई दूसरी लैब नहीं थी रैनबैक्सी बाम्बे और डा0 लाल पैथालॉज दिल्ली के अलावा तीसरी लैब पूरे देश में नहीं थी इसलिये

सभी जांच के लिये नहीं कह सकते हैं लेकिन हमारे पास पैथालाजी की जो लैब उपलब्ध हैं प्रत्येक जनपद में सामान्यतया सारी जांचें हो जाती हैं और उनसे ऊपर जो विशिष्ट जांचें ऐसी हैं वह रीजनल डायग्नोस्टिक सेन्टर हैं हमारे प्रदेश में 18 हैं, सभी मंडलों में हैं और उसके अतिरिक्त हैं। 18 रीजनल डायग्नोस्टिक सेन्टर हमारे हैं इसमें खून के जांच की और पैथालॉजी की बहुत उन्नत लैब हैं उनसे जांच कराते हैं। एक शिकायत यह अलग है कि कोई डाक्टर जानबूझकर कमीशनखोरी के लालच में अपने यहां जांच न कराकर यह कहता है कि विश्वसनीय नहीं है और उपलब्ध है, तभी भी यह कहता है कि इसकी जांच सरकारी लैब में ठीक नहीं आयेगी और प्राइवेट करा लो फलां जगह से करा लो और वहां से कमीशन बंधा है ऐसी शिकायतें संभव हैं लेकिन जांच उपलब्ध नहीं है सरकारी अस्पतालों में, यह गलत है। पैथोलॉजी की हमारी लैब इतनी उन्नत हैं और सभी जगहों पर सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध हैं। अगर कोई भी इस तरह की शिकायत मिलेगी कि कोई चिकित्सक कमीशनखोरी के चक्कर में जानबूझकर अपने लैब को विश्वसनीय बनाता है और सरकारी लैब को अविश्वसनीय बताता है वहां मरीजों को कमीशनखोरी के चक्कर में भेजता है तो मान्यवर, हम इसमें जांच करेंगे, कार्यवाही करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं उसके लिये तो 50, 100 या 200 रुपये ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी बचत करने के लिये क्या प्रत्येक सी0 एच0 सी0 पर ब्लड टेस्ट, एक्सरे, आपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रत्येक सी0 एच0 सी0 पर एक्सरे, आपरेशन और खून जांच की सुविधा उपलब्ध है। अगर किन्हीं कारणों से एक हफ्ते से मशीन खराब है या आपरेशन के लिये सर्जन उपलब्ध नहीं है या एनेस्थेटिक नहीं है तो उसका प्रबन्ध कर रहे हैं प्रत्येक सी0 एच0 सी0 पर आपरेशन सर्जन, एक्सरे और खून की जांच की सुविधा उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष-

गौर जी प्रश्न पूछे। डा0 तिवारी जी आप मा0 सदस्य को क्यों उत्तेजित कर रहे हैं ?

डा0 विनोद तिवारी-

मेरा सीधा सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

सीधा सवाल नहीं है। कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री मुंशी लाल गौतम-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(शोर)

नोट :-[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाने में की गयी अनियमितता

*7-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर अनियमितता तथा धांधली के दृष्टिगत क्या सरकार चयनित कार्डधारकों की अन्तिम सूची का प्रकाशन क्षेत्रीय दैनिक हिन्दी समाचार-पत्रों में कर आपत्तियों का सत्यापन कराने पर विचार करेगी ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी नहीं।

समाचार पत्र में सूची प्रकाशित कराये जाने की उपदेयता नहीं है क्योंकि बी0 पी0 एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों के नामों की सूची संबंधित उचित दर पर दुकान पर एवं ग्राम पंचायत भवन पर प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा जनपद की लोकवाणी बेवसाइट के माध्यम से विकास खण्डवार, ग्रामवार कार्डधारकों की सूची प्रदर्शित किये जाने की भी व्यवस्था की गई है।

(डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष-

मेहरोत्रा जी नहीं हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

हमारी रुचि है मान्यवर, राशन कार्ड फर्जी बनाने की बात है ..

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी को उत्तर पढ़ लेने दीजिये। (उत्तर पढ़ा गया)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, नगर निगम के चुनाव थे। भारी मात्रा में शहरों के अन्दर फर्जी राशन कार्ड बने उससे मतदान हुआ तो फर्जी राशन कार्ड का पता लगाना दिक्कत है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री जी से कहूंगा कि जो हमारे असली राशन कार्ड हैं क्या उनकी स्टैम्पिंग या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रदेश में जो फर्जी राशन कार्ड बने हैं भविष्य में उनका दुरुपयोग न किया जा सके ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया-

फर्जी राशन कार्ड बनने का कोई प्रकरण हमारे सामने नहीं आया है आएगा तो उसमें कड़ी कार्यवाही की जायेगी और उसके निदान के लिये भी हम चिन्ता करेंगे। मा0 गौर साहब का जो आरोप है यह किसी भी माननीय विधायक किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी मा0 मंत्री जी द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमने कहा कि जो सही राशन कार्ड हैं, उनकी स्टैंपिंग करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के फार्मेसिस्ट पद पर पदोन्नति की मांग

1-श्री बादशाह सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, जो निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को तृतीय श्रेणी के फार्मेसिस्ट के पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु मा0 सदस्य, विधान सभा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह के पत्र सं0 ख-3 नं0 370624 दिनांक 6-5-05 एवं मा0 श्री राजाराम पाण्डेय, मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग के पत्र सं0-515/वी0आई0पी0/ एम0 के0 आई0/2005, दिनांक 11-4-05 तथा श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 18-3-05 एवं डा0 विनोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 17 मार्च, 05 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 से सूचना प्राप्त की गयी। उ0 प्र0 होम्योपैथिक भेषजिक नियमावली, 1991 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के फार्मेसिस्ट के पद पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गंगा देवी विद्यालय बल्दीखेड़ा, कानपुर रोड लखनऊ के विद्यालय का ताला खुलवाने की मांग

2-श्री भगेलू राम-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त श्रीमती गंगा देवी विद्यालय बल्दीखेड़ा, कानपुर रोड, लखनऊ के प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवन में ताला लगा दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार खुले आसमान में शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये बने विद्यालय भवन का ताला खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हां।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रश्नगत विद्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु प्रबन्धक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-2558(एमएस)/04 श्रीमती रेखा कुमारी बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 29-6-04 के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी आदेश दिनांक 7-12-04 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय के स्थान परिवर्तन की अनुमति एवं स्थान परिवर्तन का आदेश दिया गया, जिसका पालन प्रश्नगत विद्यालय के शिक्षकों ने नहीं किया है तथा वे उक्त विद्यालय के खुले प्रांगण में ही छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं।

प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित प्रबन्धक श्रीमती रेखा कुमारी की रिट याचिका अभी मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन बेसिक शिक्षा विभाग के आदेशाधीन हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण में हुई गड़बड़ियों के सत्यापन की मांग

3-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश संख्या 2849/71-2-2001/9 स्था0/001, दिनांक 22-6-2001 के द्वारा चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के स्थानान्तरण की सूची में क्रमांक-47 व 75 में अंकित चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण क्रमशः जनपद-जालौन से झांसी एवं जनपद-हमीरपुर से बांदा जनपद हेतु किया गया है ? क्या उक्त चिकित्साधिकारी वर्तमान में इन जनपदों में सेवारत हैं ? क्या स्थानान्तरण सूची में हुयी गड़बड़ियों का सत्यापन मंत्री स्तर से जनपदवार कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सूची में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

सूचना एकत्र की जा रही है।

कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी के प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को सुपर स्पेसेलिस्ट संवर्ग में रखने पर विचार

4-श्री शहजिल इस्लाम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुपर स्पेसेलिस्ट चिकित्सक के लिये एम0 डी0 मेडिसिन एवं एम0 एस0 सर्जरी/डी0एम0एम0सी0एच0 एवं एम0 डी0 प्लस के प्रशिक्षण की अर्हता निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार एम0 डी0 मेडिसिन के उपरान्त कार्डियोलॉजी, न्यूरोलाजी अथवा नेफ्रोलॉजी के प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को भी सुपर स्पेसेलिस्ट संवर्ग में रखने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, नहीं। पी0एम0एच0एच0 संवर्ग की प्रख्यापित नियमावली, 2004 में विशेषज्ञ उप संवर्ग हेतु स्नातकोत्तर (डिप्लोमा/एमडी/एमएस) डिग्री की अर्हता निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर नियमित रूप से पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी जानकारी

5-श्री रामहेत भारती-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माह जनवरी, 2006 में कितने होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर नियमित रूप से पदोन्नति की गयी है ? क्या यह सही है कि कुछ ऐसे चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति की गयी है जिन्होंने अपने गृह जनपद परिवर्तन हेतु शपथ-पत्र शासन में प्रस्तुत किया था और शासन द्वारा जांच कराने पर असत्य पाये गये ? यदि हां, तो उनको प्रोन्नति दिये जाने के दोषी कौन हैं ? क्या सरकार उनकी प्रोन्नति निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

माह जनवरी, 2006 में 28 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पद पर की गयी है।

पदोन्नत जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों में डा0 कुलदीप माथुर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बाराबांकी द्वारा चिकित्साधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान गृह जनपद परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर जांचोपरान्त गृह जनपद को परिवर्तित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया तथा उनका गृह जनपद लखनऊ मानते हुए शासनादेश दिनांक 12-09-2005 द्वारा जनपद लखनऊ से स्थानान्तरित कर जनपद बाराबंकी में तैनात किया गया।

सामान्यतः प्रोन्नति के समय विभागीय चयन समिति द्वारा स्थापित नियमों के अन्तर्गत विगत वर्षों की चरित्र प्रविष्टियां तथा उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार कर प्रोन्नति की संस्तुति की जाती है। तत्समय इनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित नहीं थी तथा गोपनीय प्रविष्टियां प्रोन्नति योग्य थीं। अतः नियमानुसार इन्हे प्रोन्नति प्रदान की गयी जिसके लिए कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर, जनपद-डभौरा की श्रीमती राम प्यारी को वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान की मांग

6-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-3-2006 पर मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर का पत्र संख्या-3198-99, दिनांक 15-5-06 श्रीमती रामप्यारी पत्नी सामल, नि0-डभौरा-शाहजहांपुर को वृद्धावस्था पेंशन दिलवाये जाने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

श्रीमती रामप्यारी पत्नी सामल, नि0-डभौरा, जनपद शाहजहांपुर को वृद्धावस्था पेंशन का अद्यतन भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद औरैया के गांव पुख्ता निवासिनी श्रीमती अनीता द्वारा करायी गयी नसबन्दी के असफल होने पर मुआवजा भुगतान की मांग

7-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-औरैया के विधूना तहसील क्षेत्र के गांव सराय पुख्ता निवासी राम नरायण सविता की पत्नी श्रीमती अनीता देवी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अछल्दा से 2 नवम्बर, 2003 को नसबन्दी कराई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नसबंदी कराने के बाद श्रीमती अनीता देवी ने 15 मार्च, 2006 को एक पुत्री को जन्म दिया है ? यदि हां, तो क्या दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि भुक्तभोगी महिला द्वारा 5 अप्रैल, 2006 को जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र प्रेषित करते हुये मुआवजे की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार भुक्त-भोगी को मुआवजा भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

श्रीमती अनीता देवी द्वारा दिनांक 28-11-2003 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिबियापुर पर नसबंदी करायी गयी थी।

जी हां।

जी नहीं।

कभी-कभी नसबंदी असफल हो जाती है। नसबंदी आपरेशन कराने हेतु नसबंदी स्वीकृति प्रपत्र एवं प्रार्थना-पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कभी-कभी नसबंदी असफल होने पर नसबंदी कराने वाले या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा राजकीय अस्पताल, आपरेशन करने वाले चिकित्सक को दोषी नहीं ठहराया जायेगा।

जी हां।

जी नहीं।

तत्समय नसबंदी के असफल होने पर मुआवजा भुगतान का प्राविधान नहीं था।

जनपद बलरामपुर के ग्राम पंचायत सहजनवा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

8-श्री मशहूद खां-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर में विकास खण्ड हरैया सतधरवा के ग्राम पंचायत सहजनवा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य काफी समय से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो अधूरा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद बलरामपुर में विकास खण्ड हरैया सतधरवा के ग्राम पंचायत सहजनवा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा संपर्क मार्ग, जलमल, ओवर हेड टैंक, चहारदीवारी तथा स्थल विकास का कार्य शेष है जिसे पूर्ण कराने हेतु पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही के उपरान्त उक्त कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुर में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती की मांग

9-श्री मशहूद खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र 139 तुलसीपुर में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकों के अनुसार चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो उनमें क्या सरकार मानक के अनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र में कुल 07 स्वास्थ्य केन्द्र, यथा सामुदायिक स्वा0 केन्द्र शिवपुरा, तुलसीपुर नया, प्रा0स्वा0 केन्द्र मणिपुर सहजनवा, गंगोली, कौआपुर, महराजगंज तराई एवं बुलरिहा हिसानपुर।

सातों स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल 15 चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं इसके सापेक्ष 09 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त उक्त केन्द्रों हेतु अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के कुल 131 पद स्वीकृत हैं। जिसके सापेक्ष कुल 86 स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत हैं।

जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के क्रय हेतु प्राप्त धन की जानकारी

10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में वर्ष 2005-06 में दवाइयां क्रय करने हेतु कितने धन का प्राविधान किया गया है ? सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क घटा कर एक रुपया करने के बाद क्या दवाई की मद तथा अस्पतालों के अनुरक्षण मद में गत वर्षों की अपेक्षा कोई कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-32 व 36 के अन्तर्गत औषधि मद में कुल रुपया 1262024 लाख का प्राविधान किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल में धन आवंटन के बाद भी ट्रामा सेन्टर खोले जाने की मांग

11-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में धन का आवंटन कर दिये जाने के बाद भी ट्रामा सेन्टर न खुल पाने के क्या कारण हैं ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में ट्रामा सेन्टर कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शाहजहांपुर में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

भवन निर्माण की कार्यवाही पूर्ण होने पर उक्त ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांगों को रोजगार देने की व्यवस्था

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 40% से अधिक विकलांगता वाले विकलांगों को रोजगार देने की कोई विशेष व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)-

प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

(1) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना।

(2) राजकीय सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान।

(3) 07 कौशल विकास केन्द्रों में विकलांग जन की व्यवसायिक प्रशिक्षण।

(4) प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में विकलांगजन को पी0सी0ओ0 स्थापित करने के लिये निःशुल्क स्थान आवंटित करने की व्यवस्था।

(5) स्वरोजगार हेतु प्रत्येक जनपद में विकलांग व्यक्तियों को वित्त पोषित करने हेतु प्रदेश के अनुसुचित जाति तथा जनजाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग में प्राप्त पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के मामलों के निस्तारण की मांग

13-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग में जनवरी, 2005 से 31 जुलाई, 2006 तक पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के कितने मामले प्राप्त हुये हैं ? उनमें से आयोग द्वारा कितने मामलों पर कार्यवाही की गई है तथा कितने अवशेष हैं ? उन्हें कब तक निस्तारित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग में जनवरी, 2005 से 31 जुलाई, 2006 तक पिछड़े वर्ग की प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या-3657 है। इनमें से 2710 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है तथा शेष 947 मामलों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिनका यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम मनियापुर के सरकारी दुकानदार (कोटेदार) के विरुद्ध जांच/कार्यवाही की मांग

14-श्री बादशाह सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, जनपद-सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री बालकरन पुत्र बद्री, ग्राम गोपियापुर, मजरे मनियापुर, तहसील गौरीगंज, जनपद-सुल्तानपुर

का शपथ-पत्र दिनांक 19-7-06 के तहसील दिवस में दिया गया था, जिसमें मनियापुर ग्राम के सरकारी दुकानदार (कोटेदार) के विरुद्ध गम्भीर शिकायत की गयी थी, जिसकी जांच दिनांक 1-8-2006 को गांव में सार्वजनिक रूप में खाद्य निरीक्षक द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो इस जांच में क्या-क्या शिकायत सही पाई गई है तथा उक्त कोटेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी हां।

(ख) ग्राम प्रधान एवं कुछ उपभोक्ताओं ने विक्रेता द्वारा सामग्री का निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेने एवं ग्राम पंचायत का निवासी न होने तथा राशन कार्डों पर गलत अंकन करने का आरोप लगाया था, जिसके सम्बन्ध में विक्रेता का स्पष्टीकरण एवं विस्तृत जांच हेतु अभिलेख मांगा गया था।

(ग) स्पष्टीकरण एवं अभिलेख प्राप्त न होने पर विक्रेता का अनुबन्ध-पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2006 को निलम्बित कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनियरा में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

15-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनियरा, जनपद-महराजगंज में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? चिकित्सकों के रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनियरा, जनपद महराजगंज में चिकित्सकों के कुल 02 पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से एक पद रिक्त चल रहा है।

शासन द्वारा भेजे गये अधियाचन पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-ब्योली एवं परशुराम पुरवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की जानकारी

16-श्री राम शंकर पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्योली एवं परशुराम पुरवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद उन्नाव के ग्राम ब्योली इस्लामाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है तथा परशुराम पुरवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 में प्रा0 स्वा0 केन्द्र ब्योली इस्लामाबाद का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। निर्माण हेतु शासन से धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व की औपचारिकतायें पूर्ण करायी जा रही हैं। औपचारिकतायें पूर्ण होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

लखनऊ स्थित भाउराव देवरस चिकित्सालय, महानगर में ई0एन0टी0 सर्जन के रिक्त पद को भरने की मांग

17-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित भाउराव देवरस चिकित्सालय, महानगर, लखनऊ में ई0 एन0 टी0 सर्जन का पद रिक्त है ? यदि हां, तो सरकार रिक्त पद पर ई0 एन0 टी0 सर्जन की नियुक्ति कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, परन्तु वर्तमान में डा0 अतुल मेहरोत्रा, जनरल सर्जन, ई0एन0टी0 सर्जन का कार्य देख रहे हैं।

चिकित्साधिकारी की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी नोटिफिकेशन बनाकर अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में दवा सप्लाई में अनियमतिता की जांच की मांग

18-श्री मशहूद खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिफरो डिल फार्मास्युटिकल्स लि0 जवाहर नगर रोहटा रोड जनपद-मेरठ एवं ईस्टर्न ड्रग एजेंसी मेरठ द्वारा फर्जी नोटिफिकेशन बनाकर वर्ष 2000 से 2005 तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में दवा की सप्लाई की गयी है जिसमें करोड़ों रुपये का गोल-माल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों कम्पनियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

डिफरो डिल फार्मास्युटिकल्स लि0 जवाहर नगर रोहटा रोड जनपद-मेरठ के नाम से किसी फर्म के अस्तित्व में होने की जानकारी नहीं है तथा ईस्टर्न ड्रग एजेन्सी मेरठ के नाम से कोई निर्माणशाला नहीं है। इस प्रकार एक फर्म मेसर्स डेफोडिल के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच निदेशक प्रशासन से करायी जा रही है। मेसर्स ईस्टर्न ड्रग एण्ड सेनेटरी प्रोडक्ट, मेरठ से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है फिर भी इसको भी जांच में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

19-श्री मशहूद खां-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

20-श्री मुंशी लाल गौतम-

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0-92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

21-कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनी नगर, लखनऊ की श्रीमती शान्ति देवी को नसबन्दी आपरेशन के बाद बच्चा होने पर आर्थिक सहायता की मांग

22-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मायाराम, बंथरा, थाना क्षेत्र लखनऊ अन्तर्गत ग्राम सराय सहजादी के मजरे गुलरिहा खेड़ा ने 28 अक्टूबर, 2005 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनीनगर में नसबंदी करायी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आपरेशन के बाद भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांच कराई गई ? क्या सरकार आपरेशन के बाद पैदा हुये बच्चे के भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर को सरकार से प्राप्त धनराशि की जानकारी

23-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर को 1-4-2002 से 31-7-06 तक प्रत्येक वर्षों में उ0 प्र0 सरकार से कितनी-कितनी धनराशि कब-कब, किन-किन मदों में प्राप्त हुई तथा कहां-कहां, कब-कब व्यय की गई, पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर को 1-4-2002 से 31-7-2006 तक वर्षवार अवमुक्त एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	2002-03	18759000	18735622
2	2003-04	19992000	19981398
3	2004-05	22425000	22302224
4	2005-06	26487477	26330883
5	2006-07 (31-7-2006 तक)	22815000	10492714
योग-		110478477	97842841

उक्त धनराशि का वर्ष/मदवार तथा कहां-कहां, कब-कब व्यय की गई है, के विवरण की प्रतियां मा0 अध्यक्ष महोदय, विधान सभा तथा मा0 राज्य मंत्री जी, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी विभाग के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गैर सरकारी/सरकारी संस्थाओं के अधीन संचालित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थायी रूप से बन्द किये जाने की सूचना

24-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, बाल विकास परियोजना परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा अपने परिपत्र संख्या-सी-14364/बा0वि0परि0/आई0 सी0 डी0 एस0 111/2005-06, दिनांक 31-3-2006 द्वारा विश्व बैंक सहायतित "उदिशा" प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र/मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र/मोबाइल प्रशिक्षण 31-3-2006 के पश्चात् से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन गैर सरकारी/सरकारी संस्थाओं के अधीन संचालित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोबिन्द चौधरी)-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-3-2006 को उदिशा प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित सरकारी/गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं :-

1-राज्य ग्राम्य विकास संस्थान-सरकारी संस्थान।

2-यू0पी0डेरी फेडरेशन लि0-सरकारी संस्थान।

3-राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान-सरकारी संस्थान।

4-उ0प्र0 बाल कल्याण परिषद्-गैर सरकारी संस्थान।

5-उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड-गैर सरकारी संस्थान।

6-राष्ट्रीय मूक बधिर विद्यालय समिति, फिरोजाबाद-गैर सरकारी संस्थान।

7-प्रयाग मानव कल्याण एवं विकास समिति, इलाहाबाद-गैर सरकारी संस्थान।

8-उ0प्र0 प्राथमिक शिक्षक संघ, मिर्जापुर-गैर सरकारी संस्थान।

9-श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्मारक सेवा समिति, बस्ती-गैर सरकारी संस्थान।

10-मानव कल्याण प्रतिष्ठान, फतेहपुर-गैर सरकारी संस्थान।

11-यू0पी0फाउन्डेशन, लखनऊ-गैर सरकारी संस्थान।

12-एकेडमी आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, लखनऊ-गैर सरकारी संस्थान।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था

25-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में आई0 सी0 डी0 एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 30-6-06 तक कितनी-कितनी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकायें जाबकोर्स/पुनश्चर्या कोर्स/इण्डक्शन कोर्स हेतु अप्रशिक्षित हैं ? क्या सरकार इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

दिनांक 30 जून, 2006 तक राज्य में कार्य प्रशिक्षण/इन्डक्शन कोर्स हेतु 9388 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां तथा अभिपुखीकरण प्रशिक्षण हेतु 9340 आंगनबाड़ी सहायिकायें अप्रशिक्षित हैं। इसी प्रकार पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु 51357 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां तथा 42661 आंगनबाड़ी सहायिकायें अप्रशिक्षित हैं।

जी हां।

दिनांक 01-09-2006 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

शाहजहांपुर में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के रिक्त पद को भरने की मांग

26-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम नारायण-

जी हां। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-06-2005 द्वारा किया गया था। इसके पश्चात् से यह पद रिक्त है। विकलांग कल्याण विभाग में कुल सृजित 46 पदों के सापेक्ष मात्र 17 जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ही सेवा-स्थानान्तरण के आधार पर तैनात हैं। विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण प्रत्येक जनपद में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी तैनात किया जाना सम्भव नहीं है। विभाग में अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये विकलांग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 306/65-1-04-45/2000, दिनांक 16-02-2004 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे जनपद जहां पर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी तैनात नहीं हैं उस जनपद में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का कार्य जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जहां पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी भी नहीं हैं, वहां पर शासनादेश संख्या-2289/65-1-199 दिनांक 31-5-2000 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का कार्य सम्पादित किया जायेगा। जनपद शाहजहांपुर में उपरोक्तानुसार व्यवस्था की गयी है।

घटिया गुणवत्ता की औषधि खरीद अनुबन्ध में हुए घाटे के जांच की मांग

27-श्री परमजीत मलिक-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में औषधि क्रय के लिये कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है ? दवा क्रय के लिये कुल कितनी

कम्पनियों को अनुबन्धित किया गया एवं उनमें से कितनी सार्वजनिक क्षेत्र व कितनी निजी क्षेत्र की हैं ? क्या यह सत्य है कि ड्रग कन्ट्रोल आर्डर व सेन्टर मेडिकल स्टोर डिपो की निर्धारित दरों की उपेक्षा कर बीमार दवा कम्पनी यू0 पी0 ड्रग्स एवं फार्मेस्यूटिकल लि0 से 39 दवायें आरक्षित कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो इस अनुबन्ध से सरकार को कुल कितना घाटा हुआ है ? क्या सरकार उक्त घटिया गुणवत्ता की औषधि खरीद अनुबन्ध में हुये घाटे की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये औषधि एवं रसायन के मद में रु0 146,8777 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

दवा क्रय के लिये कुल 11 कम्पनियों को अनुबंधित किया गया है तथा सभी निजी क्षेत्र की हैं।

जी हां, 39 औषधियां विभिन्न शासनादेशों द्वारा यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 के लिये आरक्षित हैं।

डी0 पी0 सी0 ओ0 की निर्धारित दर के 77 प्रतिशत पर आपूर्ति कराई जा रही है। जो औषधियां डी0 पी0 सी0 ओ0 में नहीं है, उन औषधियों को सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि निर्माता फर्मों की न्यूनतम दर पर यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 द्वारा आपूर्ति कराई जा रही है। इससे सरकार को कोई घाटा नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडोर, प्रतापगढ़ में हो रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टचार के जांच/कार्यवाही की मांग

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ''मोती सिंह''-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के तीसरे बुधवार को उत्तरित अता0 प्रश्न सं0-18 एवं 19 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडोर, प्रतापगढ़ की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद द्वारा की गयी जांच आख्या प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जांच आख्या पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-10-2006 द्वारा डा0 बी0बी0 राम, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के पद पर तैनात कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार का आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम एक वर्ष और बढ़ाये जाने विषयक-पत्र

29-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार का पत्र सं0-11-2/2005-टी0 आर0 I, दिनांक 30-3-2006, जो आई0 सी0 डी0 एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम एक वर्ष (2006-07) बढ़ाये जाने विषयक है, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

बाल विकास विभाग द्वारा निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश से विचार विमर्श करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के 6, उत्तर प्रदेश बाल कल्याण परिषद् के 8, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के 27 तथा आई0सी0डी0एस0 विभाग के 25 कुल 66 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उपर्युक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

जनपद शाहजहांपुर के आशा परियोजना को संचालित करने हेतु प्राप्त धनराशि की जानकारी

30-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तृतीय, शाहजहांपुर को आशा परियोजना को संचालित करने के लिये 1-4-06 से 5-8-06 तक कितनी-कितनी धनराशि उ0 प्र0 सरकार से प्राप्त हुई तथा किस-किस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को कितनी-कितनी धनराशि वितरित की गई ? कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दे दी गई तथा कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग देना बाकी है ?

श्री अहमद हसन-

उप चिकित्सा अधिकारी (तृतीय), शाहजहांपुर को उ0प्र0 सरकार से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को आशा परियोजना के संचालन हेतु दिनांक 01-04-06 से 05-08-06 तक रु0 23,00,000/-की धनराशि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वितीय चरण के अंतर्गत आवंटित की गयी है। प्राप्त धनराशि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निम्नवत् धनराशि वितरित की गयी है :-

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम	वितरित की गयी धनराशि
1. पुवायां	129430.00
2. तिलहर	54600.00
3. जलालाबाद	94990.00
4. बण्डा	59920.00
5. भावलखेड़ा	139440.00
6. सिधौली	105000.00
7. जैतीपुर	97860.00
8. कांठ	91330.00
9. खुटार	48090.00
10. मिर्जापुर	60900.00
11. कलान	72100.00

अब तक चयनित 1351 आशा महिलाओं में से 891 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षण कार्य अभी भी कई ब्लाकों मे चल रहा है।

जनपद शाहजहांपुर में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के रिक्त पद को भरने की मांग

31-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर का पद वर्तमान में रिक्त है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उपरोक्त पद पर तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पद पर श्री आलोक वर्मा की तैनाती कर दी गयी है।

जनपद बांदा स्थित जिला चिकित्सालय का स्तर 'सी' श्रेणी से बढ़ाकर 'बी' श्रेणी करने की मांग

32-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के मण्डल मुख्यालय में स्थित जिला चिकित्सालय का स्तर ''सी'' श्रेणी से बढ़ाकर ''बी'' श्रेणी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालयों का श्रेणीवार कोई मानक निर्धारित नहीं है।

जनपद लखनऊ के आलमबाग व लालबाग के महिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की तैनाती का प्रकरण

33-श्री मो0 रिजवान-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) संवर्ग में बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह चन्दरनगर, आलमबाग, लखनऊ एवं परिवार कल्याण केन्द्र, लालबाग, लखनऊ की इकाइयों में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) के स्थान पर महिला की तैनाती की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तैनाती करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रश्नगत तैनाती शासकीय कार्यहित में की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सक एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार सभी श्रेणी के चिकित्सक, कर्मचारी तैनात हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन, पैथालोजी, आपरेशन थियेटर संचालित हैं और उपलब्ध ओवर हैड टैंक से जलापूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सामुदायिक केन्द्रों में उक्त सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पट्टी, अमरगढ़ तथा कोहडोर में एक्स-रे का कार्य एक्स-रे टैक्नीशियन तथा पैथालॉजी का कार्य लैब टैक्नीशियन द्वारा किया जाता है। चूंकि उक्त केन्द्रों पर रेडियोलाजिस्ट एवं पैथालाजिस्ट तैनात नहीं हैं। अतएव उक्त कार्य उपलब्ध चिकित्सकों फिजीशियन व सर्जन से लिया जाता है तथा ओवर हेड टैंक से जलापूर्ति हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त चिकित्सकों की जानकारी

35-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? क्या सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो वर्तमान में कुल कितने चिकित्सकों की कमी है ? क्या भदोही जनपद में औराई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मानक के अनुसार चिकित्सक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो उनकी तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? क्या औराई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औराई तहसील हेडक्वार्टर पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे मानक के अनुसार उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में वर्तमान में 3660 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

जी नहीं।

वर्तमान में 746 चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप संवर्ग की कमी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औराई में 02 पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष एक चिकित्साधिकारी नियमित रूप से है तथा एक चिकित्सक संविदा पर वर्तमान में तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

शासनादेश संख्या-2254/पांच-6-2006-एसएनडी-18/06 टी0सी0-4 दिनांक 25-4-2006 द्वारा रु0 28.02 लाख लागत का भवन निर्माण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु स्वीकृत किया गया है जिसके लिये भूमि उपलब्धता हेतु कार्यवाही की जा रही है।

भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही निर्माण कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार प्रारम्भ करने की योजना

36-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार प्रारम्भ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सर्जिकल व्यवस्था किये जाने की मांग

37-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में कौन-कौन सर्जन/चिकित्सक कार्यरत हैं ? उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में (पिछले छः माह में) 1 जनवरी, 2006 से अब तक नसबन्दी आपरेशन छोड़कर अन्य कितने आपरेशन किये गये ? क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र पर सर्जन तैनात होने के उपरान्त भी गम्भीर रूप से ग्रसित गरीब मरीजों के आपरेशन वहां न करके उन्हें वापस कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सर्जिकल व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला, हरदोई में डा0 आर0के0 कोली, सर्जन, डा0 अनिल निर्वान, फिजीशियन, डा0 मोहित कुमार, रेडियोलाजिस्ट, डा0 राधे लाल दंत चिकित्सक, डा0 ईना गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा डा0 पी0के0चांद व डा0 सुशील कुमार, चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

01 जनवरी, 2006 से अब तक 09 आपरेशन किये गये।

प्रदेश में निश्चेतको की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-सण्डीला पर छोटे-मोटे सामान्य आपरेशन लोकल एनेस्थीसिया से किये जाते है। बड़े आपरेशन जिला चिकित्सालय को संदर्भित कर दिये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वा0 केन्द्र सण्डीला में डिलीवरी कराने हेतु महिला सर्जन की मांग

38-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, सण्डीला में 1 जनवरी, 2006 से अब तक कितनी महिलाओं की डिलीवरी आपरेशन द्वारा करायी गयी ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में इमरजेन्सी मामलों में महिला सर्जन उपलब्ध न होने के कारण डिलीवरी केसेज अन्यत्र कराये जाने हेतु वापस कर दिया जाता है ? क्या यह भी सही है कि महिला सर्जन द्वारा उक्त अस्पताल में उपलब्ध न रहने के कारण उक्त सुविधा नहीं मिल पाती है ? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक (सर्जन) की रात्रि उपस्थित सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में एनेस्थेटिस्ट चिकित्सक न होने के कारण दिनांक 01-01-2006 से अब तक किसी महिला की डिलेवरी आपरेशन द्वारा नहीं करायी गयी है।

जी नहीं।

जी नहीं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात महिला चिकित्सक सुरक्षा की दृष्टि से सण्डीला नगर क्षेत्र में रात्रि निवास करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर राजकीय वाहन से उन्हे काल पर बुलाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनबरसा के बन्द एक्सरे मशीन को चालू कराने की मांग

39-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनबरसा, बैरिया, जनपद-बलिया में एक्सरे मशीन बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द एक्सरे मशीन को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

तहसील बैरिया में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनबरसा में स्थापित एक्सरे मशीन निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण उसे चालू कराया जाना सम्भव नहीं है परन्तु इसके स्थान पर नई एक्सरे मशीन की पुनःस्थापना की कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज स्वास्थ्य केन्द्र पर पेयजल टंकी से जलापूर्ति की मांग

40-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर विधान सभा क्षेत्र जनपद-प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज स्वास्थ्य केन्द्र की पेयजल टंकी से जलापूर्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति तीन नग इंडिया मार्का-2 हैण्ड पम्प से की जा रही है।

जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन न बिछाये जाने एवं पुरानी बोरिंग ध्वस्त होने के कारण पेयजल टंकी से जलापूर्ति नहीं हो रही है। पेयजल टंकी से जलापूर्ति हेतु तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन की मांग

41-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-1-1986 से 1-1-1996 के बीच के सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन में संशोधित वेतनमान से सम्बन्धित शासनादेश सं0 जी0आई0 45/दस/308/97 दिनांक 4-12-2000 जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के तहत के0जी0एम0सी0 के शिक्षिकों को लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि के0 जी0 एम0 यू0 के कुलपति के पत्र सं0-133/पेंशन/2004-05 दिनांक 10-6-2004 सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त संशोधित वेतनमान सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

औचित्य नहीं पाया गया।

जी हां।

विचारोपरान्त औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद परास्नातक प्रवेश परीक्षा कराने की मांग

42-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद परास्नातक प्रवेश परीक्षा वर्ष 2005-06 अभी तक क्यों नहीं कराई गई है ? उक्त प्रवेश परीक्षा कब तक कराई जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

आयुर्वेद परास्नातक प्रवेश परीक्षा वर्ष 2005 को सम्पादित कराने हेतु शासनादेश संख्या-3088/71-2-06-89/96, दि0 23-08-06 के द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के माध्यम से कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में आयुर्वेद परास्नातक प्रवेश परीक्षा दिनांक-1-11-2006 को आयोजित होनी थी किन्तु अपरिहार्य कारणोंवश शासन के अग्रिम आदेशों तक शासनादेश सं0-3985/71-2-06-89/96, दि0 30-10-06 के द्वारा स्थगित किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की असहाय कन्याओं की शादी हेतु प्राप्त धनराशि को बढ़ाने की मांग

43-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की असहाय महिलाओं को, एक पुत्री की शादी हेतु दस हजार रुपये की दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर बीस हजार रुपये करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन की कमी।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में विधवा पेंशन के लाभार्थियों की जानकारी

44-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में अब तक कितने लोगों को विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 में कुल 6,16,576 निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 2006-07 में कुल 8,29,223 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2005 से 2007 तक के वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों की जानकारी

45-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में अब तक कितने लोगों को वृद्धा पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2005-06 में 14,61,481 तथा वर्ष 2006-07 में 20,48,959 लोगों को अक्टूबर, 2006 तक वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी अस्पतालों में डिस्पोजल सिरिंजों को नष्ट करने की मशीन लगाने की मांग

46-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली डिस्पोजल सिरिंजों को नष्ट किये जाने हेतु किन-किन अस्पतालों में मशीन लगी हैं ? क्या सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों में डिस्पोजल सिरिंज नष्ट करने की मशीन लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली डिस्पोजल सिरिजों को नष्ट करने हेतु अब तक 1079 चिकित्सालयों में सिरिंज निडिल डिस्ट्रायर मशीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनकी सूची मा0 मंत्री जी के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के हृदय विभाग के टैक्नीशियनों की सेवा भर्ती नियमावली के प्रख्यापित किए जाने की मांग

47-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के हृदय रोग विभाग में कार्यरत टैक्नीशियनों की सेवा भर्ती नियमावली प्रख्यापित करने हेतु पत्रांक-2772/ई, दिनांक 3 जुलाई, 2006 सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 5 जुलाई, 2006 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा टेक्नीशियन संवर्ग की नियमावली संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत बनाये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के बारे में नियमावली बनायी जाती है। के0जी0एम0यू0 के कर्मचारी राजकीय कर्मचारी नहीं होते हैं। अतः इनकी सेवा-शर्तों के बारे में परिनियमावली के0जी0एम0यू0 अधिनियम, 2002 के प्राविधानों के अधीन बनाये जाने हेतु कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के जिला चिकित्सालयों/प्रा0स्वा0 केन्द्रों/सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों पर चिकित्सकों के तैनाती का प्रकरण

48-श्री चन्द्र किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज में जिला चिकित्सालयों/प्रा0स्वा0 केन्द्रों/सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों पर चिकित्सकों के कितने पद सृजित हैं तथा उसके सापेक्ष कितने चिकित्सक तैनात हैं ? क्या सरकार सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों को तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जनपद महराजगंज के जिला चिकित्सालयों/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों/सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों पर चिकित्सकों के कुल 118 पद सृजित हैं। इसके सापेक्ष 82 चिकित्सक कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महराजगंज में पोस्टमार्टम हाउस बनाने की मांग

49-श्री चन्द्र किशोर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-महराजगंज में पोस्टमार्टम हाउस नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद-महराजगंज में पोस्टमार्टम हाउस बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-खीरी के ब्लाक पलिया में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराने की मांग

50-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के ब्लाक-पलिया के ग्राम खजुरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन न होने के कारण 30 वर्षों से पेड़ों के नीचे चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। प्रश्नगत चिकित्सालय ग्राम सभा खजुरिया के पंचायत घर में चल रहा है।

प्रश्नगत चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं0-2176/पांच-6-2006/एसएनडी 19/06 दिनांक 25-4-2006 के द्वारा रु0 39.11 लाख स्वीकृत किया जा चुका है।

जून, 2007 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश की कार्यवाहक निदेशक, डा0 रक्षा गोस्वामी को निदेशक पद पर बनाये रखने सम्बन्धी जानकारी

51-श्री मदन चौहान-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश की कार्यवाहक निदेशक, डा0 रक्षा गोस्वामी को अक्षम बताते हुए रिट याचिका सं0-50978/2004, श्रीमती समुदा बीबी बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने डा0 रक्षा गोस्वामी को निदेशक के पद पर बनाये रखने के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह उठाया है तथा इन्हें किसी उत्तरदायी कार्य के लिये अयोग्य बताया है ? यदि हां, तो इस आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

रिट याचिका संख्या-50978/2004 श्रीमती समुदा बीबी बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में कार्यवाहक निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ डा0 रक्षा गोस्वामी द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें कदाचित कुछ त्रुटियां थीं। इसी सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6-7-2006 में यह टिप्पणी की, कि डा0 गोस्वामी न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और यह कारण बतायें कि उन्हें निदेशक का पद धारण किये जाने की अनुमति क्यों दी जाय। जबकि उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है और वह ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिन्हें जिम्मेदारी का कोई कार्य दिया जाय। उक्त आदेशों के क्रम में डा0 गोस्वामी दिनांक 14-7-2006 को मा0 न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया और पूर्व में दाखिल प्रतिशपथ-पत्र वापस लेने की मा0 न्यायालय से अनुमति मांगी, जिसकी मा0 न्यायालय ने अनुमति दे दी तथा नया प्रतिशपथ-पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया जिसे मा0 न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। मा0 न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6-7-2006 में ऐसा आदेश नहीं दिया था कि डा0 गोस्वामी को निदेशक के पद से हटाया जाय और कोई अन्य कार्यवाही की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आर0ए0एल0सी0, के0जी0 चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में अर्ह व्यक्ति को निदेशक प्रोफेसर पद पर नियुक्त करने की मांग

52-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0ए0एल0सी0, के0जी0 चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में निदेशक प्रोफेसर का पद सृजित है ? क्या यह सही है कि आर0 ए0एल0सी0, के0जी0 चि0 विश्वविद्यालय, लखनऊ में अनर्ह व्यक्ति द्वारा निदेशक प्रोफेसर का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो अर्ह व्यक्ति को निदेशक प्रोफेसर पद पर कब तक नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या-सी0एम0-172/71-3-03-डब्लू-3/95 दिनांक 30-10-2003 के द्वारा डी0पी0एम0आर0, (आर0ए0एल0सी0) लखनऊ में निदेशक प्रोफेसर के पद पर नियमित चयन होने तक डा0 ए0के0 गुप्ता को निदेशक प्रोफेसर पद का कार्यभार सौंपा गया है।

चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लीटेशन विभाग में निदेशक प्रोफेसर का पद विज्ञापित किया जा चुका है तथा चयन सम्बन्धी अग्रतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

53-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद-लखीमपुर खीरी के वेजहमपुर स्थित राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के गोदाम में श्री नान्हू लाल चौकीदार की निर्मम हत्या व आश्रितों को समस्त देयों का भुगतान

54-श्री कौशल किशोर-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के वेहजमपुर स्थित उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के गोदाम में श्री नान्हू लाल, चौकीदार की बदमाशों द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2006 को ड्यूटी पर तैनाती के समय रात 12.30 बजे निर्मम हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को समस्त देयों का भुगतान करते हुए शासनादेश संख्या-6/12-1973-नियुक्ति-4, दिनांक 07 अक्टूबर, 1974 एवं शासनादेश संख्या-6/12-1973/ कार्मिक-2/2001 दिनांक 12 अक्टूबर, 2001 तथा शासनादेश संख्या-6/12/1973/ कार्मिक-2/ 2006, दिनांक 28 जुलाई, 2006 के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में सरकारी सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार शासनादेशों के अनुपालन में मृतक के आश्रित को सेवा में कब तक लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी हां।

मृतक आश्रितों/उत्तराधिकारी को सामूहिक बीमा योजना का रु0 62,000/-का भुगतान किया जा चुका है तथा अन्य अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-5/वी0आई0पी0/44-2-2003-2/प0स0/88, दिनांक 11-7-2003 द्वारा प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जो लाभप्रद की स्थिति में नहीं हैं, में मृतक आश्रित के सेवायोजना में प्रतिबन्ध लगे होने के कारण मृतक के आश्रितों को सेवा में नहीं लिया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री मो0 इरशाद खां-

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों के पुराने छात्रावासों के मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि की जानकारी

56-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये कितने छात्रावास हैं और वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में उक्त छात्रावासों के मरम्मत पर कितना

धन व्यय हुआ और कहां-कहां हुआ है ? क्या माo मंत्री जी 10 वर्ष पुराने छात्रावासों की मरम्मत वर्तमान सत्र में करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 156 छात्रावास हैं।

वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 में छात्रावासों की मरम्मत के लिए कोई धनराशि स्वीकृत/व्यय नहीं की गयी है।

मरम्मत योग्य छात्रावासों को चिन्हित कर आवश्यकतानुसार संसाधन की उपलब्धता के आधार पर मरम्मत का कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुल बारी ग्राम कोपेपुर, बाराबंकी को सस्ते गल्ले व मिट्टी तेल का कोटा देने सम्बन्धी-पत्र

57-श्री मशहूद खां-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सचिव मुख्य मंत्री का पत्र कम्प्यूटर सं0 सी-01222818/सी0एम0/-1/04 दिनांक 18-12-2004 जो श्री अब्दुल बारी ग्राम-कोपेपुर पो0 सूजागंज रुदौली, बाराबंकी को सस्ते गल्ले व मिट्टी तेल का कोटा देने सम्बन्धी-पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी हां।

उक्त पत्र के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी, रुदौली द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक कराकर प्रस्ताव भेजने हेतु दिनांक 19-9-2005 को पत्र भेजा गया। ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 14-12-2004 पर श्री जाफर पुत्र श्री शब्बीर खां प्रथम स्थान पर तथा श्री अब्दुल बारी का नवें स्थान पर प्रस्ताव किया गया किन्तु श्री जाफर के नाबालिग होने के कारण पुनः प्रस्ताव मांगा गया। प्राप्त प्रस्ताव में बहुमत पाये जाने पर श्री अब्दुल बारी को उचित दर विक्रेता नियुक्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों के इलाज एवं पुनर्वास हेतु लखनऊ में स्थापित अवयव केन्द्र में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

58-श्री परमजीत मलिक-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकलांगों के इलाज व पुनर्वास हेतु लखनऊ में स्थापित पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र में कितने विभाग व विभागवार शिक्षकों, प्रोफेसर, रीडर व प्रवक्ता के पद सृजित हैं ? वर्तमान में उक्त सृजित पदों में से विभागवार कुल कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र में अब तक न तो शिक्षण कार्य शुरू किया गया न ही शिक्षण कार्य शुरू करने हेतु मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया अथवा भारतीय पुनर्वास परिषद् का निरीक्षण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विकलांगों के इलाज एवं पुनर्वास हेतु लखनऊ में स्थापित पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र में केवल एक विभाग है विभाग में एक पद निदेशक प्रोफेसर एक पद सीनियर मेडिकल आफिसर कम रीडर इन फिजिकल मेडिसिन, एक पद लेक्चरर इन फिजियोथिरेपिस्ट, दो पद लेक्चरर इन सर्जिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन के सृजित है।

वर्तमान में इस विभाग में कुल 02 पद शिक्षक के रिक्त हैं।

इस विभाग में एम0बी0बी0एस0 के छात्रों एवं आर्थोपैडिक सर्जरी विभाग के रेजीडेण्ट डाक्टरों को उन विभागों के विभागाध्यक्षों के अनुरोध पर अल्प अवधि का रिहैबिलीटेशन उपकरणों का डिमान्स्ट्रेशन तथा कुछ चुने हुए बिन्दुओं पर लेक्चरर दिये जाते हैं। मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा निरीक्षण हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। भारतीय पुनर्वास परिषद् का निरीक्षण इस विश्वविद्यालय पर लागू नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में गरीबी रेखा से नीचे के गैर अनुसूचित जातियों के छात्रों को भी प्रवेश दिये जाने की मांग

59-**श्री** परमजीत मलिक-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में गरीबी रेखा से नीचे के गैर अनुसूचित जातियों के छात्रों को भी प्रवेश दिए जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा सत्र, 2006-2007 से उक्त व्यवस्था लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों पर भी इसे लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2006-07 में विषयगत शासनादेश सं0-2756/26-3-2006-10(8)/2005 टी0सी0, दिनांक 10-8-2006 निर्गत होने तक विद्यालयों में सामान्य रूप से प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण शिक्षा सत्र, 2007-2008 में प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

तदैव।

छात्रावासों में प्रवेश हेतु शासनादेश सं0-4261/26-3-87-14 (16)/87, दि0 18-11-87 द्वारा छात्रों का चयन निम्नवत् वरीयता क्रम में किये जाने का आदेश पूर्व से ही निर्गत है :-

1-अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र।

2-विकलांग छात्र।

3-विमुक्त जाति के छात्र।

4-पिछड़ी जाति के छात्र।

5-सामान्य वर्ग के छात्र।

प्रश्न नहीं उठता।

60-श्री महेश नारायण सिंह-

[दूसरे सोम0 के अता0प्र0सं0-93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम-नवादा में रोशन सिंह के नाम से प्रा0 स्वा0 केन्द्र भवन बनवाने की मांग

61-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-नवादा दरोबस्त मेड़ा, रोशन सिंह के नाम से जनपद-शाहजहांपुर में प्रा0स्वा0 केन्द्र भवन बनवाने हेतु प्रश्नकर्ता की संस्तुति पर आपका पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-149672/2006 दिनांक 19-7-06 प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

परीक्षणोपरान्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का कार्य संतृप्त हो चुका है।

जनपद-आजमगढ़, ग्राम गौरा में बालिका इण्टर आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण की जानकारी

62-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम गौरा में बालिका इण्टर आश्रम पद्धति विद्यालय वर्ष 2003-04 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मिर्जापुर जिले में लालगंज स्थित चिकित्सालय का नाम शिवमूर्ति दुबे राजकीय चिकित्सालय किये जाने की मांग

63-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में लालगंज तहसील मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय के आगे स्वतंत्रता सेनानी स्व0 श्री शिवमूर्ति दुबे का नाम जोड़कर स्वतंत्रता सेनानी श्री शिवमूर्ति दुबे राजकीय चिकित्सालय किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-मिर्जापुर जिले में लालगंज तहसील स्थित चिकित्सालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शिवमूर्ति दुबे का नाम जोड़कर श्री शिवमूर्ति दुबे राजकीय चिकित्सालय किये जाने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव/कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पतुलकी, मिर्जापुर का नाम श्री शिवमूर्ति दुबे चिकित्सालय किये जाने की मांग

64-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पतुलकी तहसील, लालगंज, जिला-मिर्जापुर के आगे उसी ग्राम के निवासी वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी स्व0 श्री शिवमूर्ति दुबे का नाम जोड़कर स्वतंत्रता सेनानी श्री शिवमूर्ति दुबे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय घोषित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पतुलकी, मिर्जापुर का नाम स्वतंत्रता सेनानी श्री शिवमूर्ति दुबे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय घोषित किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 प्रकाश चन्द्र उपाध्याय का स्थानान्तरण दम्पत्ति नीति के अनुसार किये जाने का प्रकरण

65-श्री कौशल किशोर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 प्रकाश चन्द्र उपाध्याय, चिकित्साधिकारी, रा0 आयु0 चिकित्सालय, बुढ़नपुर, गाजीपुर तथा पत्नी डा0 मंजू पाण्डेय, चिकित्साधिकारी, रा0आयु0 चिकित्सालय, शंकरपुर बलिया के तैनाती जनपद में दम्पत्ति नीति के आधार पर स्थानान्तरण बलिया में किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 21-7-2005 पत्रांक-600 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या डा0 प्रकाश चन्द्र उपाध्याय का स्थानान्तरण जनपद-गाजीपुर से जनपद-बलिया कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

जी नहीं।

तत्समय बलिया में पद रिक्त न होने के कारण डा0 प्रकाश चन्द्र उपाध्याय का स्थानान्तरण बलिया नहीं किया जा सका, किन्तु डा0 मंजू पाण्डेय का स्थानान्तरण गाजीपुर कर दिया गया है। वर्तमान में पति-पत्नी दोनों एक ही जनपद में तैनात हैं।

जनपद-हरदोई के राजाराम यादव, निवासी अलमापुर के असफल नसबन्दी के मामले में अनुदान दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण

66-श्री कौशल किशोर-

क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थी राजाराम यादव निवासी-अलमापुर जनपद-हरदोई का पत्र जो नसबन्दी के बाद पुत्री पैदा होने के सम्बन्ध में था, पर मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/128049/2005 कम्प्यूटर संख्या-सी-10128049 पर अंकित है जो दिनांक 7-7-2005 को प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनुदान कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

प्रकरण की जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई से करायी गयी। जांच रिपोर्ट में यह अवगत कराया गया है कि लाभार्थी से नसबन्दी आपरेशन से पूर्व फार्म भरवाये जाते हैं जिसमें यह उल्लेख रहता है कि नसबन्दी आपरेशन कभी-कभी असफल भी हो सकता है जिसके लिये शल्यक दोषी नहीं ठहराया जायेगा और न किसी तरह की कोई आर्थिक क्षतिपूर्ति ही दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्समय असफल नसबन्दी के मामले में अनुदान दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं था।

जनपद-जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एलोपैथिक डाक्टर की नियुक्ति व भवन मरम्मत की मांग

67-श्री रणवीर राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेजी बाजार में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त है तथा कई वर्ष से डाक्टर के पद पर आयुर्वेद के डाक्टर नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एलोपैथिक डाक्टर की नियुक्ति करते हुए स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेजी बाजार के क्षतिग्रस्त भवन के विशेष मरम्मत एवं जल आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। प्रश्नगत चिकित्सालय पर वर्ष 2004 से डा0 विजय कपूर एलोपैथिक चिकित्सक एवं विगत 10 वर्षों से डा0 एस0पी0 बरनवाल तैनात हैं। भवन का विशेष मरम्मत प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर के ग्राम ऐलिया व शेरपुर में अन्त्योदय योजना में आवंटित खाद्यान्न रिलीज की मांग

68-श्री रामहेत भारती-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-ऐलिया की ग्राम सभा शेरपुर तथा ग्राम सभा ऐलिया के उचित दर विक्रेता दुकानदारों का मई, 2006 का बी0पी0एल0/अन्त्योदय योजना हेतु आवंटित गेहूं, चावल, चीनी के उठान हेतु धनराशि जमा है ? यदि हां, तो क्या उक्त खाद्यान्न रिलीज कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुं0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी हां।

जी हां।

ग्राम ऐलिया का (दिनांक 25-5-2006 एवं ग्राम शेरपुर का 30-5-2006 को)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलरामपुर स्थित मदरसा दारुलउलूम फारुकिया के सहायक अध्यापक श्री मंसूर अली द्वारा दायर रिट के आदेशों की जानकारी

69-श्री मशहूद खां-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री मंसूर अली पुत्र श्री मो0 अली, सहायक अध्यापक, मदरसा दारुल उलूम फारुकिया, ग्राम व पोस्ट मधनगर (पचपेड़वा) तहसील तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर की पूर्व सेवा को रोक दिये जाने के सम्बन्ध में उनके द्वारा दायर याचिका सं0 2635/1991 दिनांक 30-04-1991 पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ ने उनकी सेवा बहाली तथा समस्त पिछले लाभ दिये जाने के आदेश दिनांक 04-12-1991 को पारित किये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन सम्बन्धित मदरसा द्वारा सुनिश्चित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक, हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हाजी याकूब)-

जी हां। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-2635/91 में दिनांक 30-04-1991 को स्थगन आदेश पारित किया था कि यदि श्री मंसूर अली को मौखिक रूप से टर्मिनेट किया गया हो तो इनकी सेवा को लगातार मानते हुए वाद लगने के अमली लिस्टिंग तक वेतन का भुगतान किया जाये। दिनांक 04-12-1991 का मा0 न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मंसूर अली ने दिनांक 01 मार्च, 1990 को अपनी स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे दिया था। श्री मंसूर अली वारसी त्याग-पत्र देने के बाद से मदरसे में कार्यरत नहीं है तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष्य किसी अन्य को अब वेतन भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। श्री वारसी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में अवमानना वाद संख्या-258 (सी)/2005 दायर की गयी, जिसमें विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

आश्रम पद्धति स्कूल प्रबन्धकीय व्यवस्था में खोलने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं नीति की जानकारी

70-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति स्कूल प्रबन्धकीय व्यवस्था में खोलने के लिए सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या सरकार उक्त विद्यालयों को अन्य विद्यालयों की तरह अनुदान सूची में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रबन्धकीय व्यवस्था में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की कोई नीति एवं मानक निर्धारित नहीं है।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुख्य सेविका पद को आरक्षण कोटे से भरे जाने की जानकारी

71-श्री राम करन आर्य-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में मुख्य सेविका पद का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कार्यकत्रियों में उच्च शिक्षा प्राप्त अनुसूचित जाति की महिलाओं से आरक्षण कोटा पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मुख्य सेविका पद हेतु सीधी भर्ती में आरक्षण पूर्ण नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। कार्यकत्रियों से मुख्य सेविका पद पर चयन में आरक्षण पूर्ण है।

जी नहीं।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री से मुख्य सेविका पद पर चयन में आरक्षण कोटा पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को वितरित की गई छात्रवृत्ति की जानकारी

72-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में कितनी धनराशि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए आबंटित की गयी ? बस्ती जनपद के महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के कितने छात्रों को वर्ष 2005 में छात्रवृत्ति दी गई और कितनी धनराशि शेष है ? शेष धनराशि कब तक बांट दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल रुपया 469.5175 करोड़ की धनराशि प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए आवंटित की गयी थी, जिसमें से रु0 26.97379 करोड़ की धनराशि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की वित्तीय वर्ष 2003-04 की देयता भी सम्मिलित थी।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु रु0 294.11 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी।

वर्ष 2004-05 में बस्ती जनपद के महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के 11,156 अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। वर्ष 2004-05 की कोई धनराशि शेष नहीं रही थी।

वर्ष 2004-05 में बस्ती जनपद में किसी अनुसूचित जनजाति के छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। जनपद को आवंटित धनराशि रुपया 2.81 लाख का समर्पण वर्ष 2004-05 में ही जनपद द्वारा कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

73-श्री कौशल किशोर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाई स्कूल बन्नी खरैला बिसवां जनपद-सीतापुर में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का प्रकरण

74-श्री अनिल कुमार वर्मा तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के पहले बुध के अतारांकित प्रश्न संख्या-24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 चन्द्रभाल जूनियर हाई स्कूल बन्नी खरैला, विकास क्षेत्र-बिसवॉ, जनपद-सीतापुर की कक्षा 6, 7, 8 की अनुसूचित जाति के 82 छात्रों की वर्ष 2004-05 की सूची में छात्रवृत्ति न दिये जाने के मामले की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 के एक्सरे टेक्नीशियनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

75-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 के एक्स-रे टेक्निीशियनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1984 में श्री टी0 एन0 धर की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु शासन स्तर पर दि0 14-1-04 को कोई बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिए गये ? इस विषय पर अपेक्षित शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण पर विचारोपरान्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य संवर्गों के कार्मिकों की भांति एक्सरे टेक्नीशियनों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने पर विभागीय सहमति व्यक्त की गई थी एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था।

प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। शासन के परामर्शी विभागों की सहमति उपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भारतीय चिकित्सा परिषद् उ0 प्र0 में आयुर्वेद शास्त्री/डी0यू0एम0/डी0ए0एम0 के अन्तर्गत किये गये पंजीकरणों पर मा0 उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी

76-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 में वर्ष 1982 के बाद आयुर्वेद शास्त्री/ डी0यू0एम0/डी0ए0एम0 के अन्तर्गत किये गये पंजीकरणों को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अवैध पाये जाने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 18 मई, 2005 द्वारा निरस्त करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

शासनादेश दिनांक 16-12-2004, 27-12-2004 एवं दिनांक 4-3-2005 के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् उ0 प्र0 द्वारा शिफाउलमुल्क तिब्बिया कालेज, मुजफ्फरनगर, फैज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज सहारनपुर, अजमल खां तिब्बिया कालेज मुजफ्फरनगर, भारत तिब्बिया कालेज सहारनपुर, सहारनपुर तिब्बिया कालेज सहारनपुर एवं महर्षि चरक आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज देवबन्द सहारनपुर से डी0यू0एम0/डी0ए0एम0 उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18-5-2005 को आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-3812/71-2-05-डब्लू-123/05 दिनांक 1-7-2005 द्वारा उपरोक्त संस्थाओं से डी0यू0एम0/डी0ए0एम0 उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। तदोपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा उक्त पंजीकरण को निरस्त कर दिया गया है।

जनपद-आजमगढ़ के मेंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुसार डाक्टर व कर्मचारी तैनात करने की मांग

77-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत मेंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मानक के अनुसार डाक्टर व कर्मचारी तैनात न होने के कारण जनता को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर व अन्य कर्मचारी तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेंहनगर की स्थापना शासनादेश दिनांक 16-2-2006 द्वारा हुई है, जिसके कारण वहां मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात नहीं हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेंहनगर में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों से जनता को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

चिकित्सक/कर्मचारी उपलब्ध होने पर तैनाती कर दी जायेगी।

जनपद-आजमगढ़ के प्राथमिक चिकित्सालयों में डा0 व अन्य कर्मचारी न होने से हो रही असुविधा के निराकरण की मांग

78-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मेंहनगर तहसील अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सालयों में डाक्टर व अन्य आवश्यक कर्मचारी न होने के कारण जनता को हो रही असुविधा के निराकरण हेतु क्या डाक्टर व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद आजमगढ़ के तहसील मेंहनगर अन्तर्गत कुल 09 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक केन्द्र स्थापित है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 18 पदों के सापेक्ष 12 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा अन्य कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 45 पदों के सापेक्ष 36 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनसे जनता को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो रही है। प्रदेश में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की कमी को पूरा करने हेतु शासन प्रयासरत है।

लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की उपलब्धता पर तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 डिप्लोमा फार्मेसिस्ट के वेतनमान से सम्बन्धित प्रकरण

79-श्री मदन गोपाल वर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कार्मिक-1 के शासनादेश सं0 15/140/81-का-1/2003 लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2003 में क्रम सं0-2 पर "समूह ख" के पदों का न्यूनतम वेतनमान रु0 6,500-10,500 व अधिकतम वेतनमान रु0 8,550-14,600 प्रकाशित किया गया है ? यदि हां, तो चीफ फार्मेसिस्ट समूह "ख" (राजपत्रित) पद का भी वेतनमान उपरोक्तानुसार रु0 6500-10,500 दिये जाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर चिकित्सा विभाग में आयोजित बैठक दिनांक 30-08-2001 व तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री उ0 प्र0 सरकार की अध्यक्षता में हुई वार्ता दिनांक 27 नवम्बर, 2001 व दिनांक 31-10-2003 में कोई निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन की मांग के क्रम में चीफ फार्मेसिस्ट को रु0 6500-10,500 का वेतनमान दिये जाने से सम्बन्धित प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में महिला विभाग की सुविधा प्रदान करने की मांग

80-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पुनर्गठन के उपरान्त डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में महिला विभाग समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार स्पेशलिटी में आने वाली रिफर्ड महिला रोगियों तथा अस्पताल के इन्डोर में भर्ती अन्य विभाग जैसे आई0सी0सी0यू0, मेडिकल विभाग, बर्न यूनिट, हड्डी विभाग व अन्य इमरजेन्सी मरीजों के हित में उक्त चिकित्सालय में महिला विभाग की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पुनर्गठन के पश्चात् उक्त संवर्ग को निम्नलिखित चार उपसंवर्गों में बांट दिया गया है :-

(1) उ0 प्र0 चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सामान्य उपसंवर्ग (पुरुष)

(2) उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सामान्य उपसंवर्गों (महिला)

(3) उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपसंवर्ग (पुरुष)

(4) उ0 प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपसंवर्ग (महिला)

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्पेशलिटी में आने वाली महिला रोगियों को आई0सी0सी0यू0, मेडिकल विभाग, बर्न यूनिट हड्डी रोग विभाग में उपचार पुरुष चिकित्सकों द्वारा ही किया जाता है। महिला रोगों का इलाज डा0 श्यामा मुखर्जी चिकित्सालय से 200 मीटर दूरी पर स्थित वीरांगना झलकारी बाई चिकित्सालय के चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहती है।

जनपद-जालौन की निराश्रित विधवाओं को स्वीकृत विधवा पेंशन का नियमित भुगतान किये जाने की मांग

81-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-1-2003 को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा नगर कालपी जनपद-जालौन की वर्ष 2002-03 में रजिस्टर क्रमांक 1601 से 1666 तक 28 निराश्रित विधवाओं को स्वीकृत विधवा पेंशन का क्या नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

दिनांक 16-1-2003 को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा नगर कालपी जनपद-जालौन की वर्ष 2002-03 में रजिस्टर क्रमांक 1601 से 1666 तक 28 पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं में से 24 निराश्रित महिलाओं को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

शेष 04 निराश्रित महिलाओं को पेंशन का भुगतान इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनमें से 01 महिला की मृत्यु हो गई है। 01 महिला को विकलांग पेंशन मिल रही है, 01 महिला लम्बे समय से हत्या के मामले में जेल में बन्द है तथा 01 महिला ने शादी कर ली है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय फार्मेसिस्टों का पारस्परिक स्थानान्तरण किये जाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही की मांग

82-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय फार्मेसिस्टों का पारस्परिक स्थानान्तरण किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-8-2006 निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

सामान्य स्थानान्तरण सत्र समाप्त हो जाने के कारण निदेशक, आयुर्वेद द्वारा प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है। प्रकरण शासन में परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय में नामित जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार दिये जाने विषयक आवेदन-पत्र की जानकारी

83-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय में नामित जनसूचना अधिकारी को मई, 2006 से 20 सितम्बर, 2006 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त पत्रों पर किस-किस दिनांक को सूचना उपलब्ध करायी गयी ? क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों पर समय अवधि में कोई भी सूचना नामित जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

13 आवेदन-पत्र।

दिनांक 23-8-06, 25-8-06 (दो निस्तारित)

दिनांक 08-9-06, 29-9-06 एवं दिनांक 06-10-06 को सूचना उपलब्ध करायी गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय उरई के कनिष्ठ लिपिक स्व0 श्री जयपाल सिंह के पुत्र धीरेन्द्र सिंह की नियुक्ति की मांग

84-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-3-307209 दिनांक 11-9-06 जो जिला महिला चिकित्सालय उरई में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक जयपाल सिंह राठौर की मृत्यु दिनांक 14-4-06 को हो गयी थी के मृतक आश्रित पुत्र धीरेन्द्र सिंह राठौर की नियुक्ति के सम्बन्ध में था ? क्या अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय उरई द्वारा दिनांक 10-7-06 को प्रेषित पत्रावली निदेशक प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति अनुभाग-4-एफ-लखनऊ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-उन्नाव के ग्राम सभा झातेरा के राशन कोटेदार रामकुमार द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

85-श्री कौशल किशोर-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव तहसील सफीपुर, वि0 खं0 गंज मुरादाबाद, ग्राम सभा झातेरा के राशन कोटेदार रामकुमार द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने हेतु क्षेत्र पंचायत सदस्य महरून निशा एवं ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र जो कि दिनांक 18-8-06 को जिलाधिकारी उन्नाव व मा0 मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग, उ0 प्र0 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जी हां।

वितरण में अनियमितता पाए जाने के कारण विक्रेता का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित कर दिया गया।

जनपद-खीरी के ग्राम रकेहटी के राशन कार्ड धारकों को राशन दिये जाने की मांग

86-श्री आर0एस0 कुशवाहा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी की विधान सभा क्षेत्र निघासन के ग्राम रकेहटी, इच्छानगर माझा व रायपुर में पिछले दो माह से सभी राशन कार्ड धारकों को राशन मिला है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया-

जांच से यह पाया गया है कि ग्राम रकेहटी के विक्रेता द्वारा माह अगस्त में सभी कार्ड धारकों को राशन का वितरण नहीं किया है। इस अनियमितता के लिए विक्रेता का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित कर दिया गया है। ग्राम इच्छानगर मांझा की दुकान अनियमितताओं के कारण माह सितम्बर, 2006 से निलम्बित है तथा कार्ड धारकों को सितम्बर माह से नियमित राशन मिल रहा है। ग्राम रायपुर के कार्डधारकों को उक्त अवधि में राशन तो मिला किन्तु निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूल की गई, इस अनियमितता के लिए विक्रेता का अनुबन्ध-पत्र दिनांक 18-11-2006 को निलम्बित कर दिया गया है।

जिला-समाज कल्याण कार्यालय, शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

87-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समाज कल्याण कार्यालय शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जांचोपरान्त कार्यवाही हेतु आप द्वारा आदेश संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम-/151164/06 दिनांक 17-8-06 द्वारा जिलाधिकारी शाहजहांपुर को आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी द्वारा संदर्भित आरोपों की जांच कराकर दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 27-08-2006 को सम्बन्धित पटल सहायक को कठोर चेतावनी दी गयी है एवं पटल परिवर्तित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा में महिला कल्याण विभाग की शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण की मांग

88-डा0 सुशील चौधरी-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में महिला कल्याण विभाग की संस्थाओं एवं राजकीय बालवाड़ियों में नर्सरी शिक्षिकायें विगत लगभग 15-20 वर्षों से तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 2006-2007 स्थानान्तरण नीति के अनुसार उक्त नर्सरी शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण वर्ष 2006-2007 में किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन नर्सरी शिक्षिकाओं को किस-किस जनपद में तैनात किया गया है ? क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हां।

वर्ष 2006-2007 स्थानान्तरण नीति के अनुसार नर्सरी शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निदेशक, महिला कल्याण/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विचारोपरान्त स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नई स्वास्थ्य नीति एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति में किये गये विशेष प्राविधान की जानकारी

89-श्री रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई स्वास्थ्य नीति एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुपालन के लिए क्या प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या उसमें महिलाओं, वृद्धों, आदिवासियों एवं गरीबों के स्वास्थ्य के लिये कोई विशेष प्राविधान किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं के रोजगार हेतु चलायी गयी योजनाओं की जानकारी

90-डा0 सुशील चौधरी-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं के रोजगार हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं ? उन योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित निम्न योजनाएं चलायी जा रही हैं :-

1-स्वयं सिद्धा परियोजना

रूपरेखा

स्वयं सिद्धा परियोजना प्रदेश के 54 जनपदों के 94 विकास खण्डों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन कर आय सृजक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

2-स्टेप योजना

रूपरेखा

स्टेप योजना (महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम) स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से महिलाओं को रोजगार परक जैसे डेरी, कृषि, क्राफ्ट आदि में प्रशिक्षित करके उनको आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर रोजगार परक बनाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में महिलाओं के रोजगार हेतु विभिन्न विभागों/संस्थाओं आदि के द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मित्र एवं बी0टी0सी0 कोर्सेज में महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध है। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्राविधान है।

साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के पद पर महिलाओं को मानदेय के आधार पर नियुक्त प्रदान की जाती है।

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की विभाग द्वारा की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में जन्मतिथियों में विरोधाभास की शिकायत

91-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की विभाग द्वारा की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में जन्मतिथियों में विरोधाभास की कितनी शिकायतें निदेशालय व शासन को प्राप्त हुई है ? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी नहीं। वर्ष 2003 में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की विभाग द्वारा की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में जन्म तिथियों में विरोधाभास की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

92-श्री संजीव दरियाबादी-

[6ठें गुरुवार के अता0प्र0सं0-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में चिन्हित शिक्षुओं को पुनर्वासित किये जाने की मांग

93-डा0 सुशील चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2005 से 30 सितम्बर, 2006 तक प्रदेश में कितने भिक्षुओं को चिन्हित किया गया है और उनमें से कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रदेश के 12 जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार 1827 भिक्षुओं को चिन्हित किया गया है।

पुनर्वासित भिक्षुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को नियम-301 के अनतर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की- मेरठ में बस्तियों के बीच से गुजरती उच्च शक्ति/एल0टी0 लाइनों को हटाने का कार्य सूडा या अन्य माध्यमों से कराये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना डा0 यशवन्त सिंह की-एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर-ए फेज-2, सीतापुर रोड, लखनऊ में निर्मित आवासीय भवन से अवैध दुकान को हटाये जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की- वाराणसी नगर की व्यस्ततम सड़क गोदौलिया तथा रवीन्द्र पुरी बाई पास की दशा अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की- रैसिंगपुर माइनर (शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ अन्तर्गत) के एक्सटेंशन हेतु ग्राम सराय सागर के काश्तकारों से अधिग्रहीत भूखण्डों का मुआवजा भुगतान कराने के सम्बन्ध में। पांचवी सूचना श्री राम नरेश यादव की-राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर संविदा के स्थान पर स्थायी नियुक्ति करने के सम्बन्ध में। छठवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की- बीदूपार (खरवाटीला) जनपद कुशीनगर के अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बनध में। सातवीं सूचना श्री मदन चौहान की- गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों से बहने वाले गन्दे जहरीले पानी से बचाव करने के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की- मुजफ्फरनगर जनपद की पूर्व यमुना नदी से सम्बन्धित रजबाहों में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में। नौवीं सूचना श्री रिजवान अहमद खां की- मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खूंटखेड़ा से ग्राम मल्हीवाला तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की- जनपद बरेली की कतिपय ग्राम पंचायतों के प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में। ग्यारहवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की-गोरखपुर में बन्द पड़े तारामण्डल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में। बारहवीं सूचना श्री सुरेश तिवारी की- लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत

देवपुर से जलालपुर रेलवे फाटक तक क्षतिग्रस्त मार्ग को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में। तेरहवीं सूचना श्री अजीम भाई की- ग्राम पंचायत अधिकारी लखनऊ के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में। चौदहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की- जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालयों में बी0एड0 डिग्रीधारी शिक्षकों को नौकरी में पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में और पन्द्रहवीं सूचना डा0 अजय कुमार की- प्रदेश में गन्ना कृषकों के संरक्षण हेतु चालू पेराई सत्र के लिए रु0 150 प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य घोषित करने के सम्बन्ध में।

डा0अजय कुमार-

अध्यक्ष जी, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़िये।

(डा0 अजय कुमार द्वारा अपनी सूचना पढ़ी गयी तथा क्रम सं0 1 से 14 तक की स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

मेरठ में बस्तियों के बीच से गुजरती उच्च शक्ति/एल0टी0 लाइनों को हटाने का कार्य सूडा या अन्य माध्यमों से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, सम्पूर्ण मेरठ में अनुसूचित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में तथा धार्मिक, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऊपर में बीच से उच्च शक्ति/एल0टी0 लाइनें जा रही हैं। नियमानुसार इन लाइनों को हटाने हेतु निर्धारित पैसा (धनराशि) जमा कराकर कार्य कराना न तो गरीब, अनुसूचित, पिछड़ी बस्तियों के निवासियों की सामर्थ्य में है, न ही धार्मिक एवं शिक्षण संस्थाओं की सामर्थ्य में। इस कार्य को नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन (सूडा) के माध्यम से अथवा जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनूअल मिशन योजना अथवा ऊर्जा विभाग का ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत कराया जा सकता है।

जनहित में इसके कराये जाने से भविष्य में किसी विपरीत परिस्थिति में जन धन हानि नहीं होगी मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर-ए फेज-2, सीतापुर रोड, लखनऊ में निर्मित आवासीय भवन से अवैध दुकान को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 यशवन्त सिंह-

[एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर-ए फेज-2, सीतापुर रोड, लखनऊ में आवासीय भवन सं0-ई-एस0 आई बी/129 के अध्यासी श्री आनन्द कुमार एवं उनके छोटे भाई हिटलर द्वारा आवासीय भवन को कामर्शियल भवन बनाकर मकान के आगे की जमीन पर अवैध निर्माण कराकर दुकान खोली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी है जिसके आस-पास रात के 12.00 बजे तक अवांछनीय एवं असामाजिक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे आस-पास के रहने वालों को उक्त सड़क से निकलने में अत्यन्त असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और मोहल्ले के शरीफ लोगों का अपने घरों में शांतिपूर्वक रहना दुश्वार हो गया है। उक्त के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः इस सम्मानित सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त अवैध दुकान को आवासीय भवन से तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में मा0 नगर विकास मंत्री का निर्देश प्रदान कराने की कृपा करें।]

वाराणसी नगर की व्यस्ततम् सड़क गोदौलिया तथा रवीन्द्रपुरी कालोनी बायी पास की दशा अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[वाराणसी एक धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर है एवं गोदौलिया से सोनारपुरा होते हुए लंका तक तथा रवीन्द्रपुरी कालोनी बाई पास मार्ग की अत्यन्त व्यस्त सड़कें हैं लेकिन खेद का विषय है कि उक्त दोनों ही सड़कों पर बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं एवं स्थान-स्थान पर टूट-फूट गये हैं जिसके कारण आवागमन करने वाले लोगों के समक्ष अत्यन्त कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ज्ञातव्य हो कि उक्त मार्ग पर कई विद्यालय, प्रसिद्ध संकट मोचन मन्दिर, मानस मन्दिर एवं काशी हिन्दू विश्व विद्यालय स्थित है जिससे रोजाना लाखों का आवागमन अनिवार्य रूप से होता है क्योंकि उक्त दोनों ही सड़कों का कोई अन्य विकल्प नहीं है। कई बार शासन-प्रशासन का ध्यान उक्त स्थिति की तरफ आकृष्ट करते हुए उक्त दोनों महत्वपूर्ण एवं व्यस्ततम् सड़कों के सुदृढीकरण की मांग जनप्रतिनिधि एवं जनता द्वारा की जाती रही है लेकिन खेद का विषय है कि सुदृढीकरण की दिशा में लोक निर्माण विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है जिससे दिन-प्रतिदिन जन कष्ट में बढ़ोत्तरी होने से जनता में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है।

अतः लोकमहत्व की दृष्टि से उक्त दोनों महत्वपूर्ण एवं व्यस्ततम सड़कों के सुदृढीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग को अविलम्ब कार्यवाही हेतु प्रभावी निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।]

रैसिंगपुर माइनर (शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ अन्तर्गत) के एक्सटेंशन हेतु ग्राम सराय सागर के काश्तकारों से अधिग्रहीत भूखण्डों का मुआवजा भुगतान कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ के रैसिंहपुर माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि के काश्तकारों को मुआवजा धनराशि न दिये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। शारदा सहायक खण्ड-32 के अन्तर्गत रैसिंहपुर माइनर के एक्सटेन्शन के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिये ग्राम-सरायसागर, तहसील-निजामाबाद, पोस्ट खुटिया, आजमगढ़ में रहने वाले काश्तकारों की जमीन का अधिग्रहण किया गया और अभी तक इन काश्तकारों को अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा धनराशि का भुगतान नहीं हो सका है, जिससे कि यहां के ग्रामवासी अत्याधिक कठिनाई में आ गये हैं। माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया जाना यथाशीघ्र आवश्यक है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की मांग करता हूं।]

राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर संविदा के स्थान पर स्थायी नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव-

[आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के काफी स्थान रिक्त पड़े हैं। 2005 में शासन के निर्देश पर विज्ञापन जारी कर 298 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए संविदा पर चयनित कर नियुक्ति की गयी थी। तब से समस्त प्रवक्ता अध्यापन का कार्य करते चले आ रहे हैं। सभी प्रवक्ता 8 हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय (वेतन) पर कार्य करते चले आ रहे हैं। यह लोग एक नियमित प्रवक्ता का कार्य करते हैं। उसी प्रकार यह भी अध्यापन का कार्य करते हैं। एक वर्ष की समाप्ति होते ही 15 दिन के अन्दर इनकी फिर नियुक्ति की जाती है जिस कारण पुनः इन्हें दौड़धूप कर परेशान होना पड़ता है।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने हाल ही में विभिन्न विश्वविद्यालयों में संविदा के स्थान पर स्थायी नियुक्ति की बात कही है। इस कारण उसके अनुसार स्थायी नियुक्ति की जानी आवश्यक हो गयी है।

यह भी ज्ञातव्य है कि यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को मानदण्ड मानकर उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा इनका चयन भी किया गया है। सरकार द्वारा समय-समय पर तदर्थ तथा अंशकालिक प्रवक्ताओं को विनियमित किया गया है। इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुये आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि सरकार समस्त संविदा पर नियुक्त राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्तागण को विनियमित करने के निमित्त आवश्यक कदम उठाए ताकि अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो सके।]

बीदूपार (खलवाटोला) जनपद कुशीनगर के अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पी0के0 राय-

[मान्यवर, तहसील तमकुही के ग्राम बीदूपार खलवा टोला में नाले पर पंचायती राज विभाग द्वारा एक पुल अर्धनिर्मित स्थिति में विगत दो वर्षों से पड़ा हुआ है। इसके ऊपर बांस रखकर ग्रामवासी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पार होते हैं। विगत वर्ष एक लड़का गिरकर डूब गया। जिला पंचायत इसे पूर्ण कराने में असमर्थता व्यक्त करता है।

शासन से मांग करता हूं कि जनहित में बीदूपार (खलवा टोला) तहसील तमकुही राज-कुशीनगर के अर्धनिर्मित पुल का निर्माण पूरा कराया जाय।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों से बहने वाले गन्दे जहरीले पानी से बचाव करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम पसवाड़ा, बहादुरगढ़ सहल, नाबाद पुल आदि के पास से रासायनिक, गन्दा जहरीला पानी का एक नाला जो सिम्भावली शुगर मिल से आता है गुजरता हुआ पवित्र गंगा में डाला जाता है जिससे पीने का पानी हैण्ड पम्पों में जहरीला व दूषित हो चुका है लोगों (ग्राम वासियों) को पीलिया, फेफड़े की बीमारी, हैपीटाइटिस-बी आदि बीमारियां होने से गरीब लोग व अन्य मर चुके हैं। आज भी बचाव नहीं हो पा रहा है। आज भी गम्भीर रूप से लोग बीमार हैं। यह प्रश्न अत्यन्त लोकमहत्व अविलम्बनीय व जनहित से जुड़ा है।

कृपया जांच कराकर इस दूषित पानी को रोकने व बीमार लोगों की जांच तथा चिकित्सा का प्रबन्ध करने के लिये मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

मुजफ्फरनगर जनपद की पूर्व यमुना नदी से सम्बन्धित रजबाहों में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकुम सिंह-

[सदन और सदन के बाहर बार-बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सिंचाई समस्या को उजागर करने के बावजूद भी अभी तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है विगत 6 महीने से मुजफ्फरनगर जनपद की पूर्व यमुना नदी से सम्बन्धित किसी भी रजबाहे में एक बूंद पानी नहीं आया है। गेहूं की बुवाई के लिए किसान अपनी भूमि का पलेवा करने के लिए तरस रहा है परन्तु टेल तक पानी जाना तो दूर किसी भी रजबाहे में पानी की मात्रा शून्य है। इस प्रकार सिंचाई से वंचित होने के कारण समस्त सिंचाई का कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है।

सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस ज्वलन्त समस्या का तुरन्त निदान किया जाय।]

मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खूंटखेड़ा से ग्राम मल्हीवाला तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिजवान अहमद खां-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र के कांठ, जनपद-मुरादाबाद क्षेत्र में ग्राम-खूंटखेड़ा, गुलरिया, मोढ़ी, बक हाफिजपुर, मल्हीवाला, मिर्जापुर, वैगमपुर, अकबरपुर बेर्दरी व पैदरी अकबरपुर तमाम ग्राम क्षेत्र खादर रामगंगा का क्षेत्र है। यहां से लाखों टन गन्ना ढुलकर स्योहारा ऊपर गैंगेज स्योहारा मिल को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सप्लाई होता है। परन्तु उक्त जंगल में कोई पक्का मार्ग या खड़न्जा या सड़क आदि की व्यवस्था नहीं है। कहीं-कहीं पुलिया तो बना दी गयी है। जिस पर रो पीट कर लगभग तीन चार किलोमीटर पार करके गन्ना और अन्य फसल पक्के मार्ग तक कृषकों द्वारा पहुंचती है और रास्ते में कच्चा मार्ग होने के कारण किसानों के पशु गाड़ियां लगते रहते हैं जिससे कई ग्रामों के किसानों में अधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। गन्ने का सीजन आरम्भ हो गया है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उक्त मार्ग जिस पर ब्लाक द्वारा मिट्टी भी कहीं-कहीं डाल दी गयी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम-खूंटखेड़ा से ग्राम मिश्रीपुर के पश्चिम होते हुए वक्फ हाफिजपुर से घूमती हुई ग्राम-माल्हीवाला तक मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली की कतिपय ग्राम पंचायतों के प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मपाल सिंह-

[विधान सभा आंवला जनपद बरेली की ग्राम पंचायत सिहोलिया क्षेत्र पंचायत आलमपुर-जाफराबाद में स्थिति जू0हा0 स्कूल में अध्यापक की कमी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इससे सरकार की सर्व शिक्षा अभियान की भी पोल खुल रही है। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत रामनगर को ग्राम पंचायत देवकोला में प्रा0 विद्यालय में अध्यापक का अभाव है। परन्तु खेद का विषय है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सरकार उदासीन है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शीघ्र कार्यवाही कर अध्यापकों की नियुक्ति करने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर में बन्द पड़े तारा मण्डल को पुनः चलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, 23 जनवरी, 2006 को मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा गोरखपुर के तारामण्डल के लोकार्पण के उपरान्त गोरखपुर के नागरिकों को ऐसा महसूस हुआ था कि पहले 19 वर्षों से अधूरी पड़ी इस योजना के प्रारम्भ होने के उपरान्त अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मनोरंजन, शिक्षा तथा पर्यटन की दृष्टि से उपहार प्राप्त हो गया है। लेकिन अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लोकार्पण के 3 माह बाद ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण तारामण्डल का संचालन बन्द हो गया है। सूत्रों के अनुसार, व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायी न होने के कारण गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसे चलाने से मना कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया है। शासन गोरखपुर, लखनऊ तथा रामपुर के निर्माणाधीन तारामण्डल के संचालन हेतु एक तीन सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशें भी शासन को प्राप्त हो गयी है। समिति की सिफारिशों से अभी तक जनप्रतिनिधियों को न तो अवगत कराया गया है और न ही उन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए बन्द पड़े तारामण्डल को प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया है।

यह अन्यन्त आवश्यक है कि जब तक समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्यवाही न हो तब तक अस्थाई व्यवस्था के रूप में लखनऊ तारामण्डल से 2 विशेष अधिकारियों को गोरखपुर तारामण्डल स्थानान्तरित करके गोरखपुर तारामण्डल तुरन्त प्रारम्भ किया जाये, अन्यथा तारामण्डल की मशीनें खराब हो जायेंगी।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत सरकार को सुझाव हेतु निर्देशित करें।]

लखनऊ के कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत देवपुर से जलालपुर रेलवे फाटक तक क्षतिग्रस्त मार्ग को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के मुख्य मार्ग पर 5 वर्ष पूर्व भूमिगत नाला बनाया गया था, जिसके कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग से निर्मित है इस मार्ग का नाम कृष्णानगर तालकटोरा मार्ग है।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि सम्पूर्ण मार्ग देवपुर से जलालपुर रेलवे फाटक मार्ग तत्काल ठीक कराके मा0 मंत्री जी द्वारा सदन में उत्तर दिलाने की कृपा करें।]

ग्राम पंचायत अधिकारी, लखनऊ के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजीम भाई-

[मुझे आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना है कि वर्ष 1986 में ग्राम पंचायत अधिकारी, लखनऊ के 5 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये गये थे और उस पद पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रतिबन्धित कर दी गयी थी।

किन्तु खेद है कि उक्त आरक्षित पद पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद भी इस पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी श्री कमल किशोर शुक्ला की नियुक्ति कर दी गयी थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन ने नियमों के प्रतिकूल की गयी नियुक्ति की जांच किये जाने हेतु शासनादेश जारी किया गया था, किन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 20 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी न तो जांच पूरी की गयी और न ही दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

मान्यवर, अविलम्बनीय इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये यह निवेदन है कि उक्त जांच आख्या सदन के पटल पर अविलम्ब रखी जाये ताकि विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही त्वरित ढंग से की जा सके।]

जनपद-बस्ती के प्राथमिक विद्यालयों में बी0एड0 डिग्रीधारी शिक्षकों को नौकरी में पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य-

[बस्ती जनपद में 150 बर्खास्त शिक्षकों की समस्याएं पिछले तीन वर्षों से लम्बित हैं तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश सिंह ने 150 शिक्षकों की जो बी0एड0 डिग्रीधारी थे प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की थी इन शिक्षकों ने कई महीने अध्यापन कार्य भी किया मगर तत्कालीन मायावती की सरकार ने इन शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। ये शिक्षक भुखमरी के शिकार और मारे-मारे फिर रहे हैं। मानसिक रूप से पीड़ित ये शिक्षक आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं इसलिए मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इन्हें पुनः नौकरी में लेना अति आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियुक्ति हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एवं उनके नियुक्ति के लिए शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

प्रदेश में गन्ना कृषकों के संरक्षण हेतु चालू पेराई सत्र के लिये रु0 150/-प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य घोषित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय कुमार-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है लेकिन चालू गन्ना पेराई सत्र में राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य अभी तक घोषित न किये जाने के फलस्वरूप कृषकों में रोष एवं असन्तोष व्याप्त है। इस वर्ष कम वर्षा होने तथा डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी होने से कृषकों का लागत मूल्य भी बढ़ा है। पिछले महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में कम विद्युत आपूर्ति होने के कारण, वांछित सिंचाइयों के अभाव में गन्ना फसल की पैदावार पर कुप्रभाव पड़ा है। अतः किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाया जाना अति आवश्यक है।

बाजार में चीनी की कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गन्ना कृषकों के हितों के संरक्षण के लिए चालू पेराई सत्र के लिए 150 रु0 प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाना न्याय संगत एवं तर्क पूर्ण होगा।

प्रदेश के व्यापक जनहित के इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर शीघ्र वांछित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि सभी 15 माननीय सदस्य उपस्थित हैं इसलिए प्रतीक्षा सूची से श्री विनोद कुमार सिंह तथा श्री मुंशीलाल गौतम की सूचना नहीं ले रहे हैं।

मा0 सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

1-श्रीमती विद्या चौधरी

2-श्री रंगनाथ मिश्र

3-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

4-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय

5-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

6-श्री कौशल किशोर

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, नियम-301 की 4 सूचनाएं बाकी हैं। महीने में एक-दो दिन सत्र होता है इसलिए हम लोगों को बहुत कम मौका मिलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। वह भी ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर विचार कर लेंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 7 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। पहली सूचना श्री राम कृपाल की लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट संख्या-1/2006 को अभी तक सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की लोकायुक्त/उप लोकायुक्त की रिपोर्टों पर शासन द्वारा उचित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की वाराणसी में श्री कपिल देव मौर्य की पुलिस द्वारा की गयी हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को सदन में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न होने के सम्बन्ध में है।

लोकायुक्त/उप लोकायुक्त की रिपोर्ट पर शासन द्वारा उचित कार्यवाही करने में विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, श्री राम कृपाल जी की सहमति से मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, जब लोकायुक्त के पद का गठन हुआ था तो इससे बड़ी उम्मीदें और आस्थाएं थीं। मान्यवर, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जायेंगे तो अगर उनकी एक निश्चित प्रोफार्मे में शिकायत लोकायुक्त से की जाएगी तो लोकायुक्त उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद उस पर कार्यवाही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए शासन को लिखेगा। लेकिन मान्यवर, कुछ दिनों में इसकी सच्चाई सामने आ गयी। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो बना था। मान्यवर, यह हम नहीं कह रहे हैं यह स्वयं लोकायुक्त कह रहे हैं कि हमारे करने से कुछ होता नहीं है। हम जिन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं वह सारे प्रकरण शासन से लम्बित हो जाते हैं। लेकिन मान्यवर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को बेहतर अधिकार मिले हुए हैं। मान्यवर, 3 दर्जन राजनेताओं, डेढ़ दर्जन नौकरशाहों के खिलाफ जांच की फाइलें राज्य सरकार के दरवाजे पर धक्के खा रही हैं। यह मैं नहीं बल्कि स्वयं लोकायुक्त कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी हो गयी, कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के पास पड़ी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, अधिनियम के तहत जो ताकत है उसके अनुसार वह कार्यवाही के लिए सिफारिश करते हैं। मान्यवर, वह माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। हम उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने सारे दोष सिद्ध होने के बाद ही यह शासन को प्रेषित किया होगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त/उप लोकायुक्त 1975 का अध्ययन करें तो बड़ा स्वाभाविक है। इसके 12 ए ब 7 के अन्तर्गत।

उप धारा-5 के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उप धारा-6 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रतिलिपि स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के प्रदेश के समक्ष रखवायेंगे। धारा 10 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोकायुक्त अपने द्वारा या उप लोकायुक्त द्वारा समाप्त किये गये अन्यथा निपटाये गये मामलों का सारांश जो सामान्य स्वैच्छिक या वैयक्तिक अभिरुचि का प्रतीक हो ऐसी रीति तथा ऐसे व्यक्तियों पर समय-समय पर सार का अनुसरण करा सकेंगे जिन्हें उपयुक्त समझेंगे। यह न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत हो गया और अधिनियम के विपरीत हो गया। एक याची ने सम्पूर्ण तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखा। सालों प्रयास किया। लोकायुक्त ने जिसे उपयुक्त समझा सुनवाई के लिए रखा और अवसर दिया सारे पक्षों को। अवसर देने के बाद सरकार की मंशा क्या है ? लोकायुक्त की रिपोर्ट आ रही है। यह सम्मानित सदन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और वह सालों से धूल चाट रही है। तो कहीं न कहीं व्यर्थ में प्रथम दृष्टया दोषी लोगों को बचाने के लिए यह हित साधक तो नहीं बन रहे हैं। कार्यवाही हो चुकी है, वैधानिक परम्पराओं का पालन हो चुका है और समस्त औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सदन में नहीं रखी जा रही है और जब तक सदन में नहीं रखी जायेगी सरकार संज्ञान नहीं लेगी और जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेगी कार्यवाही नहीं होगी तो यह जो औरनामेंटल पद है या तो इसे समाप्त किया जाय ताकि जो याचीगण हैं, पीड़ितगण हैं कोई दूसरा-दूसरा रास्ता ढूंढ सकें। पता लगा कि तीन चार साल उस दर में भटकते रहे और अगर सफलता मिल जाय लेकिन उसमें कार्यवाही न हो तो यह उचित नहीं है। अगर पीड़ित कहे, याची कहे तो यह बात समझ में आती है लेकिन पुराने हमारे लोकायुक्त जस्टिस वर्मा जी यही कहते-कहते चले गये, जस्टिस मुर्तजा साहब भी यही कहते-कहते चले गये और अब वर्तमान के जस्टिस मेहरोत्रा साहब कहें तो यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता या तो यह पद समाप्त कर दिया जाय। लोगों की आकांक्षाओं का केन्द्र समाप्त कर दिया जाय। मैं यहां पर पूर्ण विश्वास करते हुए इस अधिनियम के ऐक्ट पर औचित्य का प्रश्न उठाते हुए यह आग्रह करना चाहता हूं कि लोकायुक्त ने जो रिपोर्ट दे दी है, उसमें एक निश्चित अवधि के अन्दर निर्देश जारी करें। पन्द्रह दिन या एक महीने में सदन के पटल पर आ जाय। इससे पहले कि सदन का 5 वर्ष का

कार्यकाल पूरा हो और हम चुनाव में चले जायें वह लोग सामने तो आयें। उनके चेहरे बेनकाब हो जायं जो लोग दोषी सिद्ध हुए हैं। वर्षों की मेहनत के बाद उन पर दोष सिद्ध किया गया है। अन्यथा मैं यह कहना चाहूंगा कि लोकायुक्त की रिपोर्ट अगर सदन में नहीं रखी जाती है तो इससे इस सदन में भी छींटें लगती हैं कि हम दोषी लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। मान्यवर, यह आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, पूर्णतया आपके विवेक पर है, आपके अधीन है। यह अधिनियम आपको शक्ति देता है कि लोकायुक्त ने जो रिपोर्ट सौंपी हो, सदन में लम्बित हो, शासन के विचाराधीन हो, उसे सदन में रखा जाय। वरना मैं यह समझूंगा कि जिनके विरुद्ध यह रिपोर्ट है उन्हें बचाने के लिए इस अधिनियम का गला घोंटा जा रहा है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं इस औचित्य के प्रश्न पर।

*श्री राम कृपाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 300 में जो माननीय प्रमोद कुमार जी ने आपके समक्ष अपनी बात रखी है उससे अपने को जोड़ते हुए मैं उससे सहमत हूं। इसी सम्बन्ध में मेरी भी सूचना है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि समाजसेवी अंशुमालवी ने इलाहाबाद के पूर्व मंत्री के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं सरकारी जमीन बेचने की शिकायत संख्या-1255/2005 दर्ज करायी थी जिसमें एक अन्तरिम रिपोर्ट 22 नवम्बर, 2002 को मा0 लोकायुक्त ने जिलाधिकारी, इलाहाबाद को भेजी है जिसमें एफ0आई0आर0 दर्ज होकर चार्ज शीट दाखिल हो गयी किन्तु शासन की ओर से उसमें सार्थक पैरवी नहीं की जा रही है। इसी शिकायत की पूरी जांच करके माननीय लोकायुक्त महोदय ने 20 जुलाई, 2005 को प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को भेजी, जिसमें उन्होंने तीन संस्तुतियां की हैं, उसमें एक संस्तुति यह है कि आरोपी लोक सेवक के विरुद्ध सिद्ध पाये गये आरोप संख्या-4 के आधार पर अधिकारों का प्रयोग जनहित में न करके निजी हित में करते हुए कुल धनराशि पांच लाख एक हजार जो निजी सड़क और निजी सीवर लाइन डलवाने में उपयोग कर लिया गया है उसकी वसूली मय धन ब्याज के आरोपी लोक सेवक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर से की जाये। 29 जुलाई, 2005 से यह रिपोर्ट शासन में धूल चाट रही है एक वर्ष से भी ज्यादा समय हो जाने के बाद कार्यवाही न किये जाने पर संदेह होता है जबकि गरीब लोगों की वसूली में जेल भेज दिया जाता है मान्यवर, शासन ने शिकायत की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी है किन्तु मैं आपको सदन की सम्पत्ति के रूप में दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपकी बात आ गई अब मैं इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं इस पर निर्णय बाद में दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक आग्रह करूंगा, मान्यवर निर्णय सुरक्षित रहने से बड़ा डर लगता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी अभी औचित्य के प्रश्न के माध्यम से नियम- 300 के अर्न्तगत माननीय सदस्य श्री राम कृपाल जी ने और माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी ने जो सूचना सदन के सामने रखी है श्रीमन् यह सरकार की ओर से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी निर्देश होंगे मान्यवर किसी संवैधानिक संस्था के महत्व को कम करने का या किसी ऐसी घटना को जो कार्यवाही किये जाने योग्य हो उसको दबाने का कोई अभिप्राय इस सरकार का नहीं है, हम तो उस पर सम्यक् रूप से कार्यवाही करेंगे लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप करने के लिए मान्यवर, इस नियम-300 का सहारा लिया जाय जो इस सदन का सदस्य हो और आक्षेप करने के लिए मान्यवर, इनका सहारा लिया जाय यह कदाचित् नियमों में श्रीमन् अनुमन्य नहीं है हमारी नियमावली में इसके बाकायदा प्राविधान हैं श्रीमन् और अगर किसी पर राजनीतिक कारणों से या अन्य किसी कारणों से अगर आक्षेप करना हो श्रीमन् मैं नोटिस देख रहा हूं नोटिस में मान्यवर, लिखा हुआ है कि सामाजिक कार्यकर्ता अंशु मालवी ने पूर्व भाजपा मंत्री एवं विधायक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करके उनके परिवार द्वारा सरकारी राजकीय आस्थान की करोड़ों रुपये की जमीन इलाहाबाद में बेचने, बिकवाने.....

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह अच्छे वकील हैं, पता नहीं इन्होंने बलिया में ही क्यों वकालत की इनको तो हाईकोर्ट में होना चाहिए था, मान्यवर, माननीय सदस्य ने कोई बात कही और वह सारे तथ्यों को सदन की सम्पत्ति बना रहे हैं माननीय मंत्री जी, जबकि एक तरफ कह रहे हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया भी है कि किसी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगाना और सदस्य के खिलाफ जो लोकायुक्त ने जांच करके आरोप सिद्ध कर दिया है उसको पढ़ रहे हैं माननीय मंत्री जी मैं उनकी इस कुशाग्र बुद्धि को धन्यवाद देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं मान्यवर, पाल साहब को भ्रम हुआ है, लोकायुक्त की रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है, मैं नोटिस पढ़ रहा हूँ मान्यवर नोटिस में लिखा है कि इलाहाबाद में जमीन बेचने, बिकवाने.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है माननीय सदस्य ने तो उसका विवरण बता दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं विवरण नहीं बता रहा हूं, आप जो कहें मैं वह कहूं।

श्री हुकुम सिंह-

यह उसको पढ़ कर कहानी सुना रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं कोई मन गढ़न्त बात नहीं कह रहा हूं मैं एक-आधा शब्द भी अपनी ओर से नहीं कहूंगा मैं अपना पक्ष कहूंगा मुझे नोटिस का उत्तर देना पड़ेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

नोटिस तो उन्होंने पढ़ा, नोटिस का उत्तर आप दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी से हम तब सीखते रहे और आज सीखते हैं, लेकिन आज का पाठ उनका सीखने योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं किसी से सीखता नहीं, सीखना चाहिए, अगर कोई अच्छी बात है तो उसको सीखना चाहिए। नियमावली है, नियमावली से ही काम चलता है। आप अपनी बात कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नोटिस पढ़ लेने दें। जांच में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन बेचने/बिकवाने की शिकायत सही पाये जाने पर थाना शिवकुटी, इलाहाबाद में इनकी पत्नी के विरुद्ध लोकायुक्त के निर्देश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है। इसी प्रकार अपने निजी मकान के लिये सड़क और सीवर विधायक निधि से बनवाने की शिकायत भी सही पायी गयी और प्रतिवेदन संख्या 16/2005, 29 जुलाई, 2005 को मा0 लोकयुक्त ने प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को भेजी किन्तु लगभग डेढ़ वर्ष बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं किये जाने पर जनवरी, 2006 में विशेष रिपोर्ट संख्या 1/2006 महामहिम राज्यपाल को लोकायुक्त द्वारा भेज दी गई।

मान्यवर, आप देखें महामहिम राज्यपाल ने फिर दूसरी बार भेजी। हर चीज को महामहिम राज्यपाल के यहां पहुंचाने की आदत माननीय सदस्यों की हो गयी है। हो सकता है कि किसी राजनीतिक रिश्ते से आप महामहिम राज्यपाल को अपना रिश्तेदार मानते हैं। वहां के दफ्तर का आप उपयोग करते हैं। लेकिन यहां यह बात तो उचित नहीं है। मान्यवर, इसमें लोकायुक्त की रिपोर्ट है जो सरकार को आयी है तो मान्यवर, उसमें नियमानुसार कार्यवाही होगी। उसमें चाहे कोई पूर्व मंत्री हो, इस सदन का सदस्य हो या कोई बड़ा अधिकारी हो। किसी के लिए अपवाद इसमें नहीं करेंगे। जो नियमों में अनुमन्य है उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, वह अगर कोई गलत तथ्य रख रहे हों तो आप उन्हें रोक दें और अगर हम गलत तथ्य रख रहे हैं तो हमें आप रोक दें। आप देखें कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब किसी को कोई अनुमति नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय प्रमोद जी माननीय राम कृपाल जी की अनुमति से यहां खड़े हो गये थे। उस सूचना का हमने यहां सन्दर्भ दिया है। माननीय प्रमोद जी ने अपनी सूचना के रूप में इसे नहीं कहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपने इन्हें कई बार सुन लिया है। नियम 300 के अन्तर्गत मेरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

अब मुझे अपना निर्णय देने दीजिये आपने उसे यहां पढ़ दिया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह परम्परा नहीं हैं आप मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

कोई कारण तो बतायें। यह चर्चा तो हो नहीं रही है। मुझे निर्णय दे देने दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार-

आप मान्यवर, निर्णय देने से पूर्व मुझे कृपया सुन लें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, निर्णय तो अब सुरक्षित हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

आज आप मेरी बात मान लें। लोकायुक्त की रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी जो यह नियमावली बनी है जो ऐक्ट बना है उसके तहत लोकायुक्त की रिपोर्ट जाती है शासन को और शासन उसे विधान मण्डल के पटल पर रखता है। अब मुझे नहीं पता है कि यह कितनी यहां रखी गयी हैं कितनी नहीं रखी गयी हैं। इस पर सोच कर मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, निर्णय सुरक्षित होने के बाद व्यवस्था का प्रश्न कहां से उठता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है वह पूरी तरह से एकेडमिक है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इन सब चीजों को पढ़कर नियमों के अन्तर्गत अपना निर्णय दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा है इसलिए कुछ स्पष्टीकरण कर लेने दीजिये। राज्यपाल महोदय की बात को वाद-विवाद में न लायें। मैंने तो सिर्फ ऐक्ट पर बात कही है कि विधान मण्डल के पटल पर वह विवरण रखने के लिए कहते हैं। मैंने किसी सदस्य का यहां नाम नहीं लिया है। क्योंकि नियमानुसार यदि किसी सदस्य का हम यहां नाम लेते हैं तो उसको उसकी पूर्व सूचना देनी पड़ती है कोई रिपोर्ट लोकायुक्त के यहां से आ गयी अब अगर शासन उसे सदन में नहीं रखता है तो शासन उस भ्रष्ट अधिकारी को कहीं न कहीं से बचाने का प्रयास कर रहा है। मेरा आपसे सिर्फ यह कहना है।

वाराणसी में श्री कपिल देव मौर्य की पुलिस द्वारा की गयी हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को सदन में उठाये गये प्रकरण पर श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना माननीय रंगनाथ मिश्र की है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, 11 अक्टूबर को हमने नियम 56 में एक सूचना दी थी उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था विषय की गम्भीरता को देखते हुए, घटना इतनी गम्भीर थी कि कपिल देव मौर्य एक गरीब आदमी जो छात्र भी था, पैसा लेकर बनारस गया था सामान खरीदने।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मिश्रा जी, आपने ध्यान आकृष्ट किया, मुझे कह लेने दीजिए आपकी बात आ गयी।

माननीय मंत्री जी यह प्रश्न नियम 56 में उठा था और उस समय काफी वातावरण गम्भीर हो गया था और मैंने यह निर्देश दिया था कि इसकी जांच करायें कि क्या सही है और क्या गलत है और एक सप्ताह के अन्दर हमें प्रेषित किया जाय लेकिन वह आज तक आया नहीं। इसकी जांच कराकर तत्काल इसकी रिपोर्ट प्रेषित करिये।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, अगली बैठक में।

श्री अध्यक्ष-

अगली बैठक में या उससे पहले।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुखदेव राजभर, श्री कौशल किशोर तथा श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार की नियम 300 की सूचना अस्वीकार की गयी।

(मद संख्या-3 पुकारे जाने एवं श्री सुखदेव राजभर तथा श्री जगदम्बिका पाल के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग बनेगा।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को

पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 नवम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 नवम्बर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का तैंतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 नवम्बर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 नवम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का चौंतीसवां अधिनियम बन गया।

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 नवम्बर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का पैंतीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का सप्तम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) †

सभापति लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का सप्तम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति (2002-2003) के चतुर्थ

नोट :- † छापा नहीं गया।

प्रतिवेदन (खण्ड-2) में की गई संस्तुतियों पर शासन के विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का अष्टम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) †

सभापति लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का अष्टम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) संख्या-3 पर आधारित लोक लेखा समिति (2002-2003) के प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1) में की गई संस्तुतियों पर शासन के विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का नवम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) †

सभापति लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का नवम् प्रतिवेदन (कार्यान्वयन), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) संख्या-3 (खंण्ड-1) पर आधारित लोक लेखा समिति (1999-2000) के प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1) में की गई संस्तुतियों पर शासन के विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007), समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997-1998 एवं वर्ष 1998-1999 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड तथा वर्ष 1997-1998 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का उन्तीसवां प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007), समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1984-1985, वर्ष 1985-1986 तथा वर्ष 1989-90 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

नोट :- † छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का तीसवां प्रतिदेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007), समिति का तीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1978-79, 1979-80, 1981-82 तथा वर्ष 1997-98 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का इकत्तीसवां प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007), समिति का इकत्तीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007) का बत्तीसवां प्रतिवेदन †

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2006-2007), समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-96 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड) से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 107वां (एक सौ सातवां) प्रतिवेदन †

सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 107वां (एक सौ सातवां) प्रतिवेदन जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, खादी ग्रामोद्योग, आबकारी, राज्य सम्पत्ति, परिवहन, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, चिकित्सा शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास, ऊर्जा तथा गृह (पुलिस) विभागों के वर्ष 1989 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

नोट :- † छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15-16 तथा 17 में कुछ नहीं है।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को नियम-311 की 4 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री लालजी टण्डन तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद सीतापुर के थाना-थानगांव अन्तर्गत सामूहिक नरसंहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसी विषय पर श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री आर0 पी0 एन0 सिंह की सूचना भी है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

क्रम से आयेगा।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16 नवम्बर को सीतापुर के थाना थानगांव की घटना है, गांव शंकरपुर है, वहां पर 15 लोगों की नृशंस हत्या हो गई है। मैं वहां पर गया था, मैंने वहां जो दृश्य देखा, गांव से लोग भय के कारण पलायन कर रहे हैं और आशंका यह है कि घटना फिर होने वाली है। घटना की शुरूआत यहां से हुई कि एक दिन पहले रात में 10 बजे पांच लोगों की हत्या कर दी गई। गांव वाले तीन-चार किलोमीटर दूर थाने पर रिपोर्ट लिखवाने गये कि वहां पर फायरिंग हुई और हत्या कर दी गई, सुबह आठ बजे तक पुलिस वहां नहीं पहुंची और इसी बीच में जिस परिवार के लोग मारे गये थे, उनसे सम्बन्धित कुछ लोग वहां आये और उन्होंने बदले में जो भी मिला उसको मारना शुरू कर दिया। एक ऐसा अमानुषिक दर्दनाक दृश्य जो शायद कभी न घटित हुआ हो, वहां पर घटित हुआ। एक महिला जो गर्भवती थी, प्रसवपीड़ा से परेशान थी, उसे गोली मार दी गई, बच्चा बाहर आ गया, बच्चा भी मर गया और वह भी मर गई। मान्यवर, वहां पी0ए0सी0 तो लगा दी गई है लेकिन रात में गांव में रोशनी का कोई इन्तजाम नहीं है। जवान अपने कैम्प में पड़े रहते हैं, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उनके पास टार्च तक नहीं है कि वह अंधेरे में जा करके काम कर सकें जो अपराधी हैं वह बार-बार धमकी दे रहे हैं कि अभी हमें 10 लोगों को और मारना है, उसके बाद जेल जाना है, अपराधियों में एक व्यक्ति ऐसा भी है, जिसको आजीवन कारावास का दण्ड मिल चुका है, वह कहता है कि मुझे और कोई दूसरी सजा नहीं होनी है, मैं इन लोगों को मारकर ही जाऊंगा। स्थान बताया जा रहा है लेकिन पुलिस वहां पहुंचकर गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और बराबर वह लोग धमकी दे रहे हैं। सरकार ने एक लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है, मान्यवर, मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई बार कह चुका हूं कि आदमी के जीवन का मूल्य अलग-अलग नहीं नापा जा सकता। अगर यही साम्प्रदायिक दंगा हुआ होता तो मरने वाले को पांच लाख रुपये मिलते। यह निर्दोष लोग जिनका कोई दोष नहीं था, प्रशासनिक कमियों के कारण मारे गये हैं। एक जगह झगड़ा हुआ था, पीछे मकान था आगे गली थी, कोई व्यक्ति कहता था कि यह मेरी जमीन है, मैं इधर से नहीं निकलने दूंगा। वह लोग तहसीलदार को बुलाते रहे कि आ करके नाप दीजिए, तहसीलदार गांव में नहीं पहुंचा। तहसीलदार नहीं मैं लेखपाल की बात कर रहा हूं। जिस दिन मैं पहुंचा हूं, उसमें से बचा एक लड़का मुझे बताने लगा कि मेरे परिवार का झगड़ा था, इस रास्ते की वजह से सबको मार दिया गया, हम लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा था। तहसीलदार से मैंने पूछा कि यह जो गली है, इसमें क्या सत्यता है तो तहसीलदार ने कहा कि आज तक मेरे सामने यह विषय आया ही नहीं। मान्यवर, कितनी शर्मनाक बात है कि एक छोटे से रास्ते के लिए कई लोगों की जानें चली गईं और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई जिम्मेदारी नहीं निश्चित की जा रही है। इसी तरह से वहां पर एस0पी0 का ट्रांसफर उसी दिन हो गया था, जिस दिन घटना घटित हुई, घटना घटित होने के पूर्व ही हो गया था, स्वाभाविक रूप में एक थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया लेकिन वहां के सी0ओ0 यह कहते हैं कि मेरे सामने से कागज गुजरा ही नहीं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, इतनी बड़ी घटना हो गयी, वहां के सी0ओ0 कल वह कह रहे थे कि मेरे सामने से कागज गुजर गया होगा, मैंने देखा ही नहीं। अगर इस तरह से लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ होगा तो प्रदेश का क्या होने वाला है ? मान्यवर, सारा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। जिस दिन की घटना यह बता रहा हूं, उस दिन लगभग 25 लोग एक ही दिन उत्तर प्रदेश में मारे गये। लखनऊ में 3-4 लोग मारे गये, कानपुर में मारे गये और दूसरे दिन यह शर्मनाक बयान आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हो गयी है।

आज मुख्य मंत्री के जन्म दिवस पर उनको सभी सदस्यों द्वारा दी गई बधाई

(नेता सदन के सदन में पहुंचने पर सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मैं कुछ और बात कहूं इससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का आज जन्म दिन है, मैं अपनी तरफ से उनको जन्म दिन की बधाई देता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी स्वस्थ रहें और देश के राजनीतिक शिखर तक पहुंचें।

श्री अध्यक्ष-

मेरी तरफ से भी माननीय मुख्य मंत्री जी को जन्म दिन की बधाई।

श्री जगदम्बिका पाल-

सदन के सभी मा0 सदस्य मुख्य मंत्री जी को जन्म दिन की बधाई दे रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मेरी तरफ से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद, बधाई और शुभकामनायें।

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 नेता सदन ने बड़ी सादगी और बड़प्पन से माननीय नेताओं और पूरे सदन का आभार व्यक्त किया। मैं अपने साथियों की ओर से, मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों की ओर से आपको जन्म दिन की हार्दिक शुभकामनायें देता हूं तथा आपके दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना करता हूं। जो भावनायें आपके आने से पूर्व माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और प्रमोद कुमार जी ने व्यक्त की उसके लिए माननीय नेता सदन ने स्वयं आभार प्रकट किया है। हम सब उनके प्रति भी आभारी हैं जो सद्भाव के साथ जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सभी मा0 नेताओं ने बधाई और शुभकामनायें दी और दीर्घजीवी होने की कामना की। मैं भी सभी नेताओं की भावनाओं से अपने को जोड़ते हुए अपनी तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य और यशस्वी होने की कामना करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं भी माननीय मुख्य मंत्री जी को जन्म दिन की बधाई देता हूं।

श्री राम नरेश यादव-

माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरी तरफ से जन्म दिन की हार्दिक बधाई, सम्पूर्ण सदन की तरफ से मुख्य मंत्री जी को बधाई।

श्री अध्यक्ष-

सम्पूर्ण सदन की ओर से मुख्य मंत्री जी को बधाई, सम्पूर्ण सदन इससे सहमत है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(क्रमागत)

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, ऐसी लोमहर्षक घटना है जो शायद ही घटी हो, गर्भवती महिला जो प्रसव पीड़ा से परेशान है, उसको उसी समय गोली मार दी जाए, बच्चा बाहर आ जाए और मर जाए, ऐसी घटनायें सुनने में नहीं आती हैं और कहीं हैं तो इससे ज्यादा अमानुषिक क्या हो सकता है ? अपराधियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है और यह भी बताया जा रहा है कि कहां पर है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता लेकिन जो बताया गया है कि वहां के सांसद और विधायक में छत्तीस का आंकड़ा है। एक पक्ष को किसी का समर्थन है, दूसरे पक्ष को किसी का समर्थन है इसलिए प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। दबाव में सी0ओ0 यह कहता है कि मेरे सामने कागज गुजर गया होगा।

मैंने देखा ही नहीं। रात 10 बजे यह घटना घटी और सबेरे 8 बजे पुलिस पहुंची और जब रिपोर्ट लिखाने लोग गये तो थानेदार कहता है कि मेरे पास फोर्स नहीं है, हम क्या करें। यह हालत है कानून व्यवस्था की। मान्यवर, मुझे बताया गया कि अभी कुछ दिन पहले तंबौर में पुलिस को लोगों ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मारा पीटा, एस0पी0 की गाड़ी तोड़ दी गयी, एस0डी0एम0 जान बचाकर भागे। वहां पर 4 थानों के वाहनों को जला दिया गया। सीतापुर जनपद की आज यह स्थिति है कि 4 थानों में कोई गाड़ी नहीं है। अगर कोई हत्या हो जाती है तो जायेगा कोई कैसे ? यह मौका है हत्या करने का क्योंकि पुलिस तो पहुंच ही नहीं सकती। अब यह बहाना भी हो सकता है कि हमारे पास वाहन नहीं है। जो सी0ओ0 यह कह रहा है कि मुझे घटना की सूचना नहीं है, मेरे सामने से कागज गया होगा तो रूटीन में निकल गया होगा इससे ज्यादा गम्भीर बात और कोई नहीं हो सकती। माननीय मुख्य मंत्री जी आज आपका जन्मदिन है, इन लोगों के साथ न्याय करें। इनको एक लाख रुपये की सहायता की घोषणा की गयी है। वहां पर एक व्यक्ति आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसके एक लड़की थी। उसकी लड़की और दामाद वहां आये थे अपने बच्चों के साथ। वह दोनों मार दिये गये। अब वह बूढ़ा बिलख-बिलख कर रो रहा है कि उनके तीन बच्चे हैं उनका पालन कैसे होगा ? क्या एक लाख रुपये में उनका पालन हो सकता है।

मान्यवर, मैं यही कहता हूं कि इसके बारे में कोई मानदण्ड तय करिये, हत्यारों के बारे में कि किसको कितनी आर्थिक सहायता दी जायेगी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अगर यही दंगा साम्प्रदायिक होता तो 5-5 लाख रुपये मिल गये होते, यह कहकर कि वह निरीह लोग मारे गये हैं। मान्यवर, यह भी तो निरीह थे इनका तो कोई दोष भी नहीं था जो मिला वहां पर उसको हत्यारों ने मारना शुरू कर दिया। मैं चेतावनी देता हूं और जो मैं वहां पर देखकर आया हूं, जिस तरह की धमकियां वह अभी भेज रहे हैं कि अभी 10 लोगों को और मारूंगा तब जेल जाऊंगा। मैं सरेंडर नहीं करूंगा पुलिस के पास जानकारी है कि वह कहां पर छिपे हुये हैं ? वह गन्ने के खेतों में छिपे हुये हैं लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है। आज हालत क्या हो रही है आप देखें। एक दिन में 20-22 लोगों की प्रदेश में हत्यायें हो जायं और कहा जाय कि कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हो रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि बदतर कौन सी होगी ? क्या 20 की जगह पर 200 लोग मारे जायेंगे तो कहा जायेगा कि कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। 16 नवम्बर को यह घटना घटी 16 नवम्बर को प्रदेश में 30 से अधिक हत्यायें, चोरी, अपहरण की घटनायें और हुयीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आप सीतापुर पर बोलें।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैं रिफ़रेंस में कह सकता हूं कि कितनी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके कहते हैं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो गयी है तो अगर कानून-व्यवस्था अच्छी हो गयी है तो फिर बदतर क्या होगी ? उन्हें सुधार करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि वह समझ रहे हैं कि यही व्यवस्था चलनी जरूरी है। अभी एक सर्वे हुआ है देश भर में जितने अपहरण हुये हैं बच्चों के उसका 27 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल जी घटना सीतापुर के बारे में है। कानून-व्यवस्था पर चर्चा नहीं है।

श्री लाल जी टण्डन-

सीतापुर की घटना गाना बजाना नहीं है। जिस तरह की घटना सीतापुर में हुई उसी तरह की यह घटनाएं हैं। हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं ? पांच लोग उसी दिन लखनऊ में मार दिए गए क्या उनको छोड़ दें, वह लावारिस थे ? उनके लिए सदन का कोई कर्तव्य नहीं है। मैं लखनऊ का प्रतिनिधि हूं लखनऊ की जनता आंखों पर बिठाती है वहां के लोग अगर मर जाएं तो मैं कहूंगा भी नहीं। मुझे मुख्य मंत्री जी के सामने कहने का हक है। यह किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। यह जो व्यवस्था चल रही है जो रोज ट्रांसफर हो रहे हैं यह उसके कारण हो रहा है उसी दिन अगर एस0पी0 का ट्रांसफर न होता तो घटना बच जाती। अगर सी0ओ0 ने अपना कर्तव्य निर्वाह कर दिया होता तो यह घटना बच जाती। थाने में कहा जा रहा था कि फोर्स नहीं है काश वहां पर फोर्स होता तो यह घटना बच जाती मैं घटना की गम्भीरता बता रहा हूं। इसके लिए जिम्मेदार तहसीलदार कहता है कि मुझे तो पता नहीं कि गली का कोई झगड़ा है। लेखपाल वहां क्यों नहीं जा रहा था ? तहसीलदार कहता है कि मुझे आज के पहले पता नहीं था। उस जगह की नपाई नहीं हुई, रास्ता दिलाने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई परिणाम यह हुआ कि किस तरह से लोग मारे गए। आज गांव वाले वहां से पलायन कर रहे है। आधे गांव वाले चले गए। बाकी लोग भयभीत हैं आशंका है कि जब धमकियां आ रही हैं तो पता नहीं किस दिन किसके ऊपर हमला हो जाय। जो दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे वह तो मर गए हैं अब जो निर्दोष लोग हैं उनको भी जान का खतरा है जिस तरह से बेगुनाह बच्चों और औरतों को मार डाला गया उसी तरह किसी दिन उनकी भी हत्या हो सकती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्व में मारे गए लोगों के परिवार वालों को पांच-पांच लाख रुपये दिए गए हैं उसी तरह से यहां पर भी पांच-पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाय। वहां पर किसी घर में एक महिला बची है कहीं पर एक वृद्ध बचा है। एक आदमी जिसकी पुत्री और दामाद दोनों मर गए उसके बच्चों की जिम्मेदारी नाना के ऊपर आ गयी है उन तीन छोटे-छोटे बच्चों का पालन किस तरह से होगा। उस गांव में हैण्ड पम्प नहीं है वहां रात को पानी लाने में लोग डरते हैं इसलिए तत्काल वहां पर कुछ हैण्ड पम्प लगवा दिये जायं। गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है किस तरह से धूल के बीच से हम वहां गये थे और गांव की एक सही तस्वीर दिखाई दी जो उत्तम प्रदेश का नमूना है। तो जिन सुविधाओं को लेने के लिये लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है कम से कम तत्काल वह सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायं। वहां पर पी0ए0सी0 के पास टार्च नहीं है इसलिए वह रात को निकलते नहीं हैं और कहते हैं कि क्या हमारी जान फालतू है ? उनके पास पेट्रोमेक्स की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वह रात में निकलकर देख सके। यह सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको आर्थिक सहायता बढ़ाई जाय जो दोषी अधिकारी हों उनको सजा दी जाय।

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, निःसन्देह 17 नवम्बर इस प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन था जिस दिन 21 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जहां तक सीतापुर की घटना का सवाल है मान्यवर, जितने लोग मारे गये हैं उनकी अगर आयु देखी जाय तो समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति ऐसी घृणित हरकत कर सकता है। तीन साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं। 60-65 साल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बूढ़ी औरतें हैं। मान्यवर, एक साथ 15-16 आदमी। कुछ तो उसी समय मर गये और कुछ बाद में चिकित्सा के अभाव में मर गये। मान्यवर, उस गांव की जो हालत हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने जाकर देखी। मान्यवर, बहराइच की सीमा पर, सीतापुर और बहराइच की सीमा पर स्थित है वह गांव। यह कोई पहली घटना नहीं है मान्यवर। इससे पूर्व भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कहा जाता है कि इस घटना के मूल में भी वही कारण है। घटना के मूल में यही है कि पहले 307 की घटना हुई थी, जानलेवा हमला हुआ था परन्तु कुछ कारणों से उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। एक ही गांव के रहने वाले लोग थे। मान्यवर, इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं लेकिन इसमें इतना कहना चाहूंगा कि यहां पर सौभाग्य यह है कि यह एक ही इलाके के रहने वाले हैं। दोनों ही परिवार एक ही धर्म, एक ही जाति और एक ही मजहब के लोग हैं। मान्यवर, एक ही गांव के दो परिवार के लोग हैं। एक बाजपेयी तो दूसरा तिवारी।

मान्यवर, कहीं धर्म और जाति से अलग लोगों के बीच इस तरह की घटना हुई होती तो उसकी आग में पूरा प्रदेश जल जाता। इसके लिये कहीं न कहीं जिम्मेदारी तो है। 307 की घटना क्यों नहीं लिखी गयी ? इस घटना की रिपोर्ट न लिखने के लिये जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? इन दोनों परिवारों के बीच पूर्व में हुई घटना की विद्वेष की आग बहुत लम्बे अरसे से उनके अन्दर धधक रही थी तो सरकार ने इस प्रतिशोध की भावना को कम करने के लिये कोई सुरक्षात्मक कदम क्यों नहीं उठाये ? यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, इस तरह की हिंसा का नग्न तांडव 10-12 घंटे तक होता रहा और वहां पर कोई नहीं पहुंचा। मान्यवर, इस घटना में जो लोग मारे गये हैं उसमें तो किसी-किसी की चिता को आग देने के लिये कोई नहीं बचा है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं है कि उनका अन्तिम संस्कार कर सकते। वहां पर सम्पूर्ण परिवार की एक जगह सामूहिक चिता बनाकर अन्तिम संस्कार किया गया। यह घटना इतनी निन्दनीय है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर कठोर कार्यवाही की भी आवश्यकता है। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसमें दोषियों को सुनिश्चित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इस घटना में जो लोग बच गये हैं उनकी पूरी चिकित्सा सुविधा की जिम्मेदारी शासन अपने ऊपर ले, उनको आर्थिक सहायता दे और जिस घर के सभी वयस्क मारे गये हैं उनके बच्चों के सामने जीवन के भरण पोषण का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। उनको ज्यादा से ज्यादा जो सहायता दी जानी चाहिए वह दी जाय। इसी के साथ-साथ मैं एक दूसरी घटना के बारे में कहना चाहता हूं। यह घटना भी लगभग उसी समय की और उसी तिथि की है। नोएडा से 3 साल के मासूम बच्चे अनन्त का अपहरण होता है। दुःखद पहलू है कि अनन्त का अपहरण नोएडा से होता है और उसको हरदोई लाया जाता है। उसके बाद उसको फर्रुखाबाद लाया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने इसको कबूल किया है और मैं इलेक्ट्रानिक मीडिया के सामने जो तथ्य आये हैं उसी के आधार पर कह रहा हूं। फर्रुखाबाद से मथुरा में लाया जाता है। इस तरह से पूरे प्रदेश के अन्दर उसका विचरण होता रहता है। अनन्त की सकुशल वापसी से प्रदेश के करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली होगी। क्योंकि पूरे प्रदेश के लोगों की बस यही प्रार्थना थी वह सकुशल वापस आ जाय। उस मासूम बच्चे के प्रति सभी उद्वेलित थे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कहीं से यह खबर मिल जाय कि वह सकुशल है। मान्यवर, अनन्त के सकुशल मिलने के बाद जो उसमें पुलिस का एक्शन हुआ।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी, आप सीतापुर वाली सूचना पर बोल रहे थे यह नोएडा की घटना पर कहां से आ गये ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं उसका जिक्र तो कर सकता हूं। वैसे मेरी दोनों सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

दो नोटिस कहां ली जा सकती है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, दोनों की तारीख एक है, मैं उसका हवाला दे सकता हूं और फिर आपने स्वीकार की है। मैं आपके विवेक को चुनौती कैसे दे सकता हूं ? आपने स्वीकार कर ली है। गलती मैं कर सकता हूं आप कभी नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात तो आ गई।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इतनी देर में तो अनन्त वापस आ जाता। मैं लाये देता हूं। इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह घटना सुन लें मान्यवर, जैसे ही समाचार आया मेरे ख्याल से कोई भी हृदय ऐसा नहीं रहा होगा जिसके अन्दर जरा सी भी संवेदना नहीं थी। हर व्यक्ति टी0वी0 से चिपक कर बैठ गया। पुलिस के कुछ जिम्मेदार अधिकारी सारे स्टार लगाए हुए टी0वी0 पर आते हैं और कहते हैं कि हमने इसको बरामद कर लिया। मान्यवर, इसके कुछ घण्टे बाद नरेश गुप्ता का बयान आता है, नरेश चन्द्र अग्रवाल जी नहीं, नरेश गुप्ता, यह हरियाणा का है। इसका बयान आता है कि मैंने 50 लाख की फिरौती दी और 50 लाख की फिरौती देने के बाद ही हमारा बच्चा सकुशल वापस आया है। मान्यवर, क्या कहने की जरूरत थी क्यों हमने यह नहीं कहा कि पुलिस ने इतना दबाव बनाया कि मजबूर होकर बच्चे को वापस लाना पड़ा। मान्यवर, फिर थ्री व्हीलर की स्टोरी आती है वह कहता है कि बुलन्दशहर से पकड़ा गया। मान्यवर, थ्री व्हीलर वाला कहता है कि जिसे रात भर थाने में रखा गया। वह कहता है कि मुझे अपोलो अस्पताल के पास एक शख्स ने 50 रुपया दिया घर का पता दिया और कहा कि इसको वहां पहुंचा दो। पहले यह सूचना थी कि एक गाड़ी आई थी मान्यवर, तो निःसन्देह इसमें जो सब अच्छा किया धरा था, पुलिस प्रयास कर रही थी। दबाव था, पुलिस सचेत थी, इसमें थोड़ी सी गलत बयानी से सारे किए धरे पर मिट्टी डाल दिया। मान्यवर, जनता का विश्वास अब यह हो गया है कि पुलिस से बात तो कर रहे हैं नरेश जी और अपहरण की कीमत अपहरणकर्ताओं को दे रहे हैं यानि उनका भरोसा अपहरणकर्ताओं पर है पुलिस पर भरोसा नहीं है मौजूदा प्रशासन पर नहीं है यह चिन्ता की बात है। मान्यवर, मैं यह कहूं कि अनन्त की वापसी से बेइन्तिहा सबको खुशी हुई है वहां पुलिस ने जिस ढंग से मामले को बिगाड़ा है उससे पुलिस की विश्वसनीयता कम हुई है। मान्यवर, गुड वर्क जो था उसके अन्दर दबकर रह गया। मैं जानता हूं दबाव रहा होगा उसको सुरक्षित वापस लाने का। इसलिए बहुत बन्धन रहे होंगे। लेकिन मान्यवर, अगर सच्चाई सामने आ जाती जो कुछ घण्टों बाद आई तो शायद यह बात न होती। मान्यवर, तमाम परिस्थितियां हैं। अब मैं कानपुर की बात कहूंगा तो आप कहेंगे ...

श्री अध्यक्ष-

आप कानपुर की बात क्यों कहेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही चिन्ता का विषय है कि 100 किलोमीटर के अन्दर एक तारीख को 21 लोगों की हत्यायें हुई। यह गम्भीर विषय है। उचित यही होगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराएं।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली ...

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

यह सही है कि दो इश्यू थे लेकिन उन्होंने एक इश्यू पर कहा एक इश्यू स्वीकार हुआ लेकिन मा0 प्रमोद जी होशियार हैं अपनी बात कह लेते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे होशियार कहा, मुझे अपनी होशियारी का सुबूत देना है मान्यवर, सिर्फ यह कहना है कि अगर एक घटना के लिए विस्तृत ब्यौरे के लिए कहीं सहारा लेना पड़े तो उन घटनाओं को कहा जा सकता है। यह एक हजार परम्परायें हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब पाल साहब, बात तो सब आ गई। सरकार को जवाब देने दीजिए। कोई नई बात हो तो बतायें ?

श्री जगदम्बिका पाल-

जो बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखी हैं या मा0 प्रमोद कुमार जी ने रखी हैं मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल एक बात कहूंगा कि निःसंदेह जब एक तरफ उत्तर प्रदेश में यह स्थिति कही जाए सरकार की तरफ से कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है और दूसरी तरफ कोई लोमहर्षक नरसंहार की घटना होती है तो वह प्रदेश में, जनता में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। मैं मान्यवर, इसमें सरकार की नीयत पर खोट नहीं कि सरकार इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, मैं यह मानूं या मैं डी0जी0 या होम सेक्रेटरी को दोषी मानूं निश्चित तौर से वह इस बात के लिए

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनायें न हों। लेकिन अगर इस तरह की घटनायें होती हैं तो उसकी जवाब देही तय करनी होगी। मैं अभी सीतापुर गया था मान्यवर, यह घटना निश्चित तौर से आपने इतना कर्मठ गृह प्रमुख सचिव लगा रखा है, ईमानदार, इतना कर्मठ डी0जी0 लगा रखा है लेकिन अगर एस0ओ0 वहां रात को नहीं रुक रहा है सीतापुर में रह रहा है अपने परिवार के साथ। सुबह तक घटनायें होती रहीं और पुलिस घटनास्थल पर न पहुंचे थाने से, तो यह भी एक चिन्ता का विषय है।

तो मान्यवर, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आज स्थिति यह हो गयी है और जिस तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है, अधिकारी अपने दायित्व के प्रति उदासीन हो रहे हैं, यह भी चिन्ताजनक है। मान्यवर, पिछले दिनों एक घटना हुई, एस0ओ0 को हटा दिया गया लेकिन वह हाईकोर्ट चला गया, स्टे ले आया तो अगर थानों पर थानाध्यक्ष होईकोर्ट के आदेश से रहेंगे तो कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरेगी ? चाहे जिले का कप्तान हो, सी0ओ0 हो या एस0ओ0 हो, जब तक नीचे स्तर तक जिम्मेदारी निर्धारित नहीं करेंगे, स्थिति नहीं सुधरेगी। आप आंकड़े दे दें कि अपराध घट रहा है लेकिन लोग तो सुरक्षा की भावना और परिणाम से संतुष्ट होंगे। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कानून-व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह पैदा होता है। हत्याएं होती रही हैं, हर समय, लेकिन मान्यवर, अगर हत्याएं इस तरह से हों, 13 तारीख को उसी गांव में घटना होती है, आखिर 13 तारीख की घटना से पुलिस ने सबक क्यों नहीं लिया, जिसका परिणाम हुआ कि कुमार और बाजपेयी परिवार के 15 लोग मारे गये। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस स्तर के जो अधिकारी हों, उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही हो जो एक उदाहरण बने। मान्यवर, सीतापुर के जो एस0पी0, डिप्टी एस0पी0 हैं, वहां पहले भी झगड़े हो चुके थे, वह जमानत पर छूट कर आए थे, यह सब जानकारी उनको थी कि ऐसी घटना होगी लेकिन सरकार यदि उनको डिफेंड करने की कोशिश करें, यह घटनाएं बहुत गम्भीर हैं, दुखद हैं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सरकार कार्यवाही करे।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, जो सीतापुर में घटना हुई है, बहुत ही दुखद और दुर्भायपूर्ण है और इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि नेता विरोधी दल, मा0 प्रमोद कुमार और जगदम्बिका पाल जी ने जो कहा है कि वहां के अधिकारी, चाहे जिस स्तर के हों, जांच कराकर और यदि दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी कार्यवाही करेंगे और किए हैं। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, कभी भी विपक्ष ने किसी तरह का सवाल उठाया है तो उनकी बात हमने मानी है और स्पष्ट करने की कोशिश भी की है लेकिन कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में अगर कहते हैं तो कोई गलत नहीं कहते हैं, न हमारी सरकार, न हमारे डी0जी0पी0 और न हमारे होम सेक्रेटरी। जैसा मा0 सदस्य, जगदम्बिका पाल जी ने कहा, एक-एक दिन में, एक-एक घण्टे में 25-25 लोगों की हत्याएं हुई हैं, दो हफ्ते के अन्दर 14-14 हत्याएं हुई। हम मौके पर भी गए, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम नाम गिना सकते हैं। अच्छा है, हमारे विपक्ष ने एक अच्छे तरीके से सवाल उठाया है। हम गम्भीर हैं और उसी गम्भीरता से सरकार इसे लेगी। कानून-व्यवस्था की जो बात है, जो दूध की सामने दुकान है और दूध घर में देने जाता है और बच्चे को खिलाता भी है और बच्चा भी उसे पहचानता है, तीन साल का बच्चा पहचान ही लेगा .... तो यह जो कानून-व्यवस्था है, उस कानून-व्यवस्था में हम पहरेदारी करेंगे ? कौन करेगा ? इसी तरह इलाहाबाद का भी है, सम्बन्ध रहा है, वकालत से लेकर, अच्छी जगह है।

लेकिन उन्हीं का दूर का रिश्तेदार रहा हो और वही अपने रिश्तेदार को मार दे। यह सही है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बड़ा होनहार नौजवान था। उनके माता-पिता और भाई से मैंने बात की और जो-जो उन्होंने कहा वह हमने किया। अब इसमें कानून व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ? जो सामाजिक बुराई है या समाज में जो अलगाव हो रहा है इस पूरे समाज को सुधारने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मान्यवर, नेपाल से एक व्यक्ति अपने चाचा के यहा आया और चाचा का भांजा भी आ गया। दोनों ने अच्छी तरह से मेहमान बनकर खाना खाया और रात में उन्होंने पूरे परिवार को मार दिया। तो इसमें कानून व्यवस्था कहां से आ गयी ? यह सही है कि पुरानी दुश्मनी थी और इसके पहले भी हत्यायें हुई थीं। आपके जो सुझाव आयेंगे वह हम मानेंगे। आज ऐसा अवसर है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहते कानून व्यवस्था के बारे में। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस तरह की हत्याओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हम कल ही बैठक बुलायेंगे। अगर हमने किसे के खिलाफ कार्यवाही की है तो हम पर यह जिम्मेदारी बनती है और हमें उस जिमेदारी को निभाने दीजिए। कोई भी किसी स्तर का अधिकारी हो हम दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। पुलिस ने बहुत बहादुरी से काम किया है। एक युद्ध की तरह लड़ाई की है। हमारे एस0 पी0 वहां पड़े रहे, बिना खाना खाये, पानी के लिए मुश्किल हो गयी। खुद अपने जवानों के साथ फायरिंग करते हुए बहादुरी से काम किया। यह भी तो सोचना चाहिए कि इतने बड़े प्रदेश को हिला रहे थे। जैसे कर्नाटक में चुनौती दे रहा था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उसका नाम वीरप्पन था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

उसका नाम मत बोलिए, पत्रकार हैं। जितनी अच्छी तरह से यह माफियाओं का इन्टरव्यू लेते हैं उतना अच्छा इमार आपका नहीं छपेगा। मान्यवर, अगर हमारी जाति में कोई डकैत हो गया तो उस जाति की पूरी सहानुभूति उस डकैत के साथ हो जाती है। लेकिन वह भी मारा गया। मान्यवर, हमारा मानना है कि अपराधी चाहे जिस जाति-धर्म का हो, अपराधी होता है और उस पर सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। टण्डन जी जब आप यहां बैठेंगे तो पता चलेगा कि क्या हालत है। बैठे तो आप बहुत रहे हो। किस जमाने के लोग थे ? कितने अपहरण इटावा जालौन और भिण्ड में होते थे ? हम तो वहां के डी0जी0पी0 और मुख्य सचिव से कह चुके हैं। पत्र नहीं लिखा है। अगर भिण्ड और मुरैना की पुलिस आज खड़ी हो जाय तो हमारे आगरा और बांदा की समस्या हल हो जायेगी। भिण्ड इलाके में बुढ्ढू रहे हैं और जब हमारी पुलिस जाती है इटावा की, तो वह इशारा कर देते हैं और वह भाग जाते हैं। हमारी पुलिस के जाते ही वह लौट जाते हैं। यह बात मैं कहना चाहता था कि वहां पर पहले वाले मुख्य मंत्री जी ने हमारी बात मानकर हमारी मदद की थी। आप भी कहेंगे कि हम भी कहेंगे। हां हमारे इधर आगरा और राजस्थान को लेकर बड़ी समस्या खड़ी है। वह आज इटावा में नहीं है, जालौन में नहीं है। वह पूरे के पूरे मुरैना में है और वह वहां पर संरक्षण पा रहे हैं, पुलिस का संरक्षण पा रहे हैं। इसलिए यह समस्या है। जो सामाजिक बुराइंया आ गयी है कि अगर हमारी जाति का डकैत है तो खाना भी हम देंगे और संरक्षण भी देंगे तो इस प्रकार की भावना है। कोई बोलता नहीं है। मैंने

सबका जमाना देखा है। उन डकैतों का नाम प्रोसीडिंग में न आये तो अच्छा होगा। क्या उससे फायदा मिलेगा ? इसलिए हम विश्वास दिलाते हैं सदन को कि जो आपके सुझाव है, हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है वह एक अलग चर्चा है, लेकिन इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायेगी। अगर हमारे डी0जी0पी0 बैठे होंगे और वह सुन रहे होंगे, उन्होंने मेहनत से काम किया। बिगड़ा है तो सुधार भी हुआ है, यह तो मानना ही पड़ेगा। यह तो आम जनता भी मानती है। नेतृत्व ने सुधारा है। यह जरूर है कि यह जो आपने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है यह जवाब आता है, तो यह जवाब अगर आया है तो इसको हम जवाब नहीं मानते हैं। हमने आर्थिक सहायता दी है और अगर जरूरत पड़ेगी तो पुनः इस पर विचार कर लेंगे और बढ़ाना होगा तो बढ़ा भी देंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री लालजी टण्डन, माननीय मुख्य मंत्री जी को सुना और सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल के माध्यम से वहां के मुख्य मंत्री से कह दें कि वह भिण्ड मुरैना में डकैतों को पालना बंद कर दें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अभी हमारे यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री भी आयेंगे, हम उनसे आपकी बात करा देंगे। आप लोग बैठकर तय कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ठीक है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरठ महानगर के वार्ड संख्या-26 के अधौरा गांव के प्राथमिक विद्यालय नम्बर-1 व 2 में परसों मिड डे मील के माध्यम से जो भोजन, खाद्य सामग्री वितरित की गयी है, पूरी सब्जी, उसको खाने से बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत हो गयी। यह सब विद्यालय में हुआ। विद्यालय में शिकायत होने के बाद वहां के प्रधानाध्यापक ने चिकित्सा कराने या अस्पताल भेजने के बजाय उन बच्चें को घर भेज दिया और रात तक बच्चों को इसकी शिकायत बढ़ गयी। इसमें 80 बच्चे बीमार हो गये थे। शाम को 6.30 बजे सी0एम0ओ0 को बताया गया उसके बाद चिकित्सा की व्यवस्था करने वहां पर गये। खेदजनक बात तो यह है कि उसी गांव में रहने वाले अध्यापक और प्रधानाध्यापक जिन्होंने बावजूद समाचार मिलने के जिसके परिवार के चार बच्चे एक साथ बीमार हुए थे वह उनको बुलाने गया उसके बाद भी प्रधानाध्यपक और अध्यापक नहीं आये और इतनी बड़ी घटना पर अगले दिन दोपहर तक शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी 46 बच्चे अस्पताल में जाकर भर्ती हुए लेकिन शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी, न नगर शिक्षा अधिकारी, न बी0एस0ए0, न ए0डी0 बेसिक कोई वहां पर नहीं आया और सी0एम0ओ0 जब वहां गये गांव में तो केवल एक एम्बुलेन्स लेकर गये। आखिर में

टाटा 407 में 40 बच्चों को बैठाकर लाना पड़ा और अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था की पोल उस समय खुल गयी कि जब वह 46 बच्चे अस्पताल में लाये गये रात को साढ़े सात बजे तब पह 46 बच्चों को एक-एक बिस्तरे पर चार-चार, पांच-पांच बच्चों को लिटा कर डिप लगाकर उनकी चिकित्सा व्यवस्था करनी पड़ी मान्यवर, इसके साथ-साथ क्षेत्र की थाना परतापुर की पुलिस ने और प्रधानाध्यापक ने उसमें एक नया टर्न लेने की कोशिश की कि जैट्रोफा नामक खली के खाने से बच्चे बीमार हुए हैं दो विद्यालयों में एक साथ जैट्रोफा बच्चों ने खा लिया और सी0एम0ओ0 का कहना यह है कि वह खराब खाद्यान्न के कारण बीमार हुए हैं, पूड़ी और सब्जी के कारण उनकी तबीयत खराब हुई है, जैट्रोफा के कारण नहीं, तो मान्यवर, इस महत्वपूर्ण और सम्वेदनशील घटना, सरकार की मिड-डे-मील योजना के कारण घटित दुर्घटना, कुपोषण को दूर करने के लिए जो योजना बनाई गयी उससे कुपोषण तो क्या दूर हुआ स्वस्थ बच्चे बीमार हो गये और उसके बाद प्रधानाध्यापक और अध्यापकों द्वारा घोर उपेक्षा, शिक्षा विभाग के नगर शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ए0डी0 बेसिक द्वारा उपेक्षा और अस्पताल में लाने के बाद एक-एक बिस्तरे पर 5-5 और 4-4 बच्चों को लिटा कर इलाज करने की स्थिति, जिलाधिकारी रात को पौन दस बजे पहुंचते हैं और इसके अलावा जिले का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा मान्यवर, तो इतनी बड़ी घटना पर मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय और मिड-डे-मील के कारण घटित इस घटना की न्यायिक जांच करा कर दोषियों के विरूद्ध दण्ड की कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह बीमार बच्चों से सम्बन्धित मामला है, इस पर कुछ कहेंगे ?

*राजस्व मंत्री (अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मिड-डे-मील में बच्चों को समुचित ढंग से इस योजना का लाभ मिल सके और उनको भोजन बनाने के लिए जो निर्देश जा रहे हैं यद्यपि उनका बहुत सख्ती से पालन कराया जा रहा है और उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। माननीय बाजपेयी जी ने मेरठ की जिस घटना का जिक्र किया है इस घटना के सम्बन्ध में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को इसमें पूरी तरह से, यह 20-11 की घटना है और जैसा इन्होंने बताया कि संख्या में आंकड़ों में जाने का सवाल नहीं है कि बच्चे 60 थे या बच्चे 90 थे, यद्यपि प्रशासन की इस पर जो आख्या आयी है और जो आपकी सूचना में उल्लेख है उसमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है लेकिन सरकार इसको पूरी तरह से स्वीकार करती है कि मिड-डे-मील के कारण ही बच्चे बीमार हुए इस जिम्मेदारी से इंकार नहीं किया जा सकता है और उसमें श्रीमन् जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायेगी और नियम-56 में नहीं आता है अतः इसे निरस्त किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं केवल एक आश्वासन सरकार से चाहता हूं कि यह जो 20 तारीख को मेरठ में विशिष्ट घटना घटी है इसकी जांच कब तक करा कर दोषियों को दण्ड देने की कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ? इसको समयबद्ध कर दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, तीन दिन में हम इसकी जांच करा कर दोषियों को दण्डित करने की कार्यवाही पूरी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय बाजपेयी जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना और सुनने के बाद मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लगभग पांच से लेकर छः लाख व्यक्ति प्रति दिन दिल्ली जाते हैं और इतने ही व्यक्ति दिल्ली से लौट कर आते हैं। दिल्ली केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं है बल्कि हमारी व्यवसायिक राजधानी भी है, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्ण व्यवसाय दिल्ली पर निर्भर करता है। लगभग एक सप्ताह से अधिक हो गया है मान्यवर दोनों प्रदेशों में परिवहन निगम की बसों का आना जाना प्रतिबन्धित है। यू0पी0 की बसें दिल्ली में नहीं जा सकती हैं, जो जाती हैं उनको रोक लेते है और दिल्ली की बसें उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती हैं, जो यहां पर आयी हैं उनको इन्होंने रोक लिया है। मान्यवर, कारण कोई भी रहा हो, गलती किसी की भी रही हो, जनता समाधान चाहती है, जनता सुविधा चाहती है। जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। आप आज कहीं पर भी चले जायें बस अड्डों पर हजारों हजार व्यक्ति, महिलायें और बच्चे सब खड़े हैं। हजारों छात्र गाजियाबाद से, नोयडा से दिल्ली में आते हैं। इन्हीं बसों पर सारा यातायात निर्भर करता है। मान्यवर, दो सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार और ऐसी दलों की सरकारें है जो एक दूसरे को सहयोग भी कर रही हैं। लेकिन आप देखें सहयोगी दलों की सरकारों का यह आचरण है कि दोनों आपस में वार्ता करने की आवश्यकता नहीं समझती हैं। आप यह आवश्यकता भी छोड़ दें कोई वातावरण भी नहीं बना पाये हैं।

मान्यवर, पहले कबीले होते थे वहां यह झगड़ा होता था कि तुम्हारा जानवर हमारे यहां नहीं आयेगा। तुम्हारे जानवर मेरे क्षेत्र में नहीं आयेंगे। लेकिन आज तो हमारा संविधान लागू है और उस संविधान के तहत हम सब काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मालिक बन कर बैठ गये हैं आप दिल्ली के मालिक बन कर बैठ गये हैं। आपस में सहयोग की बात है। कौन मंत्री है कौन नहीं यह सवाल नहीं है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व दोनों का है। आप उस उत्तरदायित्व को कहां तक निभा पा रहे हैं। आज 8-10 दिन हो गये हैं कोई सुध नहीं ले रहा है जनता की तकलीफों का। आखिर इन बच्चों की परीक्षाओं का क्या होगा ? जो आ जा नहीं पा रहे हैं उनका क्या होगा ? आज वहां का व्यवसाय पूरा का पूरा ठप्प है। वहां यातायात की सुविधा नहीं है। बसों द्वारा यातायात के साधन पिछले 10 दिनों से ठप्प पड़े हुए है। सिर्फ अखबारों में बयान आ रहे हैं कि हम उनसे समझौता नहीं करेंगे। वह कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। यह दो सरकारों के बीच की बात है। लोगों की यातायात की सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है। जहां सरकारों की यह मानसिकता है कि जनता तो भाड़ में जाये

हम एक दूसरे के साथ समझौता वार्ता नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि फिर ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है करीब 17 करोड़ लोगों की आबादी का राज्य है। क्या हम अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर वहां के मुख्य मंत्री वार्ता में शरीक नहीं होना चाहते हैं, परिवहन मंत्री बात नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रधान मंत्री जी तक जाते। क्योंकि परेशानी हमें ज्यादा है। उन्हें कम परेशानी है। दिल्ली वाले अपने नागरिकों की उपेक्षा कर सकते हैं लेकिन हम 17 करोड़ नागरिकों की उपेक्षा तो नहीं कर सकते हैं। हम उनकी उपेक्षा करके शांति से तो नहीं बैठ सकते हैं। मान्यवर, इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। आज रोडवेज की बसों को बंधक बनाने का सवाल नहीं है। हम अपने 17 करोड़ नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से यह आवश्यक है कि आपको प्रधान मंत्री के स्तर पर इसके लिये वार्ता करनी चाहिए। हमारे संसद में इतने सांसद है, 83 सांसद है 83 सांसदों का यह प्रदेश क्या इसके बारे में दबाव नहीं बना सकता है। मान्यवर, आज यह एक पार्टी की बात नहीं है यह सर्वदलीय बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चाहता हूं कि इसका केवल समाधान ही न हो इस पर विस्तार से चर्चा भी हो जाय।

अगर इसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो इन सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बात कही है। लेकिन शायद जो परिस्थितियां हैं यदि उनको आपने जाना होता उतनी गम्भीरता से लिया होता कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है तो यह आरोप नहीं लगाते। मान्यवर, वर्ष 1985 में एक समझौता हुआ था कि एक किलोमीटर बस हमारी चलेगी और डेढ़ किलोमीटर उनकी चलेगी। उसका वह निरन्तर उल्लंघन करते रहे। फिर भी हम लोगों ने उसे एवायड किया कि ठीक है समझौते का सम्मान होगा, समस्या का समाधान होगा। उसके बाद वर्ष 2000 में माननीय कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उन्होंने खुद अपनी कलम से फाइल पर लिख दिया कि यह समझौता निरस्त किया जाता है। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि 17 करोड़ जनता की हम अनदेखी कर रहे हैं क्या उस समय कल्याण सिंह जी के सामने यह जनता नहीं थी ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने सवाल कुछ किया है। सवाल इस बात का है कि जनता को इस समय असुविधा है। फाइल पर हस्ताक्षर किसने किये क्या किये इस समय वह बात नहीं है। बात यह है कि जनता के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है आप उसका समाधान करा दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, उसके बावजूद भी वार्ता का दौर चलता रहा। 2004 में दिल्ली के परिवहन मंत्री के साथ मेरी बार्ता हुई दिल्ली में। मैं उनके बुलावे पर गया सब अधिकारी बैठे और एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि यह समझौता है। श्रीमन् तब से लगातार हम उन पर जोर डाल रहे हैं एक समझौता दो परिवहन मंत्रियों के बीच हो गया सारे अधिकारियों के हस्ताक्षर उसमें हो गये उसको लागू किया

जाय और उस समझौते में उत्तर प्रदेश से इतना झुकाव रखा हम लोगों ने, मुख्य 3 चीजे रखीं कि हम दिल्ली में 30 हजार कि0मी0 चलेंगे और दिल्ली हमारे यहां 90 हजार कि0मी0 चलेगी। एक डेढ़ का हमने एक तीन का रेशियों कर दिया। यह तय हुआ कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच दोनों राज्य अपनी बसें चलायेंगे इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। दिल्ली हमको एक पैसा नहीं देता है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बसें चलाता है। हमने यह बातं उठाई लगातार वार्ता हो रही है लेकिन वह समझौता मानने को तैयार राजी नहीं हो रहे हैं। नोएडा, आज विश्व का कोई सबसे ज्यादा चर्चित शहर है तो वह नोएडा है, शान है उत्तर प्रदेश की। श्रीमन्, दिल्ली टूटी फूटी बसें नोएडा में चला रहा है मोनोपली करके, 13 तारीख को हमने नोएडा में आधुनिक सुसज्जित सीएनजी बसें चलाना शुरू कर दिया।

माननीय अमर सिंह और हम दोनों लोग थे। हम लोगों ने नोएडा की मांग पर वहां से बसें चलाना शुरू किया हमारी बसें दिल्ली गयीं वहां उन्होंने 11 बसें सीज कर दिया बिना किसी कारण हमको कुछ बताया भी नहीं। मैंने दिल्ली के परिवहन मंत्री से फोन कराने को कहा, फोन पर उन्होंने बात नहीं करी, तीसरे दिन मैने मुख्य मंत्री जी से बात करी दिल्ली के तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली गया सुबह 9.00 बजे। फिर मैंने दिल्ली के मुख्य मंत्री जी से कहा कि मैं आ गया हूं आप कोई समय दे दीजिए, आप बैठ जाइये तो वार्ता हो जाय। दिन भर मैं इंतजार करता रहा शाम तक कोई जवाब नहीं आया आखिर कितना अपमान झेला जायेगा जबरदस्ती। रोज दिल्ली परिवहन निगम की बस उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख किलोमीटर चल रही हैं और हम मुश्किल से 15 हजार किलोमीटर दिल्ली में चल रहे हैं हम उन चीजों को स्वीकार करते हुए कि समझौता मान लिया जाय किसी तरीके से हो जाय। हठधर्मी और बचकानी हरकत दिल्ली के परिवहन मंत्री की जिस तरह से है कि हम फोन करेंगे फोन पर बात नहीं करेंगे। उर्जा मंत्री के सम्मेलन में हमको मिले मैंने उनसे कहा कि आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं आखिर क्या मतलब ? तो उन्होंने कहा कि मेरी मुख्य मंत्री जी आपके मुख्य मंत्री से बात करेंगे मैं तो बात नहीं करूंगा। इतना गरूर हो जाय अगर एक आदमी को तो फिर उत्तर प्रदेश को गरूर तोड़ना आता है। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ हो। हमने इसी मारे दिल्ली बार्डर पर सारी व्यवस्था करी है और किराये में कमी भी करी 6-6 रुपये, 10-10 रुपये, 13-13 रुपये एक एक रुट के किराये में कमी करी कि हमने दिल्ली के बार्डर पर जब छोड़ा तो वहां से व्यवस्था करके दिल्ली तक वह जांय। श्रीमन्, उनकी जिद है कि हम नोएडा में अच्छी बसें नहीं चलायेंगे हम एयरकंडीशनर बसें नहीं चला सकते। हम नोएडा के लोगों को अच्छी सुविधा नहीं दे सकते। आखिर किस बात की जिद ? मैंने तो आज भी कहा। मैंने तो कहा कि दिल्ली की मुख्य मंत्री जिस दिन बुलायेंगी हम जाने को तैयार हैं हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम अपनी तरफ से अब भी वार्ता के द्वार खोले हैं हठधर्मी उनकी तरफ से है। अब अगर वह जिद पर अड़ी हैं तो क्या तरीका है ?

मैंने तो माननीय प्रधान मंत्री जी से टीवी के माध्यम से कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी आमंत्रित कर लें भारत सरकार के परिवहन मंत्री आमंत्रित कर लें हम हर तरीके से राजी हैं। हम किसी भी राज्य की जनता को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं लेकिन हठधर्मी कहां तक चले ? श्रीमन्, इसके बाद खुद इन्होंने अभी 2005 में लिखकर भेजा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में दोनों राज्य

की बसें चलेंगी लेकिन सीएनजी आधारित बसें होंगी। खुद हर चीज स्वीकार कर रहे हैं लेकिन चलने नहीं दे रहे हैं। आखिर कब तक हठधर्मी चलेगी कहीं न कहीं तो हठधर्मी टूटेगी। मैं तो कहता हूं कि पूरे सदन को एक निन्दा प्रस्ताव पास करना चाहिए दिल्ली की इस हरकत पर। हम तो आज भी कह रहे हैं इस सदन में कि मुख्य मंत्री जी हमको कल दिल्ली आंमत्रित करें तो हम कल दिल्ली जाने को तैयार हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि जो समझौता हुआ जिस पर परिवहन मंत्री जी ने दस्तखत करें और उनके सारे अधिकारियों ने दस्तखत करें हमारे अधिकारियों ने दस्तखत करे उस समझौते की परिधि में आप जब वार्ता के लिए आमंत्रित करें हम वार्ता के लिए आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हठधर्मिता टूटनी चाहिए। इसी मारे मैं कहता हूं कि सदन को निन्दा प्रस्ताव पास करके भेजना चाहिए जिससे कि भारत सरकार समझे तो उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा दिल था माननीय मुख्य मंत्री जी मुझको चार दिन रोके रहे कि तुम दिल्ली की बसों को मत रोकना मैंने चार दिन नहीं रोका। मैं अपनी आदत के विपरीत उनके सामने झुकता रहा। मैं कहता रहा कि साहब मैं आया हूं बात कर लीजिये, कोई तरह से समझौता हो जाय लेकिन हठधर्मी बहुत ज्यादा चलती नहीं। मैं समझता हूं कि राजनीति में हठधर्मी वह लोग करते हैं जो बिना रीढ़ के होते हैं और गणेश परिक्रमा से पदों पर बैठ जाते हैं, वही लोग हठधर्मी करते हैं। राजनैतिक व्यक्ति कभी हठधर्मी नहीं करता। क्योंकि राजनैतिक व्यक्ति यह जानता है कि समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे द्वार आज भी वार्ता के लिए खुले हुए हैं और हुकुम सिंह जी हम लोगों ने इसीलिये किराया कम किया, हमने कौशाम्बी के दो श्रेणी के बस अड्डों को डिवाइड किया है, सब बसों को वहां तक पहुंचाते हैं, कौशाम्बी, दिल्ली की सड़क पर है और के उस पार जाने पर दिल्ली पहुंच जाते हैं। हमने इसी मारे 6-6, 10-10, 13-13 रुपये किराया कम किया कि जो पैसेन्जर आ रहे हैं, उतने रुपये किराये से कौशाम्बी से अपने गंतव्य स्थान पर चले जायें। हमारी तरफ से कोई जिद नहीं है, मैं आज भी इस सदन में घोषणा करता हूं कि दिल्ली की मुख्य मंत्री जी जिस दिन हमें आमंत्रित कर दें भारत सरकार के प्रधान मंत्री भारत सरकार के परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश का दरवाजा खुला हुआ है, वार्ता के लिये। हम तैयार हैं, लेकिन दिल्ली बिना टैक्स दिये, जबरदस्ती बिना परमिट के अगर उत्तर प्रदेश में अवैध बसों का संचालन करेगा तो उत्तर प्रदेश नियमों के तहत उसे नहीं लागू होने देगा। हम अब भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का दिल बड़ा है, माननीय मुख्य मंत्री जी मुझसे बराबर फोन करके कहते रहे कि तुम उनको लगातार फोन करते रहो, मैं लगातार वार्ता करता हूं, लेकिन श्रीमन् जब तक उधर से पाजिटिव आन्सर नहीं आयेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसके लिये उत्तर प्रदेश का कोई दोष नहीं है और मैं चाहूंगा कि यह सदन एक निन्दा प्रस्ताव पास कर दे जिससे कम से कम यह बात तो लगे, सरकार के दबाव को वह समझे तो कि उत्तर प्रदेश का दिल क्या है और जनता के बीच संदेश जाये कि ज्यादती किसकी तरफ से थी।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस गंभीर समस्या को सदन के सामने लाना चाहता था। यह मेरा आशय था ताकि इसमें समाधान हो जाय। मेरा कोई बहुत आलोचना करने का मतलब भी नहीं था। मैं लाया और विषय की गंभीरता को आपने भी लिया। अब दो बातें मेरी सुझाव के रूप में हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक संवैधानिक संकट की बात आ जाती है अगर जनता की अपेक्षा के अनुरूप कोई सरकार काम नहीं करना चाहती है चाहे वह कहीं की भी हो, दिल्ली की भी हो तो यह असंवैधानिक है। वह दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ आखिर हम कब तक इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि वह काम नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं दिल्ली, आज पार्लियामेंट शुरू हो गयी है, 83 हमारे एम0पीज हैं, प्रधान मंत्री से आप मिल सकते हैं, इसमें दल की कोई बात नहीं है, सभी दलों के एम0पीज0 को लेकर आप जा सकते हैं, एक प्रतिनिधिमंडल लेकर जा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, आपके साथ जाने से। आप जाकर मिलें और बतायें कि कितनी उपेक्षायें हो रही हैं, चुप होकर बैठ गये। दिल्ली की सरकार कोई ऐसी नहीं है जो संविधान से ऊपर हो या पार्लियामेंट से ऊपर हो। आप जाइये निश्चित रुप से इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात कहकर मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। निन्दा प्रस्ताव की बात आपने कही तो आप प्रस्ताव लाओ, सरकारी तौर से, पेश करो।

श्री नरेश अग्रवाल-

प्रस्ताव पेश किये देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सोच लीजिये। लिखकर दे दीजिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय हुकुम सिंह जी ने आग्रह किया, सरकार ने स्वीकार किया तो अब दिक्कत क्या है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, औपचारिक प्रस्ताव की अभी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए सिर्फ औपचारिक प्रस्ताव पास कर देने से बात नहीं होगी। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो सवाल उठाया और माननीय नरेश अग्रवाल जी ने इस पर सरकार का पूरा पक्ष रखा। यह प्रश्न आज इस सूचना के माध्यम से सदन में नहीं आता तो कदाचित् प्रदेश की जनता को वह जानकारी ही नहीं हो पाती। माननीय नरेश अग्रवाल जी ने इतना प्रयास किया माननीय मुख्य मंत्री, दिल्ली से उन्होंने वार्ता की। माननीय परिवहन मंत्री से बार-बार प्रयास किया। अपने लोगों की समस्याओं के हल के लिये उन्होंने जो यत्न किये और सरकार का जो दृष्टिकोण है इस सम्बन्ध में, श्रीमन् अगर आज सदन में यह सूचना नहीं आती तो कदाचित् यह बात आती ही नहीं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं इस बात के लिये कि उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान को भी देखते हुए, कानूनी तौर पर जो कदम वह उठा सकते थे, उन सबका सामंजस्य करते हुए एक सर्वोत्तम कदम उठाया जा सकता था, वह उन्होंने उठाया और उसके उठाने के अलावा इतनी गुंजाइश रखी मान्यवर, कि कोई जड़ता नहीं होगी, हमारे व्यवहार में। वार्ता करके हल निकालने के लिये और जिस प्रकार से विपक्ष ने सहमति व्यक्त की है और निन्दा प्रस्ताव पर सहमति जतायी है, उसके लिये हम धन्यवाद देते हैं लेकिन औपचारिक प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है और विपक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया है, इसलिये औपचारिक प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसे लिख करके लाया जाए, आप पढ़े और हम पढ़ें, इसकी कोई आवश्यकता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। माननीय परिवहन मंत्री जी के कदम की आपने सराहना की है, इसके लिये मैं विपक्ष का आभार प्रकट करता हूं, आपने सरकार के इस काम की सराहना की इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

परिवहन मंत्री प्रस्ताव लाना चाहते हैं और राजस्व मंत्री मना कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो माननीय परिवहन मंत्री जी प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मैंने उसी प्रस्ताव पर अपनी बात कही है कि पूरे सदन ने इसे स्वीकार कर लिया है इसलिए औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है कि लिख करके लाया जाए और यहां पर पढ़ा जाए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सभी लोगों की भावनाएं आ गईं, यह बहुत अच्छी बात है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, विदड्रा कर लिया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विदड्रा नहीं कर लिया, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सहयोग दिया। अभी प्रतिनिधि मण्डल के गठन की बात हो रही थी तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा प्रतिनिधि मण्डल गठित कर लिया जाए, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, बसपा सभी दलों के लोग हों और प्रतिनिधि मण्डल के माध्यम से वार्ता कर ली जाए। पहले यह प्रयास कर लिया जाए, अगर तब भी कोई हल नहीं निकलता है तो निन्दा प्रस्ताव अगली बैठक में ले आयेंगे। ठीक होगा कि एक-एक स्टेप आगे बढ़ा जाए, आपसे मेरा अनुरोध है अगर आप एक प्रतिनिधि मण्डल बनाते हैं तो चले चलते हैं भारत सरकार के प्रधान मंत्री से मिलने के लिए और उनके सामने सारी बातों को रखेंगे, अगर तब भी हल नहीं निकलता है तो अगली बैठक में निन्दा का प्रस्ताव भी ले आयेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय परिवहन मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अभी माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा कि एक प्रतिनिधि मण्डल महत्वपूर्ण जनसमस्या पर गठित कर दें, उस पर आपका क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष-

अगर सरकार सहमत है तो मैं प्रतिनिधि मण्डल का गठन कर देता हूं, आप लोग जाएं और वार्ता करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

सरकार तो सहमत है, सरकार ने ही तो प्रस्ताव रखा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक प्रतिनिधि मण्डल का गठन कर दें, जिसमें सभी दलों के नेतागण आ जाएं और वह इस समस्या पर विचार कर लें।

(श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना के बारे में मुझे जानकारी है, यह महत्वपूर्ण सूचना है, जिनके बारे में सूचना है वह लोग मुझसे आ करके मिले थे, इसलिए मैं इसकी गम्भीरता को समझता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम इकबाल जी आप अपनी सूचना पर संक्षेप में बोल दें और मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करके आगे चलूं।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस हृदय विदारक घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। आज जो प्रदेश की स्थिति है, हत्या, अपहरण और लूट से पूरे प्रदेश में भयग्रस्त जनता राहत पाने की उम्मीद छोड़ चुकी है। मान्यवर, सोचिये घटना कितनी गम्भीर है, हमारी माताएं-बहनें समाज के लोग कब तक इस दुर्दशा को झेलते रहेंगे। आज 10-11 साल या दो-तीन साल के बच्चे घरों में सुरक्षित नहीं हैं और सरकार की ओर से बयान आता है कि प्रदेश में अमन-चैन कायम है, अपराध घटे हैं, अपराधियों को राज्य के बाहर खदेड़ दिया गया है, अपने आप में हास्यास्पद लगता है और पूरी जनता इसको हास्यास्पद मान रही है, वह जानती है कि हम आज सुरक्षित नहीं हैं, कोई मां सुरक्षित नहीं है। अभी आज़मगढ़ जनपद में 10 वर्ष के बच्चे का अपरहण करके उसकी हत्या कर दी गई थी और अभी ढाई वर्ष के अनन्त की चर्चा हो रही थी ग्रेटर-नोएडा में। ....

(इस समय 2 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, 10 वर्ष का बच्चा सहवाज 18 तारीख को सायं 7.00 बजे अपने घर पर था। पांच-छः लोग आये और पूछा कि इरफान का घर किधर है, चलो दिखा दो। इरफान उसके मौसा का नाम था। वह बच्चा उनके साथ घर दिखाने के लिए गया। 18 तारीख से लेकर आज तक बच्चा वापस नहीं आया, न ही सरकार की तरफ से कोई प्रयास हुआ है। पूरे बिहार के अपराधी आ करके बलिया में अमन-चैन से रह रहे हैं, वहां से लगा हुआ पूरा बिहार है, बिहार सरकार ने इतना दबाव बनाया है कि अपराधी बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कैम्प कर रहे हैं।

श्री वसीम अहमद-

अपहरण का उद्योग भा0ज0पा0 के समय में था।

श्री राम इकबाल सिंह-

आपको बरदाश्त नहीं हो रहा है, शर्म आनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

राम इकबाल सिंह आप अपना विषय रखें।

श्री वसीम अहमद-

[XXX]

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाजवादी पार्टी जो बोल रहे हैं। वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

आपको बरदाश्त नहीं हो रहा है।

श्री वसीम अहमद-

आप जैसे लोग ही इस तरह की घटना कराते हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

इस सरकार में अपराधी इतने भयमुक्त हो गये हैं कि नौकर भी माफिया हो गया है। आपके माध्यम से यही बात तो कहना चाह रहा हूं जो मेरे साथी कह रहे थे, मैं उसी को दोहरा रहा हूं।

श्री वसीम अहमद-

भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ के महावीर मिष्ठान भंडार के लड़के का अपहरण हुआ, सरकार उसका पता नहीं लगा पायी और चकवक में उसको मार दिया गया।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, अपहरण की बात सुनना नहीं चाहते। यह अपराधियों को बचाना चाहते हैं, अपराधियों से गहरा ताल्लुक रखते हैं, अपराधियों से दोस्ती रखते हैं। यह छटपटाहट देखिये, सुनना नहीं चाहते। अपराधी ब्लाक में थाने में बैठकर पैरवी करते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मा0 वसीम अहमद साहब की जो बातें हैं, नियमों में जैसा उचित समझें वैसा करें। यह बात समाप्त हो गयी। जो राम इकबाल सिंह की सूचना है, उनकी बात आ गयी है अब इसे अन्यत्र ले जाना उचित नहीं हो होगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी सूचना एक मिनट में पूरा कर दें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, यह हमारे साथी रहे हैं। उस समय भी यही काम करते थे जो आज कर रहे हैं, बदले नहीं। अभी भी वही रिश्ता रखे हुये हैं, आज भी नहीं बदले। हमारे जिले के मनियर कस्बे में सियापा छाया हुआ है, दहशत का वातावरण है, लोग डर के मारे बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। आतंक का वातावरण है। बच्चा अभी तक घर पर नहीं लौटा। जिस ढंग का प्रयास होना चाहिए पुलिस

नोट:-[XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। रोज अखबार पलटते हैं कि क्या हो रहा है, कहां तक बच्चों की हत्यायें और अपहरण होगा ? इस चीज को हम आपके समक्ष रखते हुए सरकार में मांग करते हैं कि इस गंभीर विषय पर सदन को रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् जो सूचना आपने दी है वह नियम-56 में नहीं आती है। जो अपहरण की घटना है उसमें एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी हैं और उसकी तफ्तीश हो रही है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा उन्होंने व्यक्त किया है। पूरी संवेदनशीलता के साथ न इसमें सिर्फ कार्यवाही हो रही है बल्कि प्रभावी कार्यवाही हो रही है। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है।

श्री अधिष्ठाता-

तफतीश की प्रगति क्या है कुछ बता सकेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, तफतीश हो रही है। श्रीमन्, प्रगति बताना, आप स्वयं जानते हैं कि सी0आर0पी0सी में, तफ्तीश के बीच में न कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती है और न किसी को अधिकार है कि तफ्तीश के बीच में दखलंदाजी करे। हम सरकार की ओर से आश्वस्त करते हैं कि उनसे रिकवरी होगी। हमको एस0पी0 ने बताया है, चूंकि हमारे अपने जनपद का मामला है, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि काफी हद तक क्लूज उनके पास हैं जल्दी इसमें बरामदगी होगी, कार्यवाही होगी।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर माननीय राम इकबाल सिंह जी को सुना और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुना। नियम-56 में यह नहीं आती। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता जी, 17 नवम्बर को मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मुख्य बाजार में, अजय खंडेलवाल के यहां 7-8 लोग शस्त्रों से लैस होकर आ गये, 27 हजार का कैश लूटा। उनके कर्मचारियों ने विरोध किया और एक अभियुक्त मौके पर पकड़ा गया और उसे पुलिस को दे दिया गया। मुझे कहते हुये दुख हो रहा है कि उसको पुलिस अभिरक्षा में 17 तारीख को दिया गया और 20 तारीख को वह पुलिस अभिरक्षा से फरार नहीं हुआ बल्कि उसको फरार करा दिया गया। इससे जनमानस में आक्रोश है और लोग कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत इसमें है क्योंकि एक बहुत बड़ा षडयंत्र खुलने वाला था जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर वहां का इंसपेक्टर शामिल था या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में यह कार्य किया गया और पुलिस अभिरक्षा से उसको फरार करवा दिया गया। मान्यवर, यह उस अभियुक्त की फोटो है।

(माननीय सदस्य ने सदन में एक फोटो दिखायी।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4 दिन तक वह पुलिस अभिरक्षा में रहा और उसको फरार करवाया गया इसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है या पुलिस अधीक्षक या किसी अधिकारी के संरक्षण में अस्पताल से उसको फरार करवाया गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से करायी जाय। वहां के व्यापारियों का पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है और जनमानस में आक्रोश है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत है। क्योंकि इसमें कई चीजें पर्त दर पर्त खुलती और पुलिस बेनकाब होती, बड़े लोग बेनकाब होते इसलिये पुलिस ने स्वयं कस्टडी में, अपने साधनों के द्वारा उसको भगाया। मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें या तो इसको सी0बी0सी0आई0डी0 को सुपुर्द करने और उसके द्वारा जांच किये जाने के निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, सी0बी0सी0आई0डी0 से इसमें बहुत तेजी आयेगी ऐसी संभावना कम है। सी0बी0सी0आई0डी0 इसी उत्तर प्रदेश पुलिस की एक शाखा है और सी0बी0सी0आई0डी0 से जिला पुलिस में और जिला पुलिस से सी0बी0सी0आई0डी0 से ट्रांसफर होते रहते हैं। कोई आपने विशिष्ट आरोप जांच की एजेंसी पर या जांचकर्ता पर लगाया होता तो इसको देखा जाता और उस पर विचार करने की गुंजाइश होती। पुरी तत्परता से जांच करायी जायेगी। इसमें अगर उनको कोई आशंका है कि किसी बड़े-बड़े आदमी का हाथ है तो वह अवगत करा देंगे, आप व्यक्तिगत रूप से बता दीजियेगा, माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है न कोई छोटा है, कानून के हाथ बहुत लम्बे हैं, प्रत्येक अपराधी के खिलाफ कर्यवाही होगी। वहां के कोतवाल को हटाया जा चुका है। उसका ट्रांसफर कर दिया गया है इसलिये इसमें सी0बी0सी0आई0डी0 जांच की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति आयेगी तो जैसा श्रीमन् निर्देश होगा उसका पालन किया जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोतवाल को हटाया जा चुका है मैं उससे एक कदम आगे बताना चाहता हूं। चार पुलिस के सिपाही थे उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और उनको चार बजे जेल भेजा गया लेकिन पांच बजे चारों सिपाही जेल से बाहर आ गये। मंत्री जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण नहीं है। पुलिस के ऊपर वहा के व्यापारियों का विश्वास नहीं है इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। वहां के व्यापारियों ने सारे तथ्य लिखकर मुझे दिये हैं उनकी मांग है कि इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 जांच की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी डा0 विनोद तिवारी ने यह बात कही है चार सिपाहियों को निलम्बित करके जेल भेजा गया उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई लेकिन एक घण्टे बाद बाहर आ गये। इस विशेष बिन्दु की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, पूर्वांचल में सबसे बड़ी चीनी मिल काशी सहाकारी चीनी मिल औराई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 विनोद तिवारी-

पीलीभीत के दोनों सदस्य आगे आकर बैठ गये हैं। वह उनको न्याय दिलाना चाहते हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

काशी सहकारी चीनी मिल औराई भदोही जनपद में स्थित है। यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी चीनी मिल है। इसलिये इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, वाराणसी इन सभी जिलों का गन्ना औराई चीनी मिल में आवंटित है। आज स्थिति यह है कि नवम्बर 22 हो गया लेकिन अभी तक औराई चीनी मिल के गन्ना क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं। आज तक इस मिल में सफाई का काम व मेंटीनेंस नहीं हुआ। वहां पर जिन जनरल मेनेजर की नियुक्ति की गई है वह वहां कभी नहीं आये हैं। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान विशेषकर उपरोक्त जिलों के किसान बदहवासी की स्थिति में हैं। किसानों के ऊपर इस साल सूखे की मार पहले पड़ी है उसमें जो थोड़ा बहुत गन्ना खेतों में है तो समय पर अगर चीनी मिल नहीं चलेगी तो किसान दूसरी फसल नहीं बो सकेंगे। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है अभी तक एक पैसा मेंटीनेंस पर खर्च नहीं किया गया। कांटों के लिये व्यवस्था नहीं की गई। यहां के जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनका 6-7 महीने से वेतन नहीं दिया गया। जो सीजनल कर्मचारी हैं, उनको बोनस, रिटेनिंग नहीं दी गई है। जो जिले आवंटित हैं जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस यहां पर पहले से ही सीजन आने के पहले क्रय केन्द्र निर्धारित हो जाते हैं और वहां पर कांटे चले जाते हैं, कर्मचारी चले जाते हैं और उसके बाद जनरल मैनेजर स्टाफ आदि व्यवस्थायें करते हैं। तब जाकर उन जिलों के किसानों के गन्ने की आपूर्ति होती है। जो गेट क्रय केन्द्र है उनकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन आज तक सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया न ही मिल चलाने के लिये शासनादेश जारी हुआ। एक दिन मैंने एम0डी0 को फोन किया तो उनका कहना था कि अभी नवम्बर में मिल चलाने की कोई योजना नहीं है इसको दिसम्बर के अन्त तक चलायेंगे। किसानों के साथ कहीं पर भी इस प्रकार के भेदभाव की मिसाल मिलना मुश्किल है। मैं राजस्व मंत्री से कहना चाहूंगा कि काशी सहकारी चीनी मिल पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण चीनी मिल है। आज रायबरेली हो, सुल्तानपुर हो सब जगह की चीनी मिलें चल गई होंगी लेकिन औराई चीनी मिल के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, न उसको गन्ने का मूल्य मिल रहा है न वहां के कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। वहां के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये कि कब तक उनका गन्ना ले लिया जायेगा इस बारे में कोई योजना बनाई है। मान्यवर, गन्ने की फसल के पीछे कारण यह है कि यह कैश क्राप है इससे उनको पैसा मिलता है और उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और दूसरी बात यह है कि इसके बाद वो दूसरी फसल भी बो सकते हैं। वहां पर दूसरी फसल पेड़ी समय से हो जाय तो उसको कटवाकर वो गेहूं की फसल ले सकते हैं। आज वहां पर किसानों के सामने रोजगार की समस्या हो गई है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि वे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों जिनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, जो कुछ उद्योग वहां पर बचे रह गये हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। औराई की चीनी मिल को तत्काल पैसा उपलब्ध कराया जाय। वहां पर गन्ना के क्रय केन्द्र खोले जायं। गन्ने के ट्रासंपोर्ट की व्यवस्था की जाय। गरीब मजदूर जिनकी जमीन चली गई है जिनके सामने जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन चीनी मिल है उनको काफी समय से तनख्वाह नहीं मिली है। उनको उनकी तनख्वाह दी जाय। जो रेगुलर हैं उनको उनका वेतन का भुगतान किया जाय और जो सीजनल कर्मचारी हैं जिनकी

रिटेनिंग, बोनस आदि नहीं दिया गया है, उसके लिये तत्काल धन मुहैया करायें ताकि चीनी मिल उनको भुगतान कर सके। चीनी मिल इस नवम्बर महीने में चल जाय तो बेहतर है नहीं तो दिसम्बर के पहले सप्ताह में जरूर औराई चीनी मिल चलाई जाय। मान्यवर, यह किसान, मजदूरों से जुड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है इसलिये मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, हमारी सरकार ने जो अपनी चीनी नीति अख्तियार की है और उसके चलते प्रदेश में जो किसानों को लाभ हुआ है, मैं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। पिछली सरकार का, इस सरकार के आने के पहले का किसानों का 4 करोड़ रुपया गन्ने मूल्य का बकाया था। जिसका इस सरकार ने किसानों को भुगतान किया है। किसानों को एक-एक दिन के गन्ने मूल्य का भुगतान मिला है। गन्ने के मूल्य में जितनी बढ़ोत्तरी हुई है उतनी आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी प्रदेश में नहीं हुई। आज गन्ना किसान इतना खुशहाल हुआ है जिसकी चर्चा मैं इस सूचना की चर्चा के माध्यम से नहीं करना चाहता। आज पूरा प्रदेश जानता है किसानों का जितना हित इस सरकार के समय में हुआ है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ और न उसकी कभी किसी ने कल्पना की। आज विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा इस पूरे सवाल पर नहीं है हालांकि काफी टैक्नीकली इसको घुमा फिराकर उठाने का प्रयास किया गया है। जहां तक आपने औराई चीनी मिल की बात कही है। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कुछ और मिलें भी इस तरह की हैं और सच्चाई को नकारना नहीं बल्कि स्वीकार करना चाहिए। कई मिलें अपने कारणों से जैसे छोटी कैपेसिटी के कारण, मशीनरी पुरानी हो जाने के कारण, मशीनरी बिल्कुल निरर्थक हो जाने के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गईं कि न किसानों को मूल्य दे पा रहीं क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है और न कर्मचारियों को वेतन दे पा रही हैं। उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। औराई चीनी मिल की भी ऐसी ही स्थिति है। उसको 20 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता है। उसकी पेराई क्षमता ही कम है। छोटी क्षमता की मिल है उसको इतनी गन्ने की आवश्यकता पेराई के लिये है वह पिछली बार उसको आपूर्ति नहीं हो सकता। आज भी उसकी स्थिति यह है कि वह अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में सक्षम नहीं है। वहां पर जो अन्य सहकारी चीनी मिलें हैं जिन्होंने लाभ अर्जित किया है उनसे हम थोड़ी राशि लेकर उनको भुगतान कर रहे हैं। अभी भी कर्मचारियों का जो रिटेनिंग का पैसा बकाया है उसका भुगतान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हम इसको प्राथमिकता पर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वे उसका भुगतान कर सकें। हम इसकी स्थिति दिखवा लेंगे हालांकि यह जर्जर स्थिति में है और सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। इसलिये श्रीमन् जो बात रंगनाथ मिश्र जी ने कही है कार्य-स्थगन के माध्यम से वह वस्तुतः नियम-56 में नहीं आती। सरकार संवेदनशील तरीके से इसको देख रही है। इसको निरस्त कर दिया जाय।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मैं यह बात कहना चाहता हूं। किसान और वहां के कर्मचारी यही रोना रो रहे हैं कि सरकार और मिल के लोग सही व्यवस्था कर दें गन्ना क्रय करने की। इलाहाबाद में इतना इफरात गन्ना है, जौनपुर में इतना इफरात गन्ना है लेकिन उसको लाने की तो व्यवस्था हो। आप जो कह रहे

हैं कि आधे ही गन्ने आए जब आप क्रय केन्द्र नहीं खोलेंगे, समय से सेन्टर नहीं लगाएंगे किसानों का गन्ना परचेज नहीं करेंगे तो किसान इलाहाबाद से अपना गन्ना मिल के गेट पर नहीं ला सकता है, जौनपुर से किसान गन्ना लेकर मिल के गेट पर नहीं आ सकता है। इसलिए मा0 मंत्री जी यह कहना है कि आप इस सेन्टर को, जो क्रय केन्द्र है इसको समय से, नवम्बर से पहले स्थापित करा दें। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करा दें चंदौली से लेकर, सोनभद्र से लेकर, मिर्जापुर से लेकर, इलाहाबाद से लेकर जौनपुर, जो आज तक चीनी मिलें चल रही हैं वह ट्रांसपोर्ट और क्रय केन्द्रों के माध्यम से चल रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आप सेन्टर तो खुलवाएं आप सेन्टर ही नहीं खुलवा रहे हैं तो गन्ना आपूर्ति कैसे होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सेन्टर खुलवा दें। मिल चल जाए ताकि किसानों की खड़ी हुई फसल है वह मिल में पहुंच जाए। दूसरी रबि की बुआई हो। साथ ही जैसा आपने स्वीकार किया आप कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं उन कर्मचारियों का क्या दोष है जिनकी सारी जमीनें चली गईं। तनख्वाह पर उनका घर चल रहा है सारे कर्मचारियों को आप दे रहे हैं तो उन कर्मचारियों को भी आप दे दें। लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय मिश्रा जी को सुना, राजस्व मंत्री जी को सुना सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इसे अग्राह्य करता हूं। यह नियम-56 में नहीं आता है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इलाहाबाद हमारे विधान सभा क्षेत्र में युवा इंजीनियर होनहार नीरज अग्रवाल का मान्यवर 11 नवम्बर को अपहरण कर लिया गया। 11 नवम्बर को सांय लगभग 6 बजे टाटा सूमो सवार अपराधियों ने फूलपुर थाना क्षेत्र इलाहाबाद से अमरिहा गांव के पास से उसका अपहरण किया। मान्यवर, थाने के पास बिल्कुल नजदीक स्थान था। पुलिस को पता चल गया था। अगर वह सूचना करा देते पूरे जनपद के अन्दर, तो टाटा सूमो पकड़ ली जाती और जिसका अपहरण हुआ वह भी न भाग पाता। वहां की पुलिस निष्क्रिय रही। जब उनके परिवार को पता चलता है तो उनके पिता राजकुमार जी डी0आई0जी0 से मिलने जाते हैं वह थे नहीं इटावा गए हुए थे। तो उनका जो पेशकार था तो उसने, नीरज के पास मोबाइल था, नीरज से मोबाइल से उनके पिता से बात करा दी। उन अपराधियों ने उसी समय मोबाइल छीन लिया और उनके पिता से कहा कि पुलिस को बताया तो तुम्हारे बेटे का सिर मिलेगा। व्यापारियों ने इस घटना से रुष्ट होकर 16 नवम्बर को इलाहाबाद बन्द रखा। इलाहाबाद के व्यापारी पुलिस प्रशासन से मिले। पुलिस प्रशासन आश्वस्त करता रहा कि नीरज का पता लगेगा वह मिल जाएगा। मान्यवर 17 नवम्बर को, उल्लेखनीय है 17 नवम्बर को माननीय मुख्य मंत्री जी का इलाहाबाद में कार्यक्रम था। बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्या धन बांटने का। सारा पुलिस प्रशासन इसमें व्यस्त था। वहां के एस0एस0पी0 ने कहा मैं तो अण्डर ट्रांसफर हूं अब जो नया आए वह देखे।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह)-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सदन में सदस्यों की संख्या बहुत कम है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

यह महत्वपूर्ण घटना है। जब वहां पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया था। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं कह गए 17 नवम्बर को भुक्तभोगी परिवार, 17 नवम्बर को मा0 मुख्य मंत्री जी से मिला। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि दो दिन के अन्दर नीरज का पता लग जाएगा वह घर आ जाएगा। मुख्य मंत्री जी जब लखनऊ आते हैं फोन से नीरज के माता-पिता से बात करते हैं और कहते हैं नीरज दो दिन के अन्दर वापस आ जाएगा। मान्यवर, एक तरफ नोएडा में अनन्त का अपहरण होता है वहां एस0टी0एफ0 को शुरू में ही इसके लिए लगा दिया गया भले फिरौती दी गई लेकिन बच्चा सुरक्षित वापस आ गया लेकिन इलाहाबाद का पुलिस प्रशासन और प्रदेश के प्रशासन ने एस0टी0एफ0 को बहुत देर में इस केस को दिया है। इसके कारण उसका पता नहीं चलता है और 17 नवम्बर को मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम होता है, 19 नवम्बर को पुलिस द्वारा बताया जाता है कि नीरज अग्रवाल की 3-4 दिन पूर्व हत्या कर दी गयी है और उसका शव मऊ रैपुरा के पास तर्रा के जंगल में एक पहाड़ की गुफा में पड़ा हुआ है। पुलिस को पता था कि 17 नवम्बर को मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम है, यदि इस घटना के बारे में पहले पता चल जाता तो इलाहाबाद के अन्दर आग लग जाती। इसलिए पुलिस प्रशासन ऐसा करता रहा। इस घटना में पुलिस प्रशासन का रवैया उदासीन एवं ढुलमुल रहा है तथा एस0टी0एफ0 को बाद में लगाया गया जो कि पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मान्यवर, क्या यह पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि मुख्य मंत्री के कार्यक्रम में रहते हुए जो प्रदेश के मुखिया हैं, वहां एक घटना घटती है, अभी मुख्य मंत्री जी स्वयं कह गये कि कितना होनहार वह था, बी0टेक था, उस परिवार से हमारा नजदीक का सम्बन्ध है, लेकिन पुलिस निष्क्रिय रही। एस0टी0एफ0 ने कुछ को मार भी दिया है लेकिन अभी भी कुछ अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। इसकी तह में जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, इलाहाबाद पुलिस प्रशासन पर न तो उसके परिवार को विश्वास रह गया है, न वहां की जनता को रह गया है, न व्यापारियों को रह गया और मुझे भी नहीं रह गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अपराधियों को पकड़ा जाए और जो पुलिस इस मामले में निष्क्रिय रही है, पूरे प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच कराई जाए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है अतः सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आज जब कि यह सूचना ग्राह्यता के लिए नहीं ली गयी थी और कदाचित् मुख्य मंत्री जी को भी जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई सूचना डा0 गौर ने दी है लेकिन उसके पहले ही उन्होंने संवेदनशील तरीके से इस घटना का स्वयं उल्लेख किया और कहा कि क्या हो रहा है कि एक चालक जो अपना सेवक है, वह रिश्तेदार, वह बिजनेस का हिस्सेदार, जो साथ रोज काम करता है, वही लोग अपहरण और हत्याएं कर रहे हैं। अपने घरों में रहने वाले लोग ही यदि ऐसा करने लगेंगे, पति की हत्या की साजिश में पत्नी शामिल रहेगी तो सिर्फ कानून बना देने से यह खत्म होने वाला नहीं है। एक इससे भी ज्यादा गम्भीर सवाल यह है कि पक्ष और प्रतिपक्ष की बात छोड़कर सरकार और विपक्ष की बात छोड़कर हम सबको, हम जनप्रतिनिधि हैं, इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। आज मुख्य मंत्री ने बड़े भावुक होकर यह बात रखी है। जिस प्रकरण पर आपने

कार्य-स्थगन की सूचना दी है, उसका 11 तारीख को अपहरण हुआ, 15 तारीख को हत्या हुई, जो आप बताना चाहते हैं, फोरेन्सिक रिपोर्ट में सब आ गया है। यह एक नौजवान की हत्या है, इससे अधिक दर्दनाक और दुःखद बात नहीं होगी। इसमें कार्रवाई हुई है। इसमें अरविन्द कुमार पाण्डेय उर्फ बबलू पुत्र ओम कुमार पाण्डेय, निवासी गम्भीरा पूर्व, थाना मन्झनपुर कौशाम्बी, लवलेश सिंह पटेल पुत्र काशी प्रसाद सिंह पटेल, निवासी देहरुच माकी, थाना रैपुरा, जनपद चित्रकूट, शिवमूरत तिवारी उर्फ बड़कौना पुत्र रमाशंकर तिवारी, निवासी भवनसूरी, थाना पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया है। 19-11-06 को इस घटना में जो ड्राइवर यशवन्त था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गयी है और पूरी कार्यवाही पुलिस ने मुस्तैदी से किया है। मान्यवर, सारी घटना खुल गई है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है और जो दो लोग और हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जायेगी। मान्यवर, इसलिए इसमें सी0बी0आई0 की जांच या जांच एजेंसी को बदलने की जो मांग है उसमें कोई दम नहीं है। यह घटना दुःखद है और संवेदनशीलता से हम इस घटना को लेते हैं। हमारे नेता सदन ने भी इस घटना से सरोकार व्यक्त किया है। यह नियम 56 में नहीं आती है अतः अग्राह्य करने योग्य है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 11 तारीख को अपहरण होता है और पुलिस द्वारा उसके बारे में 19 तारीख को बताया जाता है कि 4 दिन पहले उसकी हत्या हो गयी। मान्यवर, इन चार दिनों में पुलिस निष्क्रिय थी। कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए इसकी सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए और जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस पर गौर साहब और श्री अम्बिका चौधरी जी को सुना और इन्हें सुनने के बाद इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाएं अग्राह्य की गयीं।)

प्रदेश में बिक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जनस्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-19, यह स्थगित रहेगी।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने तथा इसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण की सुविधा दिये जाने विषयक उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार द्वारा सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग के सम्बन्ध में संकल्प का स्थगन

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी व्यस्तता के कारण एक समारोह में जाएंगे। उन्होंने अनुरोध किया है कि वह जब उपस्थित रहें तभी यह संकल्प लिया जाये। अतः आपसे अनुरोध है कि अगले कार्य दिवस में निम्नांकित संकल्प ले लिया जाये।

"उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से

समाप्त किया जाना चाहिए जिसके कारण देश के ईसाइयों और मुसलमानों के दलित तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हमारी सरकार मांग करती है कि जिन वर्गों को भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है वह चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों उन्हें समान रूप से आरक्षण की सुविधायें मिलनी चाहिए। अर्थात्, जिन तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, उन्हीं के हमपेशा वर्गों को चाहे वह मुसलमान हों या ईसाई हों, उन्हें भी अन्य अनुसूचित जातियों के समान सुविधायें दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत अनुमन्य कराये गये आरक्षण की सुविधाओं से अलग रखना न सिर्फ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 आदि के विपरीत है, बल्कि इंसाफ पर भी आधारित नहीं है। हमारा यह मानना है कि जिस प्रकार केवल धर्म के आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण की सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं उसी प्रकार केवल धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण की सुविधा से महरूम करना संविधान का उल्लंघन है।"

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 नवम्बर, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 23 नवम्बर, 2006 से दिनांक 5 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 23 नवम्बर, 2006 से 3 दिसम्बर, 2006 तक सदन के उपवेशन न हों।

2-दिनांक 4 व 5 दिसम्बर, 2006 को सदन के उपवेशन हों।

3-दिनांक 23 नवम्बर 2006 से दिनांक 5 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

नवम्बर, 2006

23 गुरुवार	बैठक नहीं होगी
24 शुक्रवार	
25 शनिवार	
26 रविवार	
27 सोमवार	
28 मंगलवार	
29 बुधवार	
30 गुरुवार	

दिसम्बर, 2006

01 शुक्रवार	
02 शनिवार	
03 रविवार	

04 सोमवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006-(आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006-(आधा घण्टा)

3-(क) प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा (जारी)

(ख) प्रदेश में बढ़ती मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा (जारी)

(ग) प्रदेश के अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा (जारी)

05 मंगलवार

बैठक होगी।

(इस समय 2 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अधिष्ठाता द्वारा दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश सम्बन्धी जो प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 यह स्थगित है।

"यह सदन उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करता है", के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-22 यह स्थगित है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचनाओं पर विचार के प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23 यह स्थगित है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तर्गत प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया जाय, के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-24 यह स्थगित है।

प्रदेश में रबी की फसल की बुआई हेतु किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की सूचनाओं पर एक घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-34 में खाद की चर्चा को पहले ले लेते हैं उसके बाद नियम-51 ले लेंगे। पहले मद संख्या-34 पर चर्चा हो जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, 3.00 बजे से मेरी बैठक है और मुझे उसमें जाना है।

श्री अध्यक्ष-

अभी 3.00 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। खाद वाली चर्चा आज समाप्त कर दें। आज इसमें सरकार का जवाब आ जाय।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश के किसानों से सम्बन्धित रासायनिक खाद उपलब्ध न होने एवं बीज साधन सहकारी समितियों पर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में समूचा किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। मुख्य रूप से, जैसाकि मान्यवर, आप भी भिज्ञ हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और पच्चीस प्रतिशत लोग यहां पर कृषि पर आधारित होते हैं, कृषि में भी रबी की फसल मुख्य आधार होती है। किसानों की पूरी निर्भरता रबी की फसल पर होती है। आज ऐसे समय पर जिस समय रबी की फसल की बुआई का दौर चल रहा है और उत्तर प्रदेश की जो साधन सहकारी समितियां हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सस्ते दामों पर बीज उपलब्ध कराने की घोषणा बार-बार इस सदन में करके सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसकी हकीकत यह है कि आज उत्तर प्रदेश की जितनी भी साधन सहकारी समितियां हैं उन समितियों से बीज नदारद है, खाद नदारद है और मान्यवर, खुले बाजार में वहीं साधन सहकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समितियों पर मिलने वाला बीज और खाद बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। आम व्यापारियों के यहां वह डी0ए0पी0 जो साधन सहकारी समितियों में 470/-रुपये पर मिलती है। आज किसान वहां जाय तो जवाब मिलता है कि खाद नहीं है लेकिन खुले बाजार में लेने के लिए जाता है वहां पर उसे पांच सौ या साढ़े पांच सौ रुपये में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इसी तरह से खाद भी साधन सहकारी समितियों में जो 258/-रुपये में मिलनी चाहिए वह खुले बाजार में तीन सौ या साढ़े तीन सौ रुपये में मिल रही है। अभी विगत दिन जिस दिन इसकी ग्राह्यता पर आप सुन रहे थे। हम सुन रहे थे माननीय कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हमारा जो लक्ष्य निर्धारित था उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश के किसानों को खाद और बीज मुहैया कराया है। इस पर मेरा सवालिया निशान नहीं है माननीय मंत्री जी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं हो सकता है आपने भिजवाया हो, लेकिन सतही ज्ञान और हकीकत से भी मैं अवगत करा देता हूं कि आपका भेजा हुआ खाद-बीज साधन सहकारी समितियों में न जाकर, सरकारी गोदामों में न जा करके बिचौलयों के माध्यम से खुले बाजारों में पहुंच जाया करता है। मान्यवर, यद्यपि कि प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनपदों का दौरा जब मैं करता रहा तब किसानों ने खाद और बीज की समस्या सामने रखी और विगत सप्ताह मान्यवर, जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो जिस-जिस जगह पर जाता था तो सारे लोग अपनी इस प्रमुख समस्या को मेरे सामने यही कहते थे कि आज उनको न तो खाद मिल रही है और न बीज मिल रहा है।

मान्यवर, जब खाद और बीज नहीं उपलब्ध होगा तो फसल कैसे होगी ? इसलिए मान्यवर, जब मैंने किसानों की बातों को सुना, अपने क्षेत्र के लोगों की बातों को सुना तो उनकी बातों को सुन करके मैंने तमाम साधन सहकारी समितियों का दौरा किया। मान्यवर, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में डलमऊ के अन्तर्गत आने वाली साधन सहकारी समितियों, डलमऊ, नागखेड़ा, कटिगर, रायपुर, पम्पाहवेली, सन्तपुर, बरारा बुजुर्ग, रसूलपुर, धरौंआ, सुट्ठा हरदौर, जलालपुर धई, धमधमा, सिक्तामुसल्लेपुर, सिद्धौर, जगतपुर, धूता, ऊंचाहार, मतरौली, उमरन, अरखा, खरौली, किशुन बासपुर, रामसांडा, अकोहिया, रसूलपुर और बतरनपुर आदि साधन सहकारी समितियों, का मौके पर जा करके मान्यवर, मैंने खुद निरीक्षण किया, इन सारी साधन सहकारी समितियों पर मैं खुद व्यक्तिगत जा करके मुआयना किया और मौके पर देखा कि मान्यवर, किसी भी साधन सहकारी समिति पर खाद उपलब्ध नहीं था, बीज भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन मान्यवर, जब वहीं पर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ही आने वाले जो बाजार थे उन बाजारों में जो आम व्यापारियों के द्वारा खाद बेचने की दुकानें हैं वहां पर 400-400, 500-500 लोगों की लाइनें लगी थीं और लाइन लगाकर बढ़े हुए दामों पर लोग डी0ए0पी0 खाद खरीदने पर मजबूर थे क्योंकि यह रबी की फसल की बुवाई का समय है और ऐसे वक्त में भले ही लोगों को मंहगे दामों पर खुले बाजार में खाद और बीज खरीदना पड़ता हो, वह इसलिए खरीदने पर मजबूर हो रहा है कि अगर वह खाद नहीं खरीदेगा और उन्नतिशील बीज नहीं खरीदेगा तो फसल की बुवाई ठीक ढंग से नहीं हो सकेगी और अगर ढंग से फसल की बुवाई नहीं हो सकेगी तो स्वाभाविक है कि उपज भी प्रभावित होगी। आज यद्यपि कि इस सदन के अन्दर हमारे तमाम सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए अपना दुःखड़ा रोया, तमाम किसान इसी तंगहाल कृषि के नाते कोई मौत का शिकार हो रहा है कोई अपना जिला-परिवार छोड़कर के बाहर

ईंट के भट्टों पर काम करने के लिए मजबूर हो रहा है और मान्यवर, यहां तक की स्थिति यह है कि आज लगातार किसान की बरबाद खेती होते देखकर आज तमाम किसान तंगहाली के दौर से गुजर रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी अभी खड़े होंगे बड़े विद्वान हैं, बाजपेयी जी बात करने में बड़े कलाकार हैं। मैं समझता हूं कि इसमें भी कलाकारी दिखायेंगे। मान्यवर, मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अभी 4 दिन पहले आपके द्वारा भेजी गयी 60 हज़ार बोरी डी0ए0पी0 खाद्य रायबरेली जनपद में गुप्ता ट्रेडर्स के यहां पर बेची गयी। यह निश्चित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जब रायबरेली में 60 हजार बोरी खाद खुले बाजार में गुप्ता ट्रेडर्स के यहां पहुंच जाती है तो फिर पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। पूरे प्रदेश में आज लूट मची हुई है। पूरे प्रदेश में डी0ए0पी0 खाद ब्लैक में बेची जा रही है। वहां पर आने वाली अन्य खादें जैसे यूरिया आदि भी ब्लैक में बेची जा रही हैं। इसी तरह से किसानों की सुविधा के लिए जो बीज साधन सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाना है वह भी बिचौलियों के माध्यम से औने-पौने दामों में खुले मार्केट में व्यापारियों के यहां बेचकर लाभ कमाकर बड़े पैमाने पर धन्धा किया जा रहा है। मान्यवर यह बहुत गम्भीर मामला इसलिए है कि अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो उत्तर प्रदेश का किसान आज तबाही के कगार पर है। आज विशेष रूप से बुन्देलखण्ड में लोग तंगहाली के नाते घर छोड़ कर भाग रहे हैं। मैं उसका दृष्टान्त नहीं देना चाहता हूं लेकिन आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में हाहाकार न मच जाये तो आप कहियेगा। डर है कि कहीं अन्न की कमी न बढ़ जाये। किसान सामूहिक रूप से आत्महत्या के लिए मजबूर न हो जाये। सामूहिक रूप से मौत को गले लगाने के लिए लोग मजबूर न हो जायें। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के किसानों का सारा भविष्य फसलों से जुड़ा हुआ है। हमारे यहां की 85 फीसदी जनता कृषि पर निर्भर करती है। जो हमारे अन्य अधिकारी, कर्मचारी हैं उनकी किसानों के द्वारा पैदा किये हुए अनाज पर उनकी भी रोटी चलती है उनके भी बच्चे इस पर पलते बढ़ते हैं। मान्यवर, जब किसान परेशान रहेगा उसे बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, उसे नहर से पानी नहीं मिलेगा तो फिर उत्तर प्रदेश की सारी की सारी कृषि व्यवस्था चौपट हो जायेगी, अन्न का अकाल पड़ेगा। लोग सामूहिक मौत को गले लगाने के लिए मजबूर होंगे। मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का जो मौका दिया है मैं इस चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि इस पर कोई ठोस कार्यवाही करें जिससे आपके द्वारा लक्ष्य के अनुरूप भेजी गयी खाद और बीज किसानों को मिल सके। उसकी चोर बाजारी न हो सके, काला बाजारी न हो सके। दलाल किसी भी प्रकार का लाभ उससे न ले सके और किसान रबी की बुआई ठीक से कर सके उसे खाद और बीज मिल सके।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और बोलने वाले नहीं मिल रहे हैं। मान्यवर, हम किसानों वाले प्रदेश में बैठे हैं जहां की 80 फीसदी जनता किसान है। न कोई सरकार के बहुत ज्यादा मंत्री यहां मौजूद हैं केवल एक मंत्री जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

उनका मानना है कि पर्याप्त मात्रा में है इसलिए नहीं बोल रहे हैं।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, माननीय मौर्य जी ने जो अभी बात कही है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है 15 दिन और बचे हैं अच्छी बुआई हो तो 15 दिसम्बर तक, एक जनवरी तक भी। बुआईयां होती है लेकिन जो वास्तविक स्थिति होती है जिसका वर्णन आपने किया है खाद एकदम नहीं मिल रही है खाद जो जा रही है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है जो आप लक्ष्य बता रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं। वह जा जरूर रहा है जो सरकार प्रयास कर रही है वह पहुंच रहा है। लेकिन वह दबा दिया जा रहा है। किसानों की जो आवश्यकता है। मैं एक अपने जनपद का उदाहरण दूंगा तो माननीय मंत्री जी समझ जायेंगे कि क्या स्थिति है। मेरे जनपद जौनपुर में आपके विभाग वालों ने जो लक्ष्य रखा है वैसे तो बहुत बड़ा लक्ष्य है लेकिन आपके विभाग वालों ने जो लक्ष्य रखा था डीएपी का 15,129 मीट्रिक टन और उसके विरुद्ध जो आज की ताजा स्थिति है मैंने टेलीफोन से आज जानकारी की है 15 लाख के सापेक्ष 6 हजार 389 मीट्रिक टन की आपूर्ति आज तक हुई है मतलब आधे से भी कम तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है अब हमारे यहां यूरिया जो है यूरिया की आवश्यकता है 15, 842 उसकी अपेक्षा मिल रहा है 11,600 इस तरह से हर चीज की कमी है सुपर फास्फेट की कमी है, एनपीके की कमी हैं कहने का मतलब जितना आपके विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके आधे से भी कम है और हमारे यहां जो कृषि का क्षेत्रफल है 3 लाख 91 हजार 713 हेक्टेयर हमारे जनपद का कृषि का क्षेत्रफल है एक जनपद का उदाहरण है कि वहां खाद बीज नहीं मिल रही है। हो क्या रहा है सोसाइटियां बन्द हैं यह बताया जा रहा है। सोसाइटियां बन्द होने पर सरकार ने व्यवस्था दी कि कोई भी आदमी उस सोसाइटियों से अटैच एक प्राइवेट दुकान खोलकर अपना सामान सीधे जाकर बेचे। इस तरह से नौजवान इकट्ठा हुए और एक दुकान खोल लिया अब जिला कृषि अधिकारी उनको आवंटन नहीं दे रहा है माननीय मंत्री जी यह एक गम्भीर विषय है। आज ही सुबह हमारे क्षेत्र में एक आपकी ही पार्टी का कार्यकर्ता है दुकान चलाता है मेरे गांव के बगल उसने फोन किया कि मुझे आवंटन नहीं मिल रहा है और सारा जो ब्लैकमार्केटिंग कर रहे हैं उनको खाद ज्यादा दी जा रही है तो इस स्थितियों पर अगर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि आज तक हम आधे की भी आपूर्ति नहीं कर पाये हैं, तो आगे हम कितना कर पायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि यह अति महत्वपूर्ण विषय है अगर इस पर आप कुछ नहीं कर पायेंगे तो जो हाल बांदा में है वह पूर्वान्चल में होने जा रहा है। हम लोग खुद किसान हैं, किसानी करते हैं लेकिन जो स्थिति है, यूरिया आज तक मैं भी नहीं खरीद पाया हूं क्योंकि शुद्ध नहीं मिल रही है हमको है कि कहीं एग्रो से मिल जाय, सरकारी दुकान से मिल जाय।

कल मैं घर जाऊंगा, शायद एग्रो से मिल जाये 2-4 बोरी यूरिया, पूरी बुआई प्रभावित हो रही है, ऐसे तमाम लोग हैं, गरीब आदमी कहां तक पहुंच पायेगा। हम लोग आते हैं, देखते हैं, दुकानों पर 2-2 किमी0 लाइन लगवाकर के, जैसे लगता है कभी-कभी टिकट ब्लैक होता हो, उस तरह से लाइन लगी रहती है, हैदरगढ़ से लेकर जौनपुर तक देखने को मिलता है। यह सब स्थिति हमारे लिये शर्मनाक हैं ऐसी स्थिति पर माननीय अध्यक्ष जी सरकार को निर्देशित करें कि किसी भी तरह से आप

व्यवस्था करें, यदि नहीं कर पाते हैं तो माननीय कृषि मंत्री जी आप और अनुपूरक ला रहे हैं, फिर लायेंगे, पता नहीं कब तक लाते रहेंगे। तो आप तमाम अपना पैसा किसानों के बीमा में लगा दीजिये। हमको नहीं मिलता है नहीं पैदा होगा तो उस बीमा से हमारा कुछ फायदा हो जायेगा, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा0 पी0 के राय-

माननीय अध्यक्ष जी, में चूंकि उस क्षेत्र की नुमाइन्दगी करता हूं जो बिहार सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां बाढ़ अक्सर आ जाया करती है मैं केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में जो दुकानों के लाइसेंस निर्गत किये गये है, वहां से भारी पैमाने पर खाद की तस्करी हो रही है। खाद भिजवाई जरूर जा रही है और हकीकत में सहकारी समितियों द्वारा जो चेक जमा भी किये गये हैं, महीनों उनको वहां पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ी इस पर सख्ती हो जिससे कि खाद की तस्करी पर रोक लगाई जा सके और हमारे क्षेत्र में जैसे बैरियर जरूर लगा हुआ है और माननीय गर्ग साहब भी यहां पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर बहुत बड़ा घपला है। बावजूद इसके कहीं न कहीं पर जो व्यापार कर बैरियर के द्वारा रोका जाना चाहिए या प्रशासन के द्वारा रोका जाना चाहिए, उस पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है, इसलिए वहां के किसानों को जो खाद मिल रही है वह कालाबाजारी की खाद मिल रही है, उस खाद की गुणवत्ता बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपके माध्यम से कार्यवाही की जाए, माननीय मंत्री जी के द्वारा सार्थक पहल की जाए जिससे वहां के किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद मिल सके। यह बात सही है जैसा कि अभी राय साहब ने कहा कि लोगों को पैसा जमा करने के बाद भी आवंटन पहले नहीं हो रहा है आवंटन दूसरों को पहले किया जा रहा है। इन सारी चीजों से आज किसान परेशान है खाद की समुचित व्यवस्था करायी जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुखदेव राजभर जी आपको मीटिंग में जाना है, आप पहले बोल लें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, सत्तापक्ष और विपक्ष को भी माननीय कृषि मंत्री जी ने सुना है, सभी तरफ से यही बयान आ रहे हैं कि ब्लैक-मार्केटिंग हो रही है, समितियों में खाद नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि पूरे प्रदेश में कहीं कोई कमी नहीं है, खाद की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जिस ब्लाक का रहने वाला हूँ ब्लाक ठेकया, वहां पर किसी भी समिति में एक बोरी भी खाद नहीं मिल रही है। मैं पूरे ब्लाक की बात कर रहा हूं, मैं सदन के एक सदस्य के रूप में यह बात कह रहा हूं।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, चर्चा लगी है, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, इससे पता चलता है कि यह सरकार किसानों की समस्याओं पर कितनी संवेदनशील है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कृषि मंत्री जी खाद तो भेजी जाएगी लेकिन समितियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, इस पर तो सहकारिता मंत्री ही विचार करेंगे, अच्छा होता कि वह यहां पर उपस्थित होते।

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, संयुक्त दायित्व है, माननीय सदस्यों की जो भी जिज्ञासाएं हैं वह माननीय सहकारिता मंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय कृषि मंत्री जी एकतरफा जवाब दे देंगे, जहां से आवंटन होना है, वह मौजूद ही नहीं है। मेरा विचार है कि आप माननीय सहकारिता मंत्री जी को बुलवा लें या फिर इस चर्चा को जारी रखें ताकि समस्या का कोई न कोई निदान हो सके।

श्री अध्यक्ष-

सहकारिता मंत्री जी को बुलाया जाए। मेरा अनुरोध है कि 40 मिनट चर्चा हो जाए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

मान्यवर, सहकारिता मंत्री को बुलवा लिया जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, चर्चा में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर के लोगों ने अपनी-अपनी बात कही है। यह सभी ने माना है कि खाद की पूर्ति करायी जा रही है लेकिन वह समितियों के माध्यम से किसानों तक नहीं पहुंच रही है बल्कि ब्लैक-मार्केटिंग के माध्यम से तस्करी हो रही है।

श्री राम करन आर्य-

[× × ×]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[× × ×] अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि कदाचित आपने भी कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से यह खाद किसानों तक जानी थी, कृषि विभाग जनपद तक उपलब्ध करा देता है, तब जब आपने स्वयं महसूस किया उसके बाद मा0 मौर्या जी आग्रह कर रहे हैं कि जिस दिन कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों रहेंगे इसमें दोनों की तरफ से उत्तर आ जाए। इसलिए निवेदन है कि कृपापूर्वक इस चर्चा को जारी रखें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं दो चीजों की तरफ इंगित करूंगा। पहले यह व्यवस्था सरकार की तरफ से आ जाए कि जो समितियां डिफाल्टर हो चुकी हैं उनके लिए कोई आल्टरनेट व्यवस्था किया है जिससे किसानों को खाद मिल सके। दूसरे आपके विभाग द्वारा थोक या फुटकर लाइसेंस दिया है, अगर 40 प्रतिशत दुकानों की जांच करवा लें बोरा सिलने वाली मशीनें उपलब्ध हैं। फुटकर विक्रेता खाद

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लाकर उसमें मिलावट पर रहे हैं। अगर आप दो जगह छापा डलवा दें, मैं अलग से नाम दे दूंगा। आपको दुकानों पर बोरिया सिलने वाली मशीन मिल जायेगी। मिलावटी खाद का आलम यह है कि उसकी बुवाई की गयी थी मिट्टी गल गयी लेकिन खाद वैसे की वैसे पड़ी है वह गल नहीं पायी हैं अशुद्धता खादों में है इसमें लम्बी बहस की क्या जरूरत है सभी लोग कह रहे हैं कि जो भी रैक भेजते हैं सही नहीं है सरकार की तरफ से वर्जन आ जाए, समितियां जो डिफाल्टर हैं तो आल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरे कितना छापा डाला है ? उसकी सूची दे दें कि इतनी जगह छापा डाला है, इतने थोक और फुटकर विक्रेता या समितियों से खाद ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। माननीय मंत्री जी इसको गम्भीरता से लें। डी0ए0पी0, एन0पी0के0 खादें उपलब्ध नहीं हैं, कुछ समितियों पर हैं जहां कुछ प्रभावशाली लोग रैक जबरन छीनकर ले गये हैं। जिनका प्रभाव है सीधे ट्रक घुमवा लिया है। सचिव, जो प्रभावशाली है वह ले रहे हैं, कमजोर सचिव बैठ करके देख रहे हैं। इस चीज की जांच करायें। प्रत्येक थोक और फुटकर विक्रेता के यहां मशीन रखी है। फुटकर खाद ले करके मिक्स करके दे रहे हैं तो सहकारी समितियां डिफाल्टर हैं उनकी व्यवस्था क्या है। आंकड़े कुछ हैं उसे सदन के सामने रखें, कोई विरोध नहीं है लेकिन सत्यता है कि खाद नहीं मिल रहा है। लम्बी लाइन लग रही है। अगर इस समय जरा से मिस कर जायेंगे तो रबी का उत्पादन घटेगा। धान सूखा से साफ हो गया अगर बुवाई के समय खाद नहीं मिला तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। मैं बाअदब निवेदन कर रहा हूं कि खादों की व्यवस्था 10-15 दिन में साड़ी ब्लाउज रोक दें। पूरी एनर्जी लगालें हम लोग जो शिकायतें पहुंचायेंगे कृषि अधिकारियों को सम्पर्क करके 10 दिन से डालना शुरू कर दें जो खाद डाल नहीं रहे हैं। इतना ही मा0 अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है कि स्पेशल ड्राइव चलायें जितने भी आपके हैण्ड हों कृषि अधिकारी से लेकर एग्रो से लेकर इंस्पेक्टर हैं उनको लगा दें मानीटरिंग कराना शुरू कर दें। 10 दिन के लिए व्यवस्था कर दें अगर नहीं किया तो धान तो खत्म, रबी भी खत्म हो जायेगी तो इस सदन में किसानों की आत्महत्या की बहस शुरू हो जायेगी तब वह कहेंगे कोई डायरिया से मरा है, हैजा से मरा है, यह बहाना तब नहीं चल पायेगा, इसलिए एक महत्वपूर्ण गम्भीर विषय है। सत्ता या विपक्ष के सदस्य जो भी कह रहे हैं, वास्तविकता के आधार पर कह रहे हैं। खाद की व्यवस्था तत्काल करा दें।

श्री सुखदेव राजभर-

अगर सरकार इसको नहीं कराती है तो सरकार निश्चित रूप से किसान विरोधी है, केवल प्रलोभन दे करके, छोटी-मोटी स्कीमें चलाकर जो आप सस्ती लोकप्रियता ले रहे हैं इससे आपकी लोकप्रियता एक मिनट में खत्म हो जायगी अगर आपने किसानों के खेतों में खाद की व्यवस्था नहीं की।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आज इस प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, पिछले साल भी चर्चा हुयी थी। जबसे यह सरकार आयी है तबसे डी0ए0पी0 बाजार में मिलती है, समितियों पर नहीं मिलती। यह खाद बिहार, बंगला देश चली जाती है और समितियों पर उपलब्ध नहीं होती हैं यहां पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषणों के माध्यम से दम भरा जाता है कि यह सरकार किसानों की है। किसानों को आगे करके बेइमानों को लाभ पहुंचाने का गोरखधंधा इस सरकार ने पाल रखा है। मैंने प्रश्न किया था और कहा था कि हमारे जिले से खाद बिहार को जा रही है और इसी सदन में कृषि मंत्री जी ने इंकार किया था लेकिन जब 37 हजार बोरे डाई जो जा रही थी और जब ट्रक पकड़ा गया तो उसमें भण्डारण निगम में चपरासी निलम्बित कर दिया गया। मैंने इस बात को सदन में रखा था। अगर सरकार की मंशा हो और कलेक्टर के निलम्बन की धमकी दे दी जाय तो 24 घण्टे के अन्दर खाद मिल जायगी। लेकिन सरकार की इच्छा नहीं है कि किसान के घर खाद जाय। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बरेपुर, सलेमपुर और रामपुर में 700-800 रुपये में किसानों ने खाद खरीदी। किसान रात भर खड़े रहे कि ट्रक आयेगा लेकिन ट्रक नहीं आया। इस राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने भी गोदामों पर खाद उतरती हे वह दिन में नहीं पहुंचती है। चाहे अन्नपूर्णा का अनाज हो या बी0पी0एल का अनाज हो गोदामों पर दिन में कोई काम नहीं होता केवल रात में ट्रक आते हैं। अभी आंकड़े आयेंगे और उनके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को तरो ताजा कर दिया जायगा। अगर सरकार ने अनाज पैदा करने में बल लगाया होता तो आस्ट्रेलिया से अनाज न मंगाना पड़ता। उत्तर प्रदेश अकेले सारे हिन्दुस्तान को गेहूं खिला सकता हैं लेकिन न समय से नहरों को पानी दिया गया न ट्यूबवेलों को बिजली दी गयी न खाद दी गयी तो कैसे उत्पादन बढ़ेगा। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। इस सरकार में उद्योगपति और अपराधी मालामाल हुये हैं लेकिन किसान ध्वस्त हो गया है। तीन साल से सूखा पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखायी है। इस साल भी सूखा रहा है लेकिन सूखा घोषित नहीं किया गया है। किसान का धान सूख गया जब किसान के धान में यूरिया छिड़कने का समय आया तो बाजार में 500-500 में यूरिया मिलती रही और सरकार सोयी रही। किसानों की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाती। जिलों से जिले के अधिकारी आंकड़े पहुंचा देते हैं और उनको इस विधान सभा में पढ़ दिया जाता है लेकिन जनता ने अभी परिणाम दिखाया और नगर निकाय चुनाव में जनता ने सिगनल दिया है और इसके बाद भी कहा जा रहा है कि सरकार खूब चल रही है। सन् 1977 तक 100 में से 40 आदमी खेती करते थे और 60 आदमी रोजगार करते थे। आज 100 में से 69 आदमी खेती पर हैं और 31 आदमी अब बाजार में आ गया है। महानगरों के बगल में आबादी बढ़ती जा रही है, किसान की जमीन कौड़ियों के भाव पर किसान को लालच देकर खरीदी जा रही है। गांव से लोग रोजगार के लिये आ रहे हैं, आज गांव में लोगों का जीना दूभर हो गया है। यही कारण है कि आज भूख से हत्यायें हो रही हैं चाहे बुंदेलखण्ड हो या मेरे क्षेत्र में हो, भूख से मौतें हुयी हैं। जब खाद समय से नहीं मिलेगी तो गेहूं का उत्पादन घटेगा जब उत्पादन घटेगा तो किसान आत्महत्या करेगा। आज 15 रुपये किलो आटा बिक रहा है। जो गरीब रोटी और आलू की सब्जी खा लेता था आलू 17 रुपये किलो है तो गरीब आलू रोटी भी नहीं खा पा रहा है दाल खाना तो दूर की बात है। किसानों की हालत तबाह हैं पहली बार हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश का किसान आत्म हत्या कर रहा है। कहां है सरकार की संवेदना। तीन साल से किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। किसानों को बिजली मिल नहीं रही है किस तरह से किसानों की हालत सुधरे। आप लोग अपने बच्चों को महानगरों में पढ़ाते हैं और किसानों के बच्चों को खिचड़ी खिलवाते हैं। खिचड़ी भी ऐसी कि जिसको खाकर मेरठ में सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गये।

श्री अध्यक्ष-

यह खाद की चर्चा में खिचड़ी बीच में कहां से आ गई ?

श्री राम इकबाल सिंह-

दोनों ही किसानों से जुड़ी हुई बातें हैं। इसको अलग करके मत देखिए।

*श्री धर्म पाल सिंह-

अध्यक्ष जी, खाद, बीज, पानी, डीजल,बिजली प्राप्त करना किसान का मौलिक अधिकार हैं आज प्रदेश में खाद की अनुपलब्धता है। हमारी विधान सभा क्षेत्र आंवला में बड़ा गांव, महमूदपुर आदि गांवों में साधन सहकारी समितियां हैं वहां पर एक महीने से डी0ए0पी0 उपलब्ध नहीं है। जो डी0ए0पी0 का रेट 477 रुपए प्रति कट्टा है वह बाजार में 500 से 525 रुपए प्रति कट्टा बिक रही है। एन0पी0के0 खाद उपलब्ध नहीं है। बीज उपलब्ध नहीं है। यह बोआई का समय है अगर 8-10 दिन और खाद बीज उपलब्ध नहीं होगा तो बोआई का समय निकल जाएगा किसान के सामने समस्या है कि खाद न मिले तो क्या करे। जब किसान की फसल पैदा नहीं होगी तो उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता हैं सरकार की नीति इस तरह की है अंश क और अंश ख मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अंश क ख दो फार्म दे रखा है। अगर किसी को एक कट्टा खाद चाहिए तो वह पहले सरकारी बैंक में जाएगा वहां नगद रुपया उधार लेगा उसके बाद सचिव उसका खाद देंगे तो जो नीतिगत निर्णय है वह भी सरकार का किसान विरोधी है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसान हित की पालिसी निर्धारित की जाय किसानों की समस्याओं को समाप्त किया जाय। उनको खाद और बीज तत्काल उपलब्ध कराया जाय और सरकार का जो किसान विरोध रवैया है उसे समाप्त किया जाय।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

अध्यक्ष जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह सही है कि आज खाद उपलब्ध रहते हुए भी बाजारों में काला बाजारी की शिकायत सुनने में आ रही है। यह खाद गुजरात से इफको यूरिया और इफको डाइ उत्तर प्रदेश को आवंटित होती है। वहां से मांग के अनुसार उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कई बार हमारे नेताओं ने दिल्ली सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था। पिछली बार भी कराया था और इस बार भी हमारे सांसद मोहन सिंह ने लिखकर दिया। खाद का अभाव उत्तर प्रदेश में जान बूझकर केन्द्र की सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार हमको जानबूझकर रैक उपलब्ध नहीं करा रही है। फिर भी जितने रैक यहां आये हैं और जो सरकारी समितियों को आवंटन जिले के द्वारा कराया गया है हमने अपने क्षेत्र में देखा है कि वह खाद समिति तक न पहुंचकर बाजार में पहुंच गई है और बाजार में जो माफिया हैं, इसके राशन माफिया और कुछ लोगों की मिली भगत से बाजार में वह खाद मंहगे रेट पर बेची गयी है। जहां पर सरकारी समितियां हैं जैसा कि अभी राजभर साहब भी कह रहे थे जो जर्जर हैं उनको भी सरकार ने चलाने का पूरा इंतजाम उनको अनुदान देकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है और जो सरकारी समितियां जिनको अनुदान देने के बाद उनको एलाटमेंट हुआ है कोआपरेटिव के द्वारा कि खाद आप ले जायं और चेक दे जायं। और इसको ले जाकर नकद बेचने का काम करें। वहां पर खाद समय से पहुंची है और किसान ने खाद लिया हैं यह सही है कि जिस मात्रा में खाद उपलब्ध होना चाहिए थी उस मात्रा में हमको रैक नहीं मिला है इसलिये कुछ अभाव जरूर हुआ है। मगर इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी जो जिले स्तर पर हैं हमने यह मान्यवर देखा है वह इसमें लिप्त हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। हमारे यहां एक शिविर लगा था सिकन्दरापुर में मैंने बलिया के कलेक्टर से कहा कि आप जांच करवाइये, छापे मरवाइये जो यह कृत्रिम अभाव खाद का हो रहा है, इसको जो माफिया लोग या और लोग कर रहे हैं वे इससे डरेंगे। इसकी छान बीन होनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, अधिकारियों के द्वारा छापे की कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी हमने कृषि मंत्री जी को एक पत्र लिखा हैं मेरे क्षेत्र में नवा नगर ब्लाक में चाणी कृषि बीज भण्डार है। वहां पर सरकार के द्वारा बीज उपलब्ध करा दिया गया। एक मिनी किट जो कृषि विभाग के द्वारा किसानों को मुफ्त दी जाती है, जिसमें तिलहन, दलहन की और चने मटर की बीज भारी मात्रा में दी जाती है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस को कृपया नोट कर लें हमारे क्षेत्र नवानगर में जो यह सबसे बड़ा कृषि बीज भण्डार है वहां पर बीज उपलब्ध होने के बाद भी ए0डी0ओ0 और ए0जी0 जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, जिनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का है। वह मिनी किट को अपने घर लेकर चले गये और जो बीज किसानों को देने के लिये थे उसको बाजार में बेच दिया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आपका समय भी खत्म हो गया। जो कुछ कहना है मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा।

श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमने तहसीलदार को उसके घर भेजा तो तहसीलदार ने उस सुभाष सिंह के यहां से बीज बरामद किया है। कलेक्टर ने उसके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की है। मेरा कहना है कि खाद का जो कृत्रिम अभाव पैदा हो रहा है उसको समाप्त किया जाय। यह सही है कि जो खाद हमारे यहां कम आ रही है उसके लिये केन्द्र सरकार जिम्मेदार है क्योंकि वह हमको खाद नहीं भेज रही है। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

(दो तीन माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

दो-दो मिनट में आप लोग बोल लीजिये। 3.40 पर चर्चा खत्म हो जायेगी।

*श्री ओम प्रकाश (श्री ओ0 पी0 सिंह)-

अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज यह सामने बैठक सरकार जो किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों की हितैषी होने का दम भरने वाली यह सरकार वास्तविक रूप से किसानों को मान्यवर इस रबी की बुआई के समय में खाद और बीज नहीं दे पा रही है। मान्यवर, यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है चाहे वह सत्ता पक्ष की ओर से हो, चाहे विपक्ष की ओर से सभी लोगों ने इस बात को माना है कि सरकार इस रबी की बुआई की फसल के समय पर खाद और बीज नहीं दे पा रही है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि इस खाद के न पहुंचने के दो पहलू हैं एक पहलू तो कृषि विभाग से संबंधित है कि कितना प्रदेश का आवंटन था कितना आया। जनपदों का कितना आवंटन था उसके सापेक्ष जनपदों को कितना आवंटित किया गया। यह कृषि विभाग से संबंधित है। दूसरा पहलू मान्यवर, इसमें सहकारिता विभाग से है क्योंकि मान्यवर सहकारिता विभाग के माध्यम से, खाद बीज मान्यवर, क्षेत्र में साधन सहकारी समितियों के माध्यम से इसको बांटा जाता है। मान्यवर, यह सरकार कितनी संवेदनशील है यह इसी से दिखाई पड़ता है कि इतने गम्भीर विषय पर मान्यवर चर्चा लगी हुई है। लेकिन आपके निर्देश के बावजूद, पीठ के निर्देश के बावजूद मान्यवर सहकारिता मंत्री जी कहीं नजर नहीं आ रहे। यह अच्छी तरह दिखाई पड़ रहा है यह किसानों का दम भरने वाली सरकार किसानों का हितैषी होने का दम भरने वाली सरकार है और मान्यवर सहकारिता मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। आज अच्छी तरह से लेागों ने चर्चा में भाग लिया, सभी लोगों ने चर्चा में भाग लिया जितने लोगों ने चर्चा में भाग लिया सभी ने स्वीकार किया कि जो 470 रुपये की डी0 ए0 पी0 की खाद की बोरी साधन सहकारी समितियों में होनी चाहिये वह मान्यवर, साढ़े पांच सौ रुपये में खुले बाजार में वह बिक रही है। आज पूरी तरह अभाव पड़ गया है मान्यवर, खाद का पूरी तरह अभाव हैं। खाद अगर नहीं मिला इस समय खाद और बीज नहीं मिला तो हम अच्छी तरह से जानते हैं इस सदन में हमने पिछली बार भी यूरिया खाद की कमी का उल्लेख धान के समय में किया था।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। 3.40 बजे तक का समय है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

एक मिनट और दे दें। हमने पिछली बार भी इस सदन में यूरिया खाद की कमी का उल्लेख किया था धान की फसल थी तो यूरिया खाद किसानों को नहीं मिल पाई मान्यवर, बरसात नहीं हुई। सिंचाई नहीं हुई सिंचाई के लिये किसानों को पानी नहीं मिल पाया। इससे पहले तो उनकी फसल खराब हो ही गई थी लेकिन यह फसल खराब हो गई तो किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर होंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

(मुंशी लाल गौतम जी का नाम पुकारा गया)

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र के कूड़भार, दोस्तपुर और जैसमपुर आदि ब्लाकों में खाद बीज उपलब्ध कराया जाय।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, किसान के बारे में पीड़ा तो वही जानेगा जो किसान होगा और खुद अपने हाथों मेहनत कर रहा होगा। मान्यवर, आपने एक बार पहले भी कहा था और आज भी आपने कहा, जिस समय मैं खड़ा हो रहा था, कि आप किसान हैं, मैं मान्यवर आज भी खेती कर रहा हूं और 11 वर्ष की उम्र से मेरे पिता ने मेरे हाथ में हल की हथिया पकड़ा दी थी उस दिन से मैं लगातार हल चला रहा हूं हल की बैलों को हरकारने से लेकर के, पानी लगाना, गुड़ाई करना, मेड़ बनाना, सारा काम मैं खुद कर रहा हूं आज भी अपने हाथों से मैं और मेरी पत्नी भी मेरे साथ में काम कर रही है। आज भी मेरे यहां गन्ना कट रहा है घर का, वहां पत्नी मौजूद है। मान्यवर, इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि रबी की फसल में आज खाद की बहुत दिक्कत आ रही है और मेरे जनपद बुलन्दशहर में उदाहरण के तौरपर सहकारी समितियां क्रमशः शिकारपुर, खड़वाया, शिवाली, चिस्सौम, खलिया, कल्याणपुर, अक्षयजाघाट, और सराय छबीला, मिर्जापुर, बसेंदुआ मुर्तजाबाद भटवारा और फजलपुर, पहासू, प्यौरबुजुर्ग, कमौना आदि जगहों पर कोई भी साधन सहकारी समितियों पर जनपद बुलन्दशहर में कहीं भी खाद की व्यवस्था नहीं है। न तो एन0 पी0 के0 है, न डी0 ए0 पी0 है, न यूरिया है। यहां कोई व्यवस्था नहीं है और मान्यवर, पानी की तो कोई व्यवस्था नहीं है अधिकतर रजबाहों से और बिजली के साधन से सिंचाई होती है। नहरों की टेल पर पानी नहीं है रजबाहों में पानी बिजली न होने के कारण किसान परेशान है और अपने संसाधनों से सिंचाई कर रहा है मान्यवर, 6-7 दिसम्बर को बुवाई खत्म हो जायेगी लेकिन नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। आज किसान बड़ा परेशान है, उसे खाद नहीं मिल रही है। मान्यवर, इस सरकार ने दो नकली खाद बनाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया है। इसके पूरे कागज हैं, जो बन्द हुआ था, उसे सम्मानित किया गया है। जनपद बुलन्दशहर के 43 लोग इमरजेंसी के दौरान आपराधिक मामलों में बन्द हुये थे, उनमें से भी कुछ लोगों को यह सम्मान मिल गया है। शफीउल्ला व इशरत, निवासी व थाना पहासू, जिनके पास जिलाधिकारी द्वारा जारी किये परिचय-पत्र मौजूद थे, क्रमशः 24/76 व 26/76 में नकली खाद बनाने के अपराध में जेल में बन्द थे। इन्हें लोकतंत्र रक्षक सेनानी का पुरस्कार दिया गया है। नकली खाद बनाने वालों को यह सरकार पुरस्कृत कर रही है, किसानों को समय पर खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयां समय पर सस्ती व अच्छी मिल जायं तथा फसल का वाजिब मूल्य सही समय पर भुगतान हो जाय तभी किसान तरक्की करेगा। मेरे यहां पहासू पर एक डी0 ए0 पी0 के कट्टे के साथ एक खाद का पैकेट प्राइवेट दुकान वाले दे रहे हैं और उसके लिये मनमाना पैसा किसान से वसूल किया जा रहा है। नकली खाद को रोका जाए। मान्यवर, जनपद में किसी भी साधन सहकारी समिति पर खाद नहीं है, साधन सहकारी

समिति पर एन0पी0के0, सुपर फास्फेट कैल्शियम व डीएपी सहित, यूरिया खाद की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाय जिससे किसान लाभ उठा सके।

श्री अध्यक्ष-

पूर्णमासी देहाती जी आप बोलें।

श्री पूर्णमासी देहाती-

मान्यवर, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

(श्री मुंशी लाल गौतम के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मुंशी लाल गौतम का अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

*श्री पूर्णमासी देहाती-

मान्यवर, खाद और बीज की इतनी कमी नहीं है जितना ये लोग हल्ला कर रहे हैं, चूंकि बरसात इस साल कम हुई है जिसके कारण कृषि का क्षेत्र बढ़ गया है क्योंकि बरसात के नाते काफी जमीन पानी में डूबी रहती थी। खाद की उतनी कमी नहीं है लेकिन जो तस्कर उनके दल के थे, वह तेज हो गये हैं, मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि वह अधिकारियों पर लगाम कसें जिससे ऐसे तस्करों पर रोक लगायी जा सके। मान्यवर, जहां तक कोआपरेटिव की बात है तो उसकी सारी स्थिति उन्हीं लोगों के जमाने में खराब हुई, तमाम विभागों को बन्द किया था, तो स्थिति तो उसी समय से खराब है। लेकिन उसको सुधारने की कोशिश की गई है। जहां तक उत्पादन का सवाल है तो सरकार ने खाद और बीज का अच्छा प्रबन्ध किया है और हमारे जिले में अधिकांश जगहों पर खाद और बीज खूब मिलता है लेकिन जो एक-आध तस्कर पकड़े गये हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वह इन्हीं लोगों के दलों से संबंधित हैं। जो तस्करी की बात कह रहे हैं, वह भी इन्हीं से संबंधित है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, यह सही बात है, जैसा रिजवी साहब ने कहा कि खाद और बीज तो गुजरात से आता है, लेकिन देना है भारत सरकार को। इसमें गुजरात की सरकार भी काफी आनाकानी कर रही है। हम चाहते हैं कि आप कृषि मंत्री को यह सुझाव दें कि वह इस पर विचार कर लें और तस्करों के ऊपर लगाम कसी जाये। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रदेश के किसानों से जुड़ी खाद की समस्या पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया। इस सदन में आपने भी महसूस किया कि और यह सभी ने स्वीकार किया कि इस रबी की फसल की बुआई के लिये खाद और बीज की कमी है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिये। पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि यहां बैठे हुये हैं और वह हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। मान्यवर, सरकार के लिये तीन नकदी फसलें हैं-गन्ना, धान और गेहूं। आज इन तीनों फसलों पर किसानों के समक्ष जो गम्भीर संकट पैदा हो गया है उससे आप सभी अवगत हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज धान के क्रय केन्द्र खुले हैं तो धान की खरीद नहीं हो रही है। किसानों को वह बिचौलिये और व्यापारियों को औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। गन्ने की स्थिति यह है कि आज गन्ने की पर्ची नहीं मिली है। गन्ना नहीं कटेगा तो पेराई कैसे होगी ? आज गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही हैं क्योंकि चीनी मिलें नहीं चली हैं। खाद और बीज का संकट है। जितने भी खाद के क्रय-विक्रय केन्द्र है वहां पर खाद उपलब्ध नहीं हैं। मुझे जानकारी है कि आज किसानों को ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है। जब किसान रबी की बुआई के लिये तैयारी कर रहा है तो खाद उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मान्यवर, पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि कितनी जगहों पर लाठीचार्ज हुआ था, कितनी जगहों पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। पिछले 6 महीने से लगातार खाद का संकट है और आज खरीफ के बाद रबी की बुआई के समय भी यह संकट है।

श्री अध्यक्ष-

एक घण्टे की यह चर्चा थी वह समय समाप्त हो गया है। मंत्री जी आप कितना समय लेंगे ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, 10-15 मिनट का समय लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसमें आधा घण्टे का समय बढ़ाया जाता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, चर्चा को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से तो आया नहीं, आपने ही समय बढ़ा दिया।

श्री अध्यक्ष-

अध्यक्ष को भी बढ़ाने का अधिकार है कि नहीं।

(सदन की सहमति से चर्चा हेतु आधे घण्टे का समय बढ़ाया गया।)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मुझे आश्चर्य हो रहा है, कम से कम मंत्री जी को जानता हूं कि वे संवेदनशील हैं, यह क्यों नहीं खाद की उपलब्धता करा पा रहे हैं। कहीं कठिनाई है, इनकी नीयत तो है और यह किसानों के हित में भी होंगे, इनके विभागाध्यक्ष भी अच्छे हैं लेकिन इन सबके बावजूद खाद की कमी हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मुन्डेरवा से लेकर इलाहाबाद, बस्ती या गोरखपुर, देवरिया सब जगह कमी है। गोरखपुर में तो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है। देवरिया में भी खाद नहीं मिल रही है। मैं यह निश्चित जानकारी आपको दे रहा हूं। आप इसकी व्यवस्था करवायें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे खाद और बीज पर जो चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, खाद की कमी के कारण दो प्रकार से

किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तो खाद नहीं मिल पायी जिससे वह खेत में डाल नहीं पाया वहीं दूसरी तरफ खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इससे किसानों को ब्लैक में खाद लेनी पड़ रही है और वह भी नकली मिल रही है। जो ब्लैक में पैसा गया वह तो गया लेकिन जो नकली खाद उसने खेत में डाली तो इससे जो फसल को ताकत मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही है। अभी केन्द्रीय कृषि मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि महंगाई तभी खत्म होगी जब नयी फसल आयेगी। यह खाद ऐसी चीज है जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है जैसा कि माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा है। जब खाद नहीं दी जायेगी तो फसल पैदा नहीं होगी। अप्रैल, मई में फसल आ जायेगी लेकिन जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो महंगाई पर नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि किसानों को सबसे पहले खाद उपलब्ध करायी जाय इसके लिए जो भी युद्धस्तर पर कार्यवाही करनी पड़े वह करें। आज इसके कई परिणाम सामने आ रहे हैं। बनारस में सामूहिक आत्महत्या हुई, यह कहा गया कि वह महंगाई की वजह से हुई। लेकिन सवाल यह है कि महंगाई किसकी वजह से हुई। अगर उत्पादन अच्छा हो जाय तो महंगाई कम हो जायेगी और लोग आत्महत्या नहीं करेंगे। मान्यवर, पिछली बार भी आलू वाला मामला सदन में आया था कि आलू की पैदावार इतनी हुई कि लोग अपना आलू सड़क पर छोड़कर चले गये थे। तो, इस प्रकार का माहौल बनाने की आवश्यकता है। आज अगर कृषि मंत्री बहुत कोशिश करेंगे तो खाद आने में पन्द्रह बीस दिन तो लग ही जायेंगे। आज स्थिति यह है कि दो सौ रुपये बीघे की जोताई किसान को पड़ती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, आज यह सबसे ज्वलंत समस्या हो गयी है। खाद सरकार तुरन्त किसानों को उपलब्ध करा दे। यह बेरोजगारी भत्ता, साड़ी या कन्या धन बांटने से ज्यादा जरूरी है। अगर यह नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो यह किसानों की विरोधी सरकार है और किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। इस सरकार की जितनी भी निन्दा की जाय वह कम होगा।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, मैं हृदय से आपका आभारी हूं। मान्यवर, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों की बात मैं अभी सुना रहा था और आप भी सुन रहे थे, मैं समझता हूं कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि दोनों पक्षों के सदस्यों का यह मानना है कि आज खाद का अभाव है, अब खाद का अभाव है या खाद का अभाव पैदा किया जा रहा है मान्यवर, यह चीज देखनी है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जगह से मैं चुन कर आता हूं पूरनपुर से, बरेली मण्डल में है, मान्यवर, बरेली मण्डल में जो भी रैक लगती है मान्यवर, आधी खाद बदायूं जनपद को चली जाती है और ऐसे नहीं वहां पर बड़े-बड़े माफिया आकर डण्डे लेकर खड़े हो जाते हैं जबरदस्ती अधिकारियों को विवश होकर कहना पड़ता है कि खाद बदायूं ले जाइये और आधी खाद तीन जिलों में बंटती है और अभी हमारे एक भाई आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ब्लैक मार्केटिंग करा रहे हैं। मान्यवर, मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि बदायूं जिले में इतनी अधिक संख्या में इस तीन साल के अन्दर में जो यह विपणन

सहकारी समितियां बनाई गई है उन समितियों को खाद दी जा रही है, सहकारी समितियों को खाद नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से आज खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और यही हाल मेरे जनपद की सभी सोसायटियों का है मान्यवर, मैंने अभी कई समितियों का भ्रमण किया, जमनियां माधव टाण्डा, रमनगरा, कल्लीनगर, साहगढ़, भगवन्तापुर, रघुनाथपुर, शेरपुर, कलाशिव नगर, घाटमपुर, घुमचिहाई, दिलावलपुर, शिवनगर, पिपरिया दुलई, दुधियाखुर्द, सिंहपुर, रायपुर, बिसपुरी, जोगराजपुर, सुल्तानपुर आदि मान्यवर, मैंने हर समिति में जाकर देखा और वहां के कर्मचारियों से जाकर मिला यह स्थिति है कि महीने-महीने भर में 15-15 दिन में एक ट्रक खाद एक समिति को दी जाती है और वहां पर उपस्थित कर्मचारियों को मान्यवर, अभी तो शुरुआत भी नहीं की है मान्यवर, मेरी नोटिस है, आपने लाल बत्ती दिखा दी। मान्यवर, उन समितियों की यह स्थिति है कर्मचारी डरे हुए हैं, कर्मचारी जब एक ट्रक खाद आती है तो डर की वजह से पहले पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस का एक दरोगा वहां पर खड़ा होता है तो किसी को एक बोरी, किसी को दो बोरी, यह हालत सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता की है। मान्यवर, अभी रिजवी साहब बोल रहे थे मैंने और भी सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को सुना यह कह रहे थे कि केन्द्र सरकार हमें खाद मुहैया नहीं करा रही है मान्यवर, मुझे तो नहीं पता मैं तो देखता हूं कि केन्द्र सरकार इनके सहयोग से चल रही है और यहां की सरकार जो है कांग्रेस के सहयोग से चल रही है और यहां के लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं मान्यवर, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे जनपद की नहीं पूरे प्रदेश की यही स्थिति है और अगर यही हाल रहा तो निश्चित रूप से उत्पादन के ऊपर फर्क पड़ेगा। मान्यवर, मैं पूरनपुर से चुन कर आता हूं, पूरनपुर मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। उत्पादन की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि पूरनपुर तहसील हमेशा अग्रणी रहती है चाहे वह धान हो, चाहे गेहूं हो यही नहीं मान्यवर, जो सरकारी ऋण की वसूली है, आप अगर देखें तो बरेली मण्डल के अन्दर, पीलीभीत जनपद सबसे प्रथम स्थान पर है वसूली में लेकिन जब मान्यवर, खाद की बात आती है तो पीलीभीत को खाद नहीं मिलती है खाद बदायूं जा रही है। मान्यवर, मेरा यह स्पष्ट आरोप है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का वह निर्वाचन क्षेत्र है इसलिए वहां के लोगों को जो है जबरदस्ती प्रभाव के बल पर खाद दी जा रही है अधिकारी भी डर और सहम कर वहां पर खाद दे रहे हैं मान्यवर, केवल अकेले बदायूं के लोगों को खाद की आपूर्ति करने से इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मेरा अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में जो खाद की कमी है उस कमी को निश्चित रूप से जल्द से जल्द दूर कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें, आपकी बात आ गई।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि प्रदेश में किसानों से जो जुड़ा हुआ अहम मामला है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज प्रदेश में खाद और बीज की कमी है जबकि रबी की फसल की बुआई हो रही है। मान्यवर, कई कारण इस चर्चा में उभर कर सामने आये हैं। सत्तापक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की भी तरफ से। आज प्रदेश का किसान यूरिया और डी0ए0पी0 खाद के लिए पेरशान है, रबी की बुआई हो रही है। दूसरी तरफ सिंचाई की भी समस्या है। आज अधिकांश राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा उर्वरक की हो रही है। वह बतायें कि उपलब्ध है या नहीं।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, जब पानी और बीज ही नहीं मिलेगा तो किसान खेती कहां से करेगा ? मान्यवर, इसमें कृत्रिम कारण भी बताये गये हैं। जो चोर बाजारी और काला बाजारी हो रही है। सत्तापक्ष के सदस्य भी यह मान रहे हैं कि उपलब्धता तो है परन्तु बड़े पैमाने पर काला बाजारी हो रही है, चोर बाजारी हो रही है। और, ब्लैक मार्केटिंग में खाद बेची जा रही हैं आखिर यह काला बाजारी को रोकेगा कौन इसमें अंकुश लगायेगा ? ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कौन कार्यवाही करेगा ? कैसे रूकेगी यह काला बाजारी ? मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि असली बोरी में किसानों को नकली खाद बेची जा रही है। साधन सहकारी समितियां मृत प्राय हैं। उनको खाद नहीं मिल रही है। मान्यवर, मैं अपने जनपद सीतापुर के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर खाद की उपलब्धता क्या है ? मैंने जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय से जो सूचना प्राप्त की है उसके अनुसार सीतापुर जनपद में डी0ए0पी0 की उपलब्धता 37, 341 यूनिट के सापेक्ष 14,981 यूनिट उपलब्ध है जो कि 40 प्रतिशत है। यूरिया की उपलब्धता 51, 991 यूनिट के सापेक्ष 12, 467 यूनिट उपलब्ध है जो मात्र 23 फीसदी है। मान्यवर, एक सप्ताह 10 दिन बुआई का है और यह उपलब्धता है। तो फिर कैसे बुआई हो पायेगी कैसे किसान अपनी फसल को पैदा कर पायेगा। मान्यवर, दो सोसाइटी है आई0एफ0डी0सी0 और इफको। इसी तरीके से सहकारी जूट संघ है। मान्यवर, इनको रैक दी जाती है। तो यहां की यह जो समितियां है आई0एफ0डी0सी0 इनको न दे करके पूरी की पूरी रैक चोर बाजारी में बेच दी जाती है। दूसरी तरफ किसान पेरशान हैं और उसे खाद नहीं मिल पा रही है उसे चोर बाजारी में खाद मिल रही है। या नकली खाद मिल रही है। सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इस पर रोक लगायें और शुद्ध खाद की उपलब्धता किसानों को करायें।

*श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, किसानों के समक्ष जो खाद और बीज का अभाव है उसके बारे में चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, किसान जितने भी भू-भाग पर खेती कर रहा है जिस हिसाब से कर रहा है। वह वही जानता है। मान्यवर, किसान देवता है हम सब किसान पर और उसकी खेती पर निर्भर हैं। अभी जब धान की फसल हुई थी तो उसमें कम बारिश हुई थी जिससे धान की फसल प्रभावित हो गयी थी। जितनी उपज होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। बहुत जगह बाढ़ के कारण किसान परेशान रहा। मान्यवर, आज कृत्रिम अभाव का कारण यह दिखा कर बताया जा रहा है कि विदेशों से खाद आनी बन्द हो गयी है। मान्यवर, मैंने अपने जनपद की बैठक में, जो खाद की कमी है, उसको उठाया था। मान्यवर, बाराबंकी जनपद में आलू की पैदावार होती है। आलू किसानों ने 15 दिन बुआई कर ली थी लेकिन बीच में बारिश होने के कारण उन्हें दुबारा आलू बोना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में जब खाद की कमी हुई तो किसान बिल्कुल बिलबिला गये थे जब भी हमने गांव का दौरा किया तो लोगों ने कहा कि खेती में तो हम लोग परेशान हो गये

---

* वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। यहां पर जो मुद्दा उठाया गया है इससे एक संदेश जाता है कि किसान जो हमारे यहां की रीढ़ है उसके मन में कुंठा न आने पाये। यह मुझे कहना है कि यदि कोई कमीं है तो वह किसानों को आवश्यक खाद बीज उचित मात्रा में और उचित दर पर शुद्धता के रूप में है। क्योंकि हमारे जनपद में हमने देखा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो नकली खाद बनाकर दे रहे हैं और वह खाद डालने के बाद किसान हाथ मलकर रह जाता है उसको पता चलता है कि उसकी खेती चौपट हो गयी है। किसानों का एक मुद्दा और भी है, नकली खाद के साथ-साथ नकली सीमेन्ट भी बिक रही है। मैं अपने क्षेत्र में गयी तो वहां किसान ने अपना घर बनवाया था उसकी पूरी छत गिर गयी और पता चला कि वह नकली सीमेन्ट थी। इस तरह से कई तरह से किसान परेशान हैं। महंगाई की जो मार है वह जबरदस्त है किसान के ऊपर, किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिस तरह से बीमारियां किसानों को लग रही हैं। यह सारे पैसों के अभाव के कारण परेशान हैं वह अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जो भी जहां भी कमियां हैं, जहां भी परेशान कर रहें हैं लोग किसानों को, उनसे सख्ती से निपटा जाये। मैं बता रही हूं एक सोसाइटी में खाद आई वह तिलोकपुर सोसाइटी रामनगर विकास खण्ड वहां पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया छोटे-छोटे किसानों का चेक भी बन गया लेकिन वहां का जो काम करने वाला आदमी था वह ताला बन्द करके चला गया। लोगों ने मुझको फोन किया और मैंने एसडीएम को फोन किया तो उन्होंने जब सख्ती बरती तो वह आदमी किसान के यहां घर जाकर हाथ-पैर जोड़ने लगा कि आप शिकायत न करना मेरी नौकरी चली जायेगी उसके बाद लोगों को खाद बंटा। यह क्या करते हैं कि यह बड़े-बड़े किसानों को खाद दे देते हैं और वह किसान बिचौलियों का काम करके खाद ले रहे हैं। इसमें जो छोटा जोत का किसान है, वह सब परेशान हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपको धन्यवाद।

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे सदन की चिन्ता प्रदेश की उत्पादकता बढ़ाने की है कि रबी का उत्पादन बढ़े इस पर सभी पक्ष और विपक्ष ने हिस्सा लिया। मान्यवर, यह सरकार की निरन्तर चिन्ता रही है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हों, पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास समय से पूर्व से ही करती रही है। इसी तरह से कृषि निवेश में दूसरी आवश्यकता उर्वरकों की होती है। उर्वरकों की प्रतिपूर्ति पूरे प्रदेश में हो, किसानों को उर्वरक का अभाव न हो इस बात के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और हर स्तर पर हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 275 मीट्रिक टन रखा है जो आज तक का एवर-हाइएस्ट लक्ष्य है। पिछले वर्ष हमने 235 लाख दसमलव 50 हजार मीट्रिक टन उत्पादन किया था और 275 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य अब तक का सर्वाधिक लक्ष्य है और मान्यवर, यह लक्ष्य नहीं यह एक संकल्प है कि इतना उत्पादन हम प्राप्त करेंगे। गेहूं के उत्पादन के मामले में प्रदेश में हम एक गुणात्मक सुधार लाने जा रहे हैं। मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश की उत्पादकता है उसका औसत 27 कुन्तल पर हेक्टेयर है उसको बढ़ाकर हमने 30 कुन्तल पर हेक्टेयर का गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य बनाया और उसके लिए बड़े पैमाने पर रबी के अभियान को चलाने का काम किया जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी के बाद तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं और गेहूं की पछाही बोई फसलें

उससे प्रभावित होती हैं तो इस वर्ष हमने कृषि उन्नयन पखवारा मनाकर रबी को बुआई को 15 दिन अरली करने का प्रयास किया जिससे कि गेहूं की अगर 15 दिन पहले बुआई होगी तो उन गर्म हवाओं से फसलों को हम बचा सकते हैं और मान्यवर, इसके सकारात्मक परिणाम आये तो प्रदेश में यह पूरा अभियान चलाया गया, गांव-गांव में न्याय पंचायतों, ब्लाक स्तर पर गोष्ठियां करके किसानों में जागृति पैदा करने का काम किया गया। मान्यवर, इन किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने का काम किया गया और यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि बीज का जो परिवर्तन है, वह 20 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जाय, हम इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 22.5 प्रतिशत बीज परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य से कहीं अधिक है। जो पिछले वर्षों में 10 से 12 प्रतिशत बीज परिवर्तन होता था, इस वर्ष हम साढ़े 22 प्रतिशत बीज परिवर्तन करने जा रहे हैं और इन नये बीजों के उपयोग से निश्चित रूप से किसान की उत्पादकता बढ़ेगी। मान्यवर, केवल इतना ही नहीं, कि केवल खाद और बीज तक हमारी चिन्ता सीमित हो, उत्तर प्रदेश में नहरों की टेल तक सफाई हो, हेड से लेकर टेल एंड तक पूरी नहरों की सफाई का अभिमान चलाया जा रहा है और मान्यवर, कोई नहर ऐसी छोड़ी नहीं जायेगी, कोई माइनर और रजबहा नहीं रहेगा, जिसकी हम शत-प्रतिशत सफाई न करें और इस काम का कड़ा पुनरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं कोई घपलेबाजी गड़बड़ी न होने पाये। पूरी बेडबाथ तक सिल्ट की सफाई हो और इसके लिये बड़ी हाईपावर कमेटी बनाई गई है जो लगातार इसकी समीक्षा कर रही है और इसकी साप्ताहिक समीक्षा हो रही है कि प्रदेश में नहरों की सफाई हो। राजकीय ट्यूबवेलों को चलाने का भी हमने अभिमान चला रखा है कि जो हमारी सिंचन क्षमता है, उसका हम पूरा प्रयोग करें और हमारी नहरों की सफाई का उद्देश्य केवल सफाई नहीं टेल तक की, टेल के एंड तक के खेतों को हम पानी पहुंचाने का काम कर सकें और यह पूरा अभिमान है उत्तर प्रदेश में रबी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये, किसान का उत्पादन जब बढ़ेगा, तब उसका लागत मूल्य कम होगा और तभी कृषि लाभकारी होगी। मान्यवर, जो हमारे मित्र चिन्ता कर रहे हैं, यद्यपि इनका किसानों से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है, और यह केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन आज जो इस पक्ष में बैठे लोग हैं, यह सीधे किसानों से जुड़े हुये लोग हैं। मान्यवर, अगर इस सरकार में किसानों के दर्द की चिन्ता न हुयी तो शायद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार अगले 10 साल तक नहीं होगी, जो किसानों के दर्द की चिन्ता करे। एक-एक कदम पर किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले, किसानों के उत्पादों की पूरी कीमत मिले, उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाय, उनका लागत मूल्य कम हो और किसानों को हर प्रकार की सुविधा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और इसी नीति का सरकार क्रियान्वयन कर रही है। जैसा कि आप भिज्ञ हैं हमनें प्रदेश में नई कृषि नीति बनाई, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जिसने अपनी नई कृषि नीति प्रतिपादित करके प्रदेश के किसानों के सामने जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उनको तैयार करने का काम किया। कृषि निवेश हमारी प्राथमिकता रहे, हमने केवल कृषि निवेश में खाद और बीज नहीं, कृषि के लिये उपकरण भी इतनी पर्याप्त मात्रा में अनुदान देकर किसानों को उपलब्ध करावे, जिससे कि हमारा गरीब सीमान्त कृषक भी उन उपकरणों का प्रयोग करके अपनी उन्नत कृषि कर सके, यह मान्यवर, हमारी इस पृष्ठभूमि में वास्तविकता है, कि हम कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कितना गम्भीर हैं और आज भी मैं लगातार एक महीने से कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि निदेशक एक-एक मण्डल पर जाकर लगातार दो दिन तक

एक-एक मण्डल पर रहकर के एक-एक जिलों की समीक्षा कर रहे हैं। वहां पर कृषि निवेशों की उपलब्धता कैसी है, बीज की उपलब्धता कैसी है, उर्वरकों की उपलब्धता कैसी है किसान तक पहुंच रहा है कि नहीं ? नहरों की राफाई हो रही है कि नहीं अब यह सारा समग्र प्रयास हम इस कृषि उन्नयन के काम में लगा रहे हैं। अब सिंचाई को एक साथ जोड़कर उर्वरक और सारी चीजों को और मान्यवर, यह कार्य ऐसा है कि जिसको आप स्वयं यह अनुभव कर रहे होंगे। जहां तक उर्वरकों की बात है, मान्यवर, मैं थोड़ा आपकी जानकारी में कुछ तथ्यों को लाना चाहता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश में बीज के सम्बन्ध में मैंने आपको कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में हमने इस वर्ष कहीं ज्यादा बीज का वितरण किया है और अब तक अगर कहें कि पिछले वर्ष आज 20 नवम्बर तक लगभग 5 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया था, जबकि इस वर्ष हम 13 लाख 85 हजार क्विंटल बीज का वितरण इस तिथि तक कर चुके हैं, जो 8 लाख क्विंटल ज्यादा है। इसका एक कारण यह भी है कि हमने अरली सोईंग का जो प्रयास किया इसलिये हमारे बीज की खपत ज्यादा हुयी। मान्यवर, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष हमने बीज का जो टोटल लक्ष्य रखा था, उससे लगभग हमने ढाई लाख क्विंटल अधिक बीज वितरण का लक्ष्य इस वर्ष रखा है और इस वर्ष साढ़े 24 लाख क्विंटल बीज विरण का हमारा लक्ष्य है जिसके सापेक्ष हम साढ़े 22 लाख क्विंटल की प्रतिपूर्ति भी कर चुके हैं तो मान्यवर, बीज के क्षेत्र में भी चाहे गेहूं हो, जौ हो, राई हो, चना हो, जो बीज हमारे पास नहीं भी उपलब्ध थे, उनको कहीं से भी प्राप्त करके हमने किसानों को उपलब्ध कराने का काम किया है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि देश के किसी भी कोने से उन्नतशील बीज प्राप्त करके हम किसानों को उपलब्ध करायें। और इतना ही नहीं मान्यवर, किसानों को बीजों में ज्यादा मूल्य न देना पड़े, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार किसानों को बीज पर अनुदान देने का काम किया है। हमारी सरकार ने 120 रुपए प्रति क्विंटल बीज के अनुदान पर अतिरिक्त सब्सिडी दी है, जिससे किसान भी उन्नतिशील बीजों को प्राप्त कर सकें। आज स्थिति यह है कि 11 रुपए में किसान अपना गेहूं बेचता है और 12 रुपए में उसे उन्नतिशील बीज मिल जाता है, केवल एक रुपए के अन्तर से उसका बीज परिवर्तित हो जा रहा है। ऐसी स्थितियां शायद ही कभी रही हों। इन सारी चीजों पर सरकार की प्राथमिकता है और सरकार पूरी तरह से ध्यान देने का काम कर रही है। जैसा कि मैंने बीजों की उपलब्धता के बारे में कहा, बीज की हमारे पास कोई कमी नहीं है, जनपदों से जितनी आवश्यकता आ रही है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमने जिलों का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की भी पूर्ति जिलों की आवश्यकता के अनुरूप करने का प्रयास हम कर रहे हैं। बड़ा प्रदेश है, कहीं पर अगर कोई कमी है, तो उसके लिए माननीय सदस्य हमें इंगित करेंगे और हम उस पर ध्यान देंगे और वहां पर भी बीज उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बीज किसानों को दे सकें और उत्पादकता को बढ़ा सकें। मान्यवर, इसी तरह से उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज की तिथि में पिछले वर्ष जितनी उपलब्धता थी उसके मुकाबले इस वर्ष मान्यवर, हमने यूरिया की उपलब्धता में 4.27 प्रतिशत की वृद्धि की, डी0ए0पी0 की उपलब्धता में 34.46 प्रतिशत की, एन0पी0 की उपलब्धता में 41,72 प्रतिशत की और एम0ओ0पी0 की उपलब्धता में 4.17 प्रतिशत की वृद्धि की है। कुल उरर्वक जो 20 नवम्बर, 2005 तक वितरित हुआ था, उसकी अपेक्षा 20 नवम्बर, 2006 तक 22.41 प्रतिशत उरर्वकों का अधिक वितरण किया गया है। यह मण्डलवार और जनपदवार सारी रिपोर्ट है। मान्यवर, एक चिन्ता का विषय जरूर है, जितना हमने

सारे प्रयास किये आप भी परिचित हैं कि डी0ए0पी0 का उत्पादन हमारे यहां नहीं होता है, इसे हमें बाहर से मांगना पड़ता है। फास्फोरिक एसिड भारत सरकार मंगाती है और उरर्वक कारखानों को फास्फोरिक एसिड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे डी0ए0पी0 बनती है। उसके बाद भी हमारे जो संयत्र हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वह आवश्यकता के अनुरूप डी0ए0पी0 उत्पादित कर सके। इसलिए हमें इसे बाहर से ही आयात करना पड़ता है, अगस्त के महीने से ही हमारा प्रयास रहा है और डी0ए0पी0 की उपलब्धता के लिए भारत सरकार से लगातार सम्पर्क करते रहे हैं। अगस्त, सितम्बर के महीने में भी हम उनसे प्राप्त कर सकते थे, हमने उस समय डी0ए0पी0 को भण्डारित किया था ताकि बुवाई के समय दिक्कत न होने पाये, यह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है। कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने देश के कृषि मंत्री, उरर्वक मंत्री, यहां तक कि प्रधान मंत्री से भी इस बात का आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश को समय से उरर्वक की उपलब्धता हो। आज भी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली की बैठकों में हिस्सा ले करके, वहां के केन्द्रीय अधिकारियों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उरर्वक की उपलब्धता निश्चित करा सकें। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि हमारे जो एम0ओ0यू0 थे, जो हमें एश्सोरेंस दिया गया था कि अक्टूबर, नवम्बर में डी0ए0पी0 उपलब्ध करायेंगे, उसमें चार लाख मीट्रिक टन से अधिक की कमी रही है। अगले दो महीनों का जो लक्ष्य था, जो भारत सरकार को हमें उपलब्ध कराना था, उसके विपरीत मान्यवर, उन्होंने लगभग चार लाख मीट्रिक टन हमें कम उपलब्ध कराया। इतनी कम उपलब्धता में निश्चित रूप से जिस तेजी के साथ, जितना हम प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं, वह नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

कितना लक्ष्य था ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, अक्टूबर के लिए 1.92 लाख मीट्रिक टन, नवम्बर के लिए 2.12 लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 उरर्वक की आपूर्ति का हमारा लक्ष्य था।

श्री अध्यक्ष-

कितना प्राप्त हुआ ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इसके सापेक्ष हमें प्राप्त हुआ, अक्टूबर में 1.56 लाख मीट्रिक टन और नवम्बर में मात्र 53 हजार मीट्रिक टन।..

इस प्रकार से जो हमको उपलब्धता करानी थी उसके विरुद्ध मात्र 2.09 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराया है डी0ए0पी0 4.04 लाख टन के सापेक्ष, 2 लाख मीट्रिक टन की कमी है। उसके बाद भी किसानों की आवश्यकता की पूर्ति इसलिए कर ली कि हमने उसका भण्डारण अगस्त, सितम्बर में ही करना शुरू कर दिया था। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 34 प्रतिशत अधिक डी0ए0पी0 की उपलब्धता पूरे प्रदेश में करायी है और अभी भी हम सारे प्रयास कर रहे हैं और यहां तक कि डी0ए0पी0 का आयात करने के लिए भारत सरकार को आश्वासन दे रहे हैं कि तत्काल डी0ए0पी0 का आयात करके हमें डी0ए0पी0 उपलब्ध करायी जाए। हम इन स्थितियों का किसी भी प्रकार मुकाबला करेंगे, जो भी सम्भव प्रयास है। इस सबके बावजूद पिछले वर्षों में जितनी उर्वरकों की उपलब्धता थी

उससे मैंने जैसा कि आपसे कहा 22.48 प्रतिशत सारे उर्वरकों को मिलाकर ज्यादा उपलब्ध कराया है और प्रदेश में कहीं पर भी अभाव नहीं है। बहुत सी जगह पर कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है। हमने कड़े निर्देश दिये हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मा0 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने, कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि विभाग के द्वारा जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों और सभी अधिकारियों को कठोर निर्देश दिये गये हैं अलग-अलग, और बार-बार पत्र लिख करके निर्देशित किया गया है। कहीं पर भी उर्वरकों का अनुचित भडारण न होने पाये, ब्लैक में बिक्री न होने पाये, कहीं पर अधोमानक उर्वरक उपलब्ध न कराया जाए इसको लेकर बड़ी संख्या में छापे डाले गये हैं। छापों का नतीजा है कि हमने कठोर कार्यवाहियां की हैं मैंने उत्तर प्रदेश में 16274 छापे डाले हैं, 8667 नमूने लिये गये हैं और मान्यवर, 5890 नमूनों में 402 नमूने अमानक पाये गये हैं, 234 विक्रय प्रमाण-पत्र निलम्बित किये जा चुके हैं, 286 विक्रय प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिये गये हैं, 270 व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, 45 विक्रय केन्द्रों पर व्यापार प्रतिबन्धित किया गया है, 28 प्रतिष्ठान सील किये गये हैं और 13 ई0सी0ए0 की धारा 3/7 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 करायी गयी है। इन्फोर्समेन्ट की कार्यवाही में शासन द्वारा कहीं पर भी कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है। यह लगातार प्रयास है कि प्रदेश में किसानों को उर्वरक, उन्नतशील बीज, कीटनाशक इनकी कोई कमी न होने पाये। लेकिन मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा डी0ए0पी0 का उत्पादन हमारे हाथ में नहीं है। इस पर सारा नियंत्रण भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय का है। आयात भी वही करते हैं। फास्फोरिक एसिड को भी आयात वही करते हैं और जब उनकी शिथिलता होती है हमको उनसे ही प्राप्त होता है जितना भी उर्वरक है, भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय से प्राप्त होता है। लगातार हमारे प्रयास के बाद भी हमारी अपेक्षा के अनुरूप वह नहीं प्राप्त हो पा रहा है लेकिन अपनी दूरगामी नीतियों के कारण समय से पहले सचेत होकर जो व्यवस्था की है उसके चलते उत्तर प्रदेश में लक्ष्य से अधिक हमने आपूर्ति करने का प्रयास किया है और मान्यवर, हम यह सदन को आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हर सम्भव प्रयास करके अपने उत्तर प्रदेश के किसानों को उर्वरकों की कमी नहीं होने देगी, प्रदेश के किसानों को उन्नतिशील बीजों की कमी नहीं होने देगी। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और जब तक कृषि की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी हमारे उम्पादन का जो लक्ष्य होगा, उसको हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्रदेश को समृद्ध प्रदेश नहीं बना सकते। इसी संकल्प के साथ पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और माननीय मुख्य मंत्री जी का मार्गदर्शन लगातार प्राप्त हो रहा है और हर तरह से प्रयास यह हो रहा है कि उर्वरकों की प्रचुर उपलब्धता करायी जाए ताकि कहीं पर कोई कमी न रहने पाये। जहां कहीं पर शिकायत मिलती है, तत्काल कार्यवाही करते हैं। मान्यवर, जो हमने अगले नवम्बर के महीने के अन्तर्गत जिन जिलों में जो रैक का मूवमेंट है अगर कहें तो मण्डलवार और जिलावार उपलब्ध करा देंगे। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उतना हम आपूर्ति निश्चित रूप से करने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, आज हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे करेंगे ? हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का बहिगर्मन करता हूं।

(श्री जगदीश नारायण राय अपनी पार्टी के मा0 सदस्यों के साथ सदन का बहिगर्मन कर गये।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत फत्तेपुर संगत में सरकारी राशन की दुकान खोले जाने के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना की रामनेरश यादव की घाघरा नदी के कटान से जनपद मऊ स्थित ग्राम धर्मपुर अभिराज के टोले तथा दुबारी आदि ग्रामों के निवासियों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्रामों में ओला पड़ने से किसानों की बरबाद हुई फसलों से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। चौथी सूचना श्री अनिल कुमार यादव की लखनऊ नगर स्थित निशातगंज ओवरब्रिज के नीचे की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव की लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् आवासीय योजना से सम्बन्धित सम्पत्तियों की पत्रावली गायब होने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। छठीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद देवरिया स्थित रूद्रपुर क्षेत्र में राप्ती, गोर्रा, बधुआ आदि नदियों के कारण क्षतिग्रस्त बांधों, सड़क एवं पुलिया की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। सातवीं सूचना डॉ0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार सीज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। आठवीं सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम में जगह-जगह कमेले खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। नौवीं सूचना श्री मस्तराम की जनपद जालौन में पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर रिचार्जिंग हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के बाद भी कार्य शुरू न करने के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दसवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली के ग्राम नरायनपुर बन्ना के पास नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। ग्यारहवीं सूचना डॉ0 यशवन्त सिंह की जनपद मऊ में वर्ष 2005 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। बारहवीं सूचना श्री रामकरन आर्य की जनपद बस्ती स्थित उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर में स्वीकृत पदों के अनुरूप डॉक्टरों की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा फार्मासिस्टों एवं चीफ फार्मासिस्टों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायाय के दिनांक 26-7-2006 के आदेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। चौदहवीं सूचना श्री भगेलू राम की जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर में कनकपुर माइनर की सफाई न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री रणवीर राणा

2-श्री सोमारू राम सरोज

3-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय

4-श्री सुरेश तिवारी

5-श्री मुन्शीलाल गौतम

6-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

7-श्री दीनानाथ कुशवाहा

8-डॉ0 सुशील चौधरी

9-श्री आर0 एस0 कुशवाहा

10-श्री अवधेश कुमार वर्मा

11-श्री रमेश चन्द्र

12-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल

13-श्री कौशल किशोर

14-श्रीमती विद्या चौधरी

15-श्री रंगनाथ मिश्र

16-श्री मदन चौहान

17-डॉ0 पी0 के0 राय

18-श्री रवीन्द्र पुण्डीर

19-श्री प्रमोद तिवारी

20-श्री धर्मपाल सिंह

21वीं सूचना के माननीय सदस्य के हस्ताक्षर अपठनीय हैं।

जनपद भदोही स्थित औराई तहसील का भवन निर्माण कराये जाने एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्रम मंत्री (डॉ0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, श्री रंगनाथ मिश्र, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 10-11-2006 को दी गयी ....

[सूचना में कहा गया है कि मा0 राजस्व मंत्री जी ने वर्ष 2001 में भदोही में औराई तहसील के निर्माण का निर्णय लिया तथा दिनांक 13-6-2001 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में औराई तहसील का उद्घाटन भी किया गया था। एस0डी0एम0 व तहसीलदार की नियुक्ति भी की गयी, परन्तु अभी तक उक्त तहसील के लिये पद सृजित नहीं किया

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया, जिससे राजस्व वसूली प्रभावित होती है। यह भी कहा गया कि यह तहसील अभी तक ब्लाक औराई के बिल्डिंग में चलती है, जिससे जनता को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका निजी भवन तीन वर्ष से निर्माणाधीन है किन्तु निर्माण एजेन्सी इतनी धीमी तथा घटिया निर्माण कर रही है कि लगता है कि अभी 20 वर्ष लगेंगे तथा बनने पर कब धराशायी हो जाय कहा नहीं जा सकता। सूचना में वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उक्त नवसृजित तहसील औराई में पदों के सृजन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसील औराई में पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-122/1-4-06-94 बी-4/97, दिनांक 13 मार्च, 2006 द्वारा चपरासी से लेकर उप जिलाधिकारी तक विभिन्न श्रेणी के 19 पदों का सृजन किया जा चुका है।

3- जनपद संतरविदासनगर, भदोही की तहसील औराई के निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त तहसील का निर्माण कार्य शासनादेश संख्या-2466/1-5-2004-6/2004-रा0-5, दिनांक 14-10-2004 के द्वारा स्वीकृत हुआ, जिसकी लागत रुपये 187.00 लाख थी। प्रश्नगत कार्य हेतु उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित की गयी तथा निम्न विवरण के अनुसार धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है :--

1-माह मार्च, 2005 में	--	रुपये 60.00 लाख
2-माह जुलाई, 2005 में	--	रुपये 55.00 लाख
कुल योग -		रुपये 115.00 लाख

उक्त तहसील भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :--

(1) मुख्य भवन के सुपर स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है।

(2) बैरक एवं हवालात की स्लैब पूर्ण हो गयी है। प्लास्टर एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।

(3) कैन्टीन का कार्य स्लैब स्तर तक हो गया है।

(4) नलकूप के छिद्रण का कार्य पूर्ण हो गया है।

(5) बाउण्ड्री वाल लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है।

मुख्य भवन के कार्य की धीमी प्रगति को बढ़ाने के लिये पी0आर0डब्लू0 (ठेकेदार) को बदल दिया गया है। वर्तमान में कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है। अतएव स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़ा नहीं गया है बल्कि कार्य प्रगति पर है और लगभग रुपये 77.00 लाख लागत का कार्य (41 प्रतिशत) सम्पादित हो चुका है।]

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैंने इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि यह जो निर्माण हो रहा है तहसील में, इस पर सरकार ने बताया है कि 187 लाख रुपया अवमुक्त किया गया है। इसमें हमने एक आरोप यह लगाया था कि जो निर्माण हो रहा है वह इतनी घटिया किस्म का हो रहा है कि किसी समय भी भवन गिर सकता है। इसके सम्बन्ध में आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया है। कम से कम इसकी किसी अधिकारी से या टी0ए0सी0 से जांच करायें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रंगनाथ मिश्र जी की जो सूचना है उसके आधार पर उसकी जांच करवा ली है। असल शिकायत यह पायी गयी है कि ठेकेदार को जिस तेजी से काम करना चाहिए था उतनी तेजी से कार्य नहीं किया। इस कारण से हमने उसको हटा दिया है और उससे रिकवरी करने की कार्यवाही करेंगे, नियमों में हम उसको दिखवायेंगे। इसकी क्वालिटी के बारे में कोई शिकायत नहीं है कि इसका निर्माण कमजोर हो रहा है। लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यह कंपलीट हो जाय। आप भी देखेंगे कि बैरक एवं हवालात की स्लैब पूर्ण हो गयी है। प्लास्टर एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। कैंटीन का कार्य स्लैब स्तर तक हो गया है। नलकूप के छिद्रण का कार्य पूर्ण हो गया है। बाउण्डरी वाल लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो गयी है। मुख्य भवन के सुपर स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है आप अपने क्षेत्र के जागरूक प्रतिनिधि हैं, आपने यह शिकायत की तो उसका लाभ यह हुआ कि उसकी जांच हुई और जो शिथिलता थी उसको दूर करके तेजी से काम करने के निर्देश जारी किये गये, क्वालिटी की कोई शिकायत नहीं है।

प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

[प्रदेश सरकार गन्ना कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ने की उत्पादन लागत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य का स्तर, सम्भावित लेवी चीनी मूल्य, फ्री-सेल चीनी के अनुमानित बाजार भाव पर चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य देने की अनुमानित क्षमता व चीनी परता आदि घटकों के आधार पर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की दर निर्धारित करती है। आगामी पेराई सत्र 2006-07 के लिये गन्ना मूल्य निर्धारण करने हेतु समस्त सम्बद्ध पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त समय पर गन्ना मूल्य दर का निर्धारण किया जायेगा।]

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के सत्र 2004-2005 के हजारों बी0 एड0 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

[मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई कि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सम्बद्ध लगभग 66 स्ववित्त पोषित बी0एड0 महाविद्यालयों में सत्र 2004-05 के 7500 बी0एड0 छात्रों की मई, 2006 में सम्पन्न परीक्षा का परीक्षाफल न घोषित कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय के नियम एवं मानक के अनुसार परीक्षा द्वारा 85 प्रतिशत एवं मैनेजमेंट कोटे के अन्तर्गत 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों को

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बी0एड0 में प्रवेश का प्राविधान है। 66 महाविद्यालयों में से 8-9 कालेजों को छोड़कर सभी में प्रवेश के नियमों का पालन किया गया है।

2-इस सम्बन्ध में मा0 सदन को अवगत कराना है कि डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के सत्र 2004-05 के बी0एड0 के उन महाविद्यालय के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल दिनांक 25-11-2006 तक घोषित कर दिया जायेगा, जिन्होंने विश्वविद्यालय/शासन के आदेशों के अनुरूप प्रवेश किया है।]

जनपद बागपत के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मा0 सदस्य द्वारा इस सूचना में जनपद-बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में.....

डा0 वकार अहमद शाह-

[किशुनपुर-बराल मार्ग के लिये अधिग्रहीत की गयी भूमि के लिये कृषकों को अब तक प्रतिकर का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने व दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का अनुरोध किया गया है। इस बारे में तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है :--

जनपद-बागपत में छपरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किशुनपुर-बराल मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 08-05-1973 द्वारा 11.50 कि0मी0 लम्बाई के लिये रु0 11.74 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस आगणन में भूमि अध्याप्ति हेतु रु0 1.41 लाख का प्राविधान किया गया था। लेबर तथा सामग्री की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण इस कार्य का पुनरीक्षित आगणन रु0 24.32 लाख का बनाया गया जिसकी स्वीकृति शासनादेश दिनांक 19-06-82 द्वारा प्रदान की गयी। इस पुनरीक्षित आगणन में भूमि अध्याप्ति हेतु रु0 2,38,400.00 का प्राविधान किया गया था।

उपरोक्त निर्माण कार्य पर मार्च, 1989 तक रु0 27.07 लाख का व्यय हो चुका था जबकि भूमि के प्रतिकर का कोई भुगतान नहीं किया गया था। स्थायी भूमि अध्याप्ति हेतु प्रस्ताव खण्डीय कार्यालय द्वारा दिनांक 04-06-77 के पत्र द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मेरठ को प्रेषित किया गया था जिस पर कतिपय आपत्तियां प्राप्त होने पर उनका निराकरण करके पुनः प्रस्ताव भेजा गया। कई बार पत्राचार होने के बाद विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मेरठ ने दिनांक 09-03-89 के पत्र द्वारा यह सूचित किया कि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही आपसी समझौते के आधार पर कर ली जाए। उल्लेखनीय है कि उस समय तक मार्ग का केवल 100 मीटर भाग को छोड़कर शेष कार्य पूरा हो चुका था और यह निर्माण कार्य तहसील बागपत के माध्यम से कराये गये भूमि के रिक्वीजीशन (अस्थायी भूमि अधिग्रहण) के आधार पर किया गया था।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चूंकि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर वितरण की कार्यवाही करने का परामर्श दिया गया था अतः इसके आधार पर भूमि अध्याप्ति हेतु रु0 17.82 लाख का अनुपूरक आगणन गठित करके मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र द्वारा दिनांक 30-06-92 को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित किया गया और प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से दिनांक 21-06-2002 को शासन को भेजा गया। शासन के अभिलेखों के अनुसार यह आगणन प्राप्त हुआ था परन्तु इस अनुपूरक आगणन की स्वीकृति तत्समय जारी नहीं हो सकी।

उक्त मार्ग के प्रतिकर के भुगतान हेतु जिलाधिकारी, बागपत को शासनादेश संख्या-1718/1-13-2001-20(124)/2001-रा0शून्य-13, दिनांक 29-09-2001 के प्राविधानों के अनुसार जनपद स्तर पर समिति गठित करके आपसी समझौते के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सुविचारित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिनांक 05-10-2006 के पत्र द्वारा दिये गये हैं। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 16-11-2006 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार जिलाधिकारी ने अपनी अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है तथा कमेटी द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की धनराशि शीघ्र सूचित करने का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी का प्रस्ताव प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त पूर्व में आगणन में स्वीकृत की गयी भूमि अध्याप्ति की धनराशि को अन्य मदों में ख़र्च कर लेने, भूमि अध्याप्ति का पुनरीक्षित आगणन काफी विलम्ब से शासन को भेजने तथा शासन स्तर पर भी समय से कार्यवाही न किये जाने के बिन्दुओं पर जांच करके दायित्व निर्धारण विषयक संस्तुति देने हेतु एक जांच समिति गठित की गयी है। समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस सम्बन्ध में भी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

प्रदेश में बी0 पी0 एल0 श्रेणी के उपभोक्ताओं को सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं, चावल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मा0 सदस्य विधान सभा डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51.....

डा0 वकार अहमद शाह-

[के अन्तर्गत दी गयी है कि प्रदेश में महंगाई बढ़ जाने के कारण सामान्यतः गरीब मध्यम वर्ग की जनता से दालें तो दूर अब आटा आलू भी उनकी पहुंच से बाहर है। प्राइवेट नौकरी या दैनिक मजदूरी करने वालों को अपने बच्चों का लालन-पालन दूभर हो गया है। बी0पी0एल0 श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी अभी तक सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं, चावल उपलब्ध नहीं हो रहा हैं तत्काल सस्ते गल्ले की दुकानों की व्यवस्था को पुनर्जीवित कर प्रभावी बनाकर उस पर दाल, चावल, गेहूं, आलू नियंत्रित मूल्य पर गरीब जनता को उपलब्ध कराया जाना शुरू किया जाना चाहिए। सरकार गरीब जनता के हितों की उपेक्षा कर रही है।

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले 106.79 लाख लाभार्थी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह नियमित रूप से खाद्यान्न रियायती दरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानदारों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लेवी चीनी भी उक्त परिवारों को नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध करायी जा रही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आलू एवं दाल नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना नहीं है।]

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं जिन लोगों को बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध हैं, उनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से गेहूं, चावल मिलना चाहिए। इस महंगाई को देखते हुए व महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनको रियायती दरों पर उचित दर पर दुकानदारों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाय। इस बारे में मंत्री जी ने, कोई उत्तर नहीं दिया। बी0पी0एल0 के सम्बन्ध में यह जरूर कहा गया कि उनको सस्ते गल्ले की दुकानों से किया गया है व लेवी चीनी भी नियंत्रित मूल्य पर उन परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह उत्तर अधिकारियों ने गलत बनाकर दे दिया है। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। हमारे जनपद में कहीं सस्ते गल्ले की दुकान रोज नहीं खुल रही है अगर कोई खोल रहा है तो केवल झाड़ू भले लगा रहा हो वहां से कोई खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। न ही कहीं पर चीनी नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जिन्होंने भ्रामक सूचना दी है उस पर तो मैं नियम 165-166 के तहत नोटिस दूंगा तभी सही जानकारी उपलब्ध होगी।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)-

पूरे प्रदेश में नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। चाहे बी0पी0एल0 कार्ड धारक हों या अन्त्योदय कार्ड धारक सभी को नियमित रूप से खाद्यान्न मिल रहा है। डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने जो कहा है उसकी गम्भीरता से जांच करायेंगे और जो दोषी होगा या खाद्यान्न वितरित नहीं कर रहा होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।]

जनपद बलिया स्थित नरहेजी महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया के प्रबंधतंत्र एवं प्रधानाचार्य द्वारा गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा सदन में इस आशय की सूचना दी गई कि.....

डा0 वकार अहमद शाह-

[नरहेजी महाविद्यालय, नरही, रसड़ा, बलिया में सैकड़ों छात्रों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ प्रबन्धतंत्र तथा प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है। सैकड़ों लड़के एवं लड़कियों का दाखिला विगत कई वर्षों से फिजीकल एजूकेशन, हैल्थ एजूकेशन एवं स्पोर्ट्स विषय में लिया गया है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से मान्यता प्राप्त बताया जाता है किन्तु जब एक छात्रा ने महाविद्यालय में बी0पी0एड0 में दाखिला हेतु प्रवेश परीक्षा फार्म भरा तो विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने उसे प्रवेश

नोट :-- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परीक्षा की अनुमति नहीं दी और बताया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम की मान्यता नहीं है तथा उसकी अंकपत्र फर्जी है। इससे सैकड़ों छात्रों की जिन्दगी बर्बाद होने के कगार पर है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर विश्वविद्यालय से आख्या मांगी गयी। विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत महाविद्यालय को शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेलकूद तथा पत्रकारिता विषय में अस्थायी सम्बद्धता हेतु शासकीय पत्र दिनांक 31-7-1999 द्वारा अनुमति दी गयी थी और कुलाधिपति के आदेश दिनांक 15-11-1999 एवं दिनांक 12-12-2003 द्वारा उन्हें तीन-तीन वर्षों के लिये अस्थायी सम्बद्धता तथा दिनांक 23-10-2006 के आदेश द्वारा दिनांक 1-7-2006 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी।

3-विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका (चार्ट) महाविद्यालय को भेजा है उसमें पाठ्यक्रम निम्न रूप में लिखा है :--

(1) परीक्षा वर्ष 2001 बी0पी0ई0 (फिजिकल एजूकेशन, हेल्थ एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स)

(2) वर्ष 2002 बी0पी0ई0 (फिजिकल एजूकेशन, हेल्थ एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स) प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष।

(3) वर्ष 2003 बी0पी0ई0 (फिजिकल एजूकेशन, हेल्थ एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स) प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष भेजा गया।

(4) वर्ष 2004 बी0एस-सी0 इन बी0पी0ई0-प्रथम (बैचलर इन फिजिकल एजूकेशन) वर्ष 2004।

(5) बी0एस-सी0 इन बी0पी0ई0-द्वितीय (बैचलर इन फिजिकल एजूकेशन) वर्ष 2004।

(6) बी0एस-सी0 इन बी0पी0ई0-तृतीय (बैचलर इन फिजिकल एजूकेशन) वर्ष 2004।

(7) वर्ष 2005 तथा वर्ष 2006के चार्ट में यही उपाधि बी0एस-सी0 इन बी0पी0ई0 (बैचलर इन फिजिकल एजूकेशन) लिखा गया है।

4-विश्वविद्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि महाविद्यालय में सम्बद्धता पत्र की निर्वचन (परिभाषा)गलत कर नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जबकि इसे एक विषय के रूप में मान्यता दी गयी है। यह भी अवगत कराना है कि इस विषय की कक्षायें चलाने की अनुमति स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत दी गयी थीं तत्समय महाविद्यालय अपने स्तर से अंकतालिका जारी करता था। सम्बन्धित छात्रा की अंकतालिका के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रथम वर्ष 2004 में बी0पी0एड0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, द्वितीय वर्ष 2005 एवं तृतीय वर्ष 2005 में बी0एस-सी इन फिजिकल एजूकेशन, हेल्थ एजूकेशन एण्ड स्पोर्ट्स की अंकपत्र महाविद्यालय द्वारा जारी की गयी है। वास्तव में दिनांक 27-9-2006 को जो अंकतालिका अनुक्रमांक-126008 की तृतीय वर्ष की जारी की गयी है वह त्रुटिवश है। यह अंकतालिका तृतीय वर्ष की परीक्षा 2006 की होनी चाहिए।

5-प्रकरण के परीक्षण से ऐसा स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अनियमितता हुई है। शासन द्वारा इस अनियमितता की जांच करायी जायेगी।]

जनपद महराजगंज के अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना.....

डा0 वकार अहमद शाह-

I में निम्नलिखित बिन्दु उठाये गये हैं :--

(1) सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज को मौन नाले पर किसानों को भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु फरवरी, मार्च, 2006 में शासन द्वारा 1.50 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, जो किसानों को न देकर एस0 बी0 आई0, महराजगंज में अपना निजी खाता खोलकर जमा कर लिया है, जिसका बैंक से सत्यापन कराया जाय।

(2) सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज को शासन द्वारा नैपाल राष्ट्र के बांधों हेतु 2.00 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, वह कार्य 50 प्रतिशत भी नहीं हुआ है, भारी वित्तीय घोटाला किया गया है।

(3) श्री अवध कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता पूर्व में गोण्डा में सहायक अभियन्ता के पद पर तैनात थे, उस समय अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आदमपुर तटबन्ध पर गम्भीर अनियमितता की गई, जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश पर जांच हुई थी। जांच सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी, घोटाला किया गया था, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(4) श्री अवध कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोण्डा के कार्यकाल में उन्होंने बेलहा बेलौली बांध पर लगे हजारों पेड़ों को बिना वन विभाग से संस्तुति प्राप्त किये, पेड़ों का कम मूल्यांकन कराकर अपने चहेतों को नीलाम कर दिया था। उक्त जांच में भी वे दोषी पाये गये थे, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उठाए गये उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। आख्यानुसार बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :-

बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में दिनांक 23-03-06 को मौन नाले से सम्बन्धित किसानों को भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु लेखा शीर्षक-4700 (पूर्ण परियोजना के अवशेष भू-प्रतिकर) हेतु रु0 71.15 लाख का आवंटन सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज को किया गया था। इसके अतिरिक्त उसी वित्तीय (वर्ष 2005-06) में मौन नाले की क्षमता सुधार परियोजना में लेखा शीर्षक-4711 के अन्तर्गत रु0 346.67 लाख की धनराशि का आवंटन दिनांक 24-02-06 को सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज को किया गया। इस धनराशि में से रु0 200.67 लाख समर्पित किया गया था और शेष रु0 146.00 लाख की धनराशि उपलब्ध थी, जिसमें से रु0 89.00 लाख कृषकों को

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भू-प्रतिकर हेतु प्राविधानित थी। इस प्रकार रु0 89.00 लाख तथा रु0 71.15 लाख कुल रु0 160.15 लाख की धनराशि को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज द्वारा "अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज भू-प्रतिकर" के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, महराजगंज में चालू खाता खुलवाकर जमा किया गया। रु0 36.10 लाख का भुगतान काश्तकारों को किया जा चुका है तथा शेष सम्बन्धित काश्तकारों को भू-प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज द्वारा अपने व्यक्तिगत नाम से खाता नहीं खोला गया है बल्कि खण्ड के पदनाम से चालू खाता खोला गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में अपने पदनाम से खाता खुलवाकर शासकीय धन को उसमें रखने की कार्यवाही नियमानुसार नहीं थी। इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में सिंचाई खण्ड-2, महराजगंज को मद संख्या-4711 के अन्तर्गत ए-गैप एवं बी-गैप बांध पर क्षतिग्रस्त कटाव निरोधक कार्य हेतु रु0 100.00 लाख तथा लिंक बांध एवं नैपाल बांध पर स्पर सुरक्षा हेतु रु0 100.00 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी। उक्त कार्य हेतु रु0 120.00 लाख का नान-गण्डक बोल्डर आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के पक्ष में एम0 ओ0 यू0 संख्या-14/एस0ई0/2005-06, दिनांक 18-10-05 निर्गत किया गया था जिसके अन्तर्गत उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन को दिनांक 28-03-2006 तक रु0 120.00 लाख का भुगतान किया गया। अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 17-06-2006 तक कार्य पूर्ण करने की अवधि निर्धारित थी, जिसके सापेक्ष कारपोरेशन द्वारा दिनांक 23-05-2006 को कार्य पूर्ण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त रु0 25.00 लाख की तार/जाली की आपूर्ति रेट कन्ट्रेक्ट के अन्तर्गत खण्ड द्वारा ली गयी। रु0 55.00 लाख का भुगतान 4711 (कैपिटल) मद में अवशेष नान गण्डक बोल्डर की आपूर्ति के लिए किया गया। इस रु0 55.00 लाख का भुगतान गत वर्ष मे उत्पन्न देनदारी के लिए किया जाना परिलक्षित होता है। अतएव इस अनियमित देनदारी के सृजन के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि खण्ड द्वारा लक्ष्य के अनुसार कार्य कराया गया है जिसमें धनराशि का दुरुपयोग व कोई घोटाला किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध अवगत कराना है कि सतर्कता विभाग के पत्र दिनांक 25-04-06 में अवगत कराया गया है कि सतर्कता विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री अवध कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2, गोण्डा के विरुद्ध सतर्कता विभाग में जांच प्रचलित नहीं है और न ही विभाग स्तर पर कोई अनुशासनिक जांच प्रचलित है।

बिन्दु संख्या-4 के सम्बन्ध अवगत कराना है कि बेलहा बेलौली बांध पर पेड़ों की नीलामी के प्रकरण में श्री अवध कुमार सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा को दिनांक 15-06-99 को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी। जांचोपरान्त उन्हें दोषी पाते हुए कार्यालय आदेश दिनांक 13-06-2000 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड दिया जा चुका है।]

निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी के पद पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चयन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश त्रिवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेद एवं यूनानी मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

रिट याचिका संख्या-335 एस/बी/2006 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निदेशक.....

[आयुर्वेदिक एवं यूनानी के पद पर नियमित चयन हेतु दिनांक 22-8-2006 को आदेश दिये गये थे कि पक्षकारों को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रकरण में नये सिरे से विचार करते हुए कार्यवाही की जाय। मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सभी पात्र अधिकारियों से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा दिनांक 14-9-2006 के पत्र द्वारा की गई। शासन के पत्र के सन्दर्भ में क्रमशः 18-9-2006, 22-9-2006, 29-9-2006 एवं 29-9-2006 को अधिकारियों से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए।

2-दिनांक 16-10-2006 को प्रत्यावेदक अधिकारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गयी। सुनवाई के दौरान उनके द्वारा सूचित तथ्यों एवं प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण विस्तार से करके निदेशक, आयुर्वेद के पद के चयन सम्बन्धी पत्रावली दिनांक 17-11-2006 को कार्मिक विभाग को सन्दर्भित की गई हैं कार्मिक विभाग द्वारा चयन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

3-उपरोक्त स्थिति में स्पष्ट है कि निदेशक के पद पर नियमित चयन के लिये कार्यवाही तत्परता से की जा रही है। जहां तक निदेशक के पद पर नियमित चयन न होने से प्रशासनिक नियंत्रण शिथिल होने के कारण पूरे विभाग में अव्यवस्था फैलने, अस्पतालों में दवा की व चिकित्सा की सुविधा न मिल पाने का सम्बन्ध में, युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कार्यवाहक निदेशक को निदेशक के समस्त अधिकार प्राप्त हैं।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 4 दिसम्बर को 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 22 मिनट पर सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 22 नवम्बर, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 342 विधान सभा-(584)-2-3-07-813 (कम्प्यूटर)।